लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३८, १९६०/१८८१ (शक)

[८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३८ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३८—अंक १ से १०—८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)] पृष्ठ

अंक १—सोमवार ८ फरवरी १९६०/१९ माघ, १८८१(शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश . . . ९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ९–१०

श्री एम० सी० शाह का निधन . १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १०—१२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १२

त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३

मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना। १३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४—१७

अंक २—मंगलवर, ९ फरवरी, १९६०/२० माघ १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९ . १९—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३१ . ४४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३ ४९—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५९—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६२—६४

विषय	पृष्ठ
विशेषाधिकार का प्रश्न--	
लोक सभा की कार्यवाही से निकाले गये अंश का फ्री प्रैस जरनल, बम्बई द्वारा प्रकाशन	६४
भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य--	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	६५–६६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	६६–६७
जिनेवा अभिसमय विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६७–८८
खंड २ से २० और १	८७
संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	८७--८८
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	८८--१०२
कार्य मंत्रणा समिति--	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१०२
दैनिक संक्षेपिका	१०३--०७
अंक ३-- बुधवार, १० फरवरी, १९६०/२१ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२ से ४४	१०९--३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५ से ६४	१३४--४२
अतारांकित प्रश्न संख्या २४ से ५३	१४२--५७
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५७–५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५८--६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
पचपनवां प्रतिवेदन	१६१
तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर की शुद्धि	१६१
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना	१६१--६५
दो विमान दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१६५
खम्भात में तेल के कुएं की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६६

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
सतालीसवां प्रतिवेदन	१६७
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	१६७–२११
खण्ड २ से १२ तथा १ . .	२०४–११
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२११
निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२११–१८
सुपरकांस्टीलेशन विमानों को यात्री मालवाही विमानों में बदलने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२१८–२०
दैनिक संक्षेपिका	२२१–२७
अंक ४—गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०/२२ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ६९, ७१ से ७५, ७८, ८० तथा ८१	२२९–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७६, ७७, ७९ तथा ८२ से ८९ . .	२५१–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से ७७ तथा ७९ से ८१ .	२५८–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर में शुद्धि . .	२६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६८–७०
राज्य सभा से सन्देश	२७१
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रख गये . .	२७१
(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।	
(२) रुई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
एयर-इंडिया इन्टरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हड़ताल ..	२७१-७२
सदस्य द्वारा पद-त्याग . .	२७२
सभापति तालिका	२७२–७३
निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७३–९०

विषय	पृष्ठ
खंड २ से ६, ८ और ९, ७ और १ . . .	२८८–९०
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	२९०
दहेज निषेध विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२९१––९७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२९७––३१२
दैनिक संक्षेपिका	३१३—१८
अंक ५–– शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९० से १०३ . .	३१९––४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४ से ११९ .	३४३––४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से १०८ . .	३४९––५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३५९––६१
सभा का कार्य . .	३६१
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . .	३६१–६२
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३६२––७८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
पचपनवां प्रतिवेदन	३७९
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प . .	३७९––४००
भारत के राष्ट्र मंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . .	४०२–०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—०८
अंक ६—सोमवार, १५ फरवरी, १९६०/२६ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२० से १२४, १२६ से १३०, १३३ और १३४ .	४०९––३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५, १३१, १३२ और १३५ से १४६ .	४३३—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ से १६० . .	४४०—६४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव--	
१. केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	४६४—६८
२. मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से कथित मृत्यु . .	४६८—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०—७१
राज्य सभा से संदेश	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (सामान्य) १९५९–६० . .	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (रेलवे) १९५९–६० .	४७१
खमरिया के आयुध कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . .	४७१—७३
तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर की शुद्धि . .	४७३
भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . .	४७३–७४
बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . . .	४७४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४७४–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४८३—५१३
दैनिक संक्षेपिका	५१४—१८
अंक ७--मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०/२७ माघ, १८८१ (शक) .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ से १५४, १६० तथा १६३ से १६६ .	५१९—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ से १५९, १६१, १६२ तथा १६७ से १७५ .	५४२—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ से १८७ . . .	५४९—५९
स्थगन प्रस्ताव--	
चीन सम्बन्धी नीति में तथाकथित परिवर्तन . . .	५६०—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६२–६३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५६३—९९
दैनिक संक्षेपिका	६०८—१३
अंक ८--बुधवार, १७ फरवरी, १९६०/२८ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७६ से १८७	६०५—२८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२८—३१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २१०	६३२—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २३७ और २३९ से २४२ .	६४३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर में शुद्धि . .	६७१
स्थगन प्रस्ताव—	
सहारा में फ्रांसीसी परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम-सक्रिय बादल के भारत पर से गुजरने की संभावना	६७२–७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७४
पशु निर्दयता निवारण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया.	६७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दमुआ कोयला खान में अचानक पानी भर जाना . .	६७४–७५
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर की शुद्धि .	६७५–७६
रेलवे आय-व्ययक, १९६०–६१—उपस्थापित किया गया .	६७६—९८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	६९८—७२८
दैनिक संक्षेपिका	७२९—३३
अंक ९—गरुवार, १८ फरवरी, १९६०/२९ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१७ से २१९, २२१, २२२, २२४ से २२७ और २३० . .	७३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २२०, २२३, २२८, २२९ और २३१ से २३७	७५९—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २८१ . .	७६४—८१
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	७८१
राज्य सभा से संदेश	७८२–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७८३—८२८
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० जोज़ेफ द्वारा आत्म-हत्या के बारे में आध घंटे की चर्चा	८२८—३४
दैनिक संक्षेपिका . .	८३४—३८

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, १६ फरवरी, १६६०/३० माघ, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४०, २४२ से २४६, २४८ से २५०, २५२ और २५६ से २६२ . . . . ८३६—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४७, २५१, २५३ से २५५ और २६३ से २६६ ८६६—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३०८ . . . ८७१—८८

स्थगन प्रस्ताव—

१. मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में कथित ख़राबी . ८८२—८५

२. भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों सम्बन्धी गड़बड़ . . ८८५—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ८८७—८६

राज्य सभा से संदेश ८८६

कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका . . ८८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति— . . . . . ८८६—६१

सहारा में फ्रांस द्वारा परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम सक्रिय बादल से भारत को संभावित ख़तरे के बारे में वक्तव्य . ८६१—६३

सभा का कार्य ८६४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति . . ८६४–६५

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८६५–६१६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक–(धारा १४ का संशोधन)—श्री बाल्मीकी का—अस्वीकृत ६१६–१७

पिछड़ी जातियां (धार्मिक-संरक्षण) विधेयक—श्री प्रकाश वीर शास्त्री का— विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . ६१७—४७

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याक्कण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ।

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह, जी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क–(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली, (सम्बलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० र० (करीम नगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारगंल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव, (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ, (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० देरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द—(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)

नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)

नाथ पाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न–(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द्र)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प–(क्रमशः)

पाण्डय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर–दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसु मतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगझी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलोल् (दुर्ग)

बाबूनार्थसिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब–(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्ण, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोडा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिदशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंगि)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)
भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा––रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालापाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म–(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची––पूर्व)

मसुरिया, दीन, श्री (फूलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालविया, श्री केशव देव (बस्ती)

मालविया, श्री मोतीलाल (खजुराहो––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––मध्य)

म–(क्रमशः)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वल्लोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनूं)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कल्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री राम सेवक (बारांबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)

रंगाराव, श्री (करीम नगर)

रघुनाथसिंह जो, श्री (बाड़मेर)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)

रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र–(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (चम्पारन––रक्षित––अनूजित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौला, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)

राव, श्री सिरुमल (काकिनाडा)

र–(क्रमशः)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंसुंगग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नानी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व–(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

बोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरप्पा, श्री मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवन चन्द (गुरुदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बारांबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (वालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

स–(क्रमशः)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रताप (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह–(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा,—श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हुडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हुमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुबीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति,**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडार

श्री वै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरूआ

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० अ० कट्टी

श्री भाऊ साहब रावसाहब महाशंकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री बुतुकुरु रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घारे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानूलिंगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनु शंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वम्मी

श्री ले अचौ० सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारयण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपलानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री ब्रजराज सिंह

श्री प्र० के० देव

श्री शिवराज

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या— सभापति

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री कन्हैया लाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री कोडियान

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री टीका राम पालीवाल

श्री रोहित एम० दवे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री त्र० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री —श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मौ० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामघर मिश्र

लोक-सभा

गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०

२२ माघ, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र

†*६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा तथा संघ लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाओं के केन्द्र खोलने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** संघ लोक सेवा आयोग का विचार इस मामले पर इस वर्ष अप्रैल या मई में किसी समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभापति से विचार विमर्श करने का है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसी प्रार्थना की है ?

†**श्री दातार :** केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन ऐसे राज्य हैं जहां संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र नहीं हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा केन्द्र खोलने का प्रश्न कुछ समय से अनिश्चित पड़ा है । इस मामले का शीघ्र निश्चय करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री दातार :** यह मामला कुछ समय से अनिश्चित पड़ा है । कठिनाई भोपाल या इन्दौर में से एक स्थान चुनने की भी है । भोपाल में आवश्यक स्थान का अभाव है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कौन-कौन स्थान संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं और क्या-क्या कठिनाइयां सामने आई हैं ? क्या मध्य प्रदेश सरकार में कोई मतभेद हैं या संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार में कोई मतभेद है ?

†मूल अंग्रेजी में

353 (Ai)LSD—1.

†**श्री दातार** : भोपाल और इन्दौर दो संभावी स्थान थे। परन्तु इन्दौर ब्रांच लाइन पर है और संभव है कि सुविधाजनक न रहे। भोपाल में स्थान का अति अभाव है और मध्य प्रदेश सरकार का भी विचार है कि कुछ मास उपरान्त वे आवश्यक स्थान दे सकेंगे।

†**श्री बहादुर सिंह** : जिन राज्यों में कोई परीक्षा केन्द्र नहीं हैं क्या उन से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों का कोई अनुमान लगाया गया है?

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। हम सभी सुविधाजनक स्थानों में परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए उत्सुक हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर या जबलपुर आदि अन्य स्थानों के नाम दिये थे और क्या संघ लोक सेवा आयोग ने उन पर विचार किया था?

†**श्री दातार** : मुझे ऐसी किसी सिफारिश का ज्ञान नहीं है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

\+

*९९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के शिक्षण में भारतीय भाषाओं को कहां तक माध्यम बनाया जा सकता है इस प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ समय पहले जो कार्यकारी दल नियुक्त किया था, उसने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है; और

(ख) उस दल का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कार्यकारी दल का पहला अधिवेशन १५ फरवरी, १९६० को होगा।

(ख) अभी से बताना कठिन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है तो क्या कारण है कि अभी तक कार्यकारी दल की एक बैठक भी नहीं हो पाई है? और मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में इतनी देरी क्यों की जा रही है?

डा० का० ला० श्रीमाली : आप जानते ही हैं कि इस काम को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन कर रहा है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के सामने जो समस्या है उसको वह अच्छी तरह से जानता है और उसको सुलझाने का प्रयत्न भी कर रहा है। आप जानते ही हैं कि यह काम बहुत कठिन है, आसानी से नहीं हो सकता है। जो कुछ काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने किया है और जो कदम उठाये हैं, मेरे ख्याल से वे संतोषजनक हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि आज से कई वर्ष पहले डा० राधाकृष्णन् जी की अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी कमिशन बिठाई गई थी, और उसने भी यह सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए और उसके बाद आफिशियल लैंगुएज कमिशन ने

---

†मूल अंग्रेजी में

भी इसका समर्थन किया था ? यदि यह सत्य है तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में इतनी देरी किये जाने की क्या गवर्नमेंट उचित समझती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि राधाकृष्णन् कमिशन ने यह सिफारिश की थी कि हमारी यूनिवर्सिटी में शिक्षा का जो माध्यम है वह प्रादेशिक भाषायें या हिन्दी हो । लेकिन जैसा सदस्य महोदय जानते हैं कि यह सिफारिश यूनिवर्सिटी के लिए थी और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वे स्वतंत्र हैं इस मामले में और उनको कोई आदेश हमारी तरफ से नहीं दिया जा सकता है। हां इस बारे में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से सिफारिश जरूर की गई थी । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उस सिफारिश को मंजूर कर लिया था और इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन को यनिवर्सिटीज को भेज दिया गया था । अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने इस काम को उठाया है और मैं समझता हूं कि इसमें आगे प्रगति ठीक तरह से होगी ।

†श्री दी० च० शर्मा : इस कार्यकारी दल के सदस्य कौन हैं और क्या वे शिक्षा मंत्रालय के अन्य कार्यकारी दलों के भी सदस्य हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा विचार है कि उस विवरण में सदस्यों के नाम दिये हैं । फिर भी मैं उनके नाम पढ़ता हूं :

हिन्दी : प्रो० वीरेन्द्र वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी प्रोफेसर ।

पंजाबी : सरदार निरंजन सिंह, खालसा कालिज, अमृतसर और दिल्ली के भूतपूर्व प्रिंसिपल (रसायन शास्त्र) ।

बंगला : प्रो० बुद्ध देव बोस, तुलनात्मक साहित्य (बंगला) के जाधवपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ।

मराठी : प्रो० जी० डी० पारिख, बम्बई विश्वविद्यालय के रेक्टर ।

कन्नड़ : प्रो० सी० के० वेंकटरामैया, मैसूर सरकार के भूतपूर्व सरकारी अनुवादक ।

तेलगू : डा० गोविन्दाराजूलू, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ।

तामिल : प्रो० नारायणस्वामी पिल्ले, अन्नामलाई विश्वविद्यालय ।

मलायलम : प्रो० के० एम० जार्ज, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सह-सचिव ।

गुजराती : श्री मगनभाई पी० देसाई, गुजरात विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ।

उड़िया : श्री सदाशिव मिश्र, खेनशा कालिज, कटक के प्रिंसिपल ।

आसामी : गोहाटी विश्वविद्यालय के डा० विरिंचि कुमार बरुआ ।

उर्दू : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के० प्रो० ए० ए० सरूर ।

कश्मीरी : प्रो० जे० एन० भान, जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ।

श्री ब्रज राज सिंह : क्या यह सत्य है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन उन यूनिवर्सिटीज के रास्ते में जो खुद हिन्दुस्तानी भाषाओं में पाठ्यक्रम रखना चाहती हैं रोक लगा रहा है और उन विश्वविद्यालयों को जो कि हिन्दुस्तानी भाषाओं में पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं, ग्रांट्स कम देता है या बिल्कुल नहीं देना चाहता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमिशन स्वयं इस बात की कोशिश कर रहा है कि प्रादेशिक भाषायें माध्यम हो जाएं और उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और सदस्य महोदय कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रोड़े अटका रहा है, यह तो उनका बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि संसार के स्वाधीन राष्ट्रों में केवल हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है क्या, जहां पर कि अब भी मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन फारेन लैंगुएज है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके बारे में इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन यह सही है कि हिन्दुस्तान में अभी माध्यम अंग्रेज़ी है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि धीरे धीरे प्रादेशिक भाषायें माध्यम बन जाएं ।

श्री बि० दास गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्किंग ग्रुप की टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं और क्या यह वर्किंग ग्रुप यह भी तय करेगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी लैंगुएजिज मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन होंगी या मीडियम आफ एग्ज़ेमिनेशन होंगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक माध्यम का सम्बन्ध है, यह तो यूनिवर्सिटीज को ही तय करना पड़ेगा, उन्हीं को इसके बारे में फैसला करना होगा क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हद तक स्वतन्त्र हैं, आटोनोमस हैं । इस वर्किंग ग्रुप का काम यह होगा कि किस तरह से साहित्य का निर्माण किया जा सकता है, कि पुस्तकों का अनुवाद किया जाये और इनके बारे में यह वर्किंग ग्रुप बैठ कर विचार करेगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या कार्यकारी दलों के निर्देश पदों के अनुसार वे प्रशासन तथा वाणिज्य व उद्योग में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने एवं उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश कर सकते हैं ताकि विश्वविद्यालयों के भावी स्नातकों पर उनकी शिक्षा के माध्यम के कारण रोजगार पाने में प्रतिबन्ध न लगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस कार्यकारी दल का उद्देश्य बहुत ही सीमित है । इसकी स्थापना विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए हुई है । यह मेरे माननीय मित्र के इस प्रश्न की जांच नहीं करेगा ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ :** क्या मानव शास्त्रों के लिए प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का और इस सम्बन्ध में प्राप्त अनुभव की दृष्टि से उन्हें विज्ञान तथा अन्य विषयों में लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यही बात है । धीरे धीरे हम प्रादेशिक भाषायें अपनाना चाहते हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** कार्यकारी दल के सुझाव के अनिश्चित रहने के कारण क्या विश्वविद्यालयों को कोई अनुदेश दिये गये हैं कि वे शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को बनायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पहिले ही बता चुका हूं कि इस मामले में विश्वविद्यालयों को कोई निदेश या अनुदेश नहीं दिये जा सकते । विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उनसे अनुरोध व प्रार्थना कर सकता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले में कोई निदेश या अनुदेश नहीं दे सकता (**अन्तर्बाधा**) ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब तक माननीय मंत्री के उत्तरों से माननीय सदस्यों को विदित हो गया होगा कि किसी भी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना स्वयं विश्वविद्यालयों के हाथ में है क्योंकि वे स्वायत्तशासी निकाय हैं। कार्यकारी दल तो केवल यह कर सकता है कि यदि वे अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहें तो यह देखे यह कार्य शीघ्र और सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार किया जा सकता है। जहां तक सरकारी भाषा का प्रश्न है, वह वहां के विधान मंडल और राज्य सरकार के हाथ में है। वे अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा को सरकारी भाषा बना सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कई वर्षों पहले इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों ने कोई कारण बतलाये हैं कि क्या अड़चनें हैं, या क्या कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह क्या कर सकते हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो कारण है वह हर सब लोग जानते हैं। कारण यह है कि अभी तक मौलिक पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में हीं हैं। न तो अनुवाद हैं और न मौलिक पुस्तकें लिखी गई हैं। जब तक मौलिक पुस्तकें तैयार न हों, मैं नहीं समझता कि युनिवर्सिटीयों के लिए यह सम्भव है कि वह प्रादेशिक भाषाओं में एक दम से बदल सकें।

†**श्री गोरे :** कितने विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कई विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषाओं का शिक्षा का माध्यम बना लिया है परन्तु यहां मेरे पास विवरण नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो में विवरण पटल पर रख दूंगा।

इस्पात कारखानों के लिए कोकिंग कोयला

\+

†*६७. **श्री रा० च० माझी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महन्ती :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगली में कोयला धोने के कारखाने में आजकल कितने कोकिंग कोयले का उत्पादन होता है और वहां से कितना कोयला भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों को भेजा जाता है ;

(ख) क्या वह मात्रा पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो कमी की पूर्ति कैसे होती है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जमशेदपुर और बर्नपुर के इस्पात कारखानों में कोकिंग कोयले की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कोयला धोने के नये कारखानों के लिए क्रयादेश दे दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) जनवरी १९६० में करगली के कोयला धोने के कारखाने में ९६,९६२ टन कोयले का उत्पादन हुआ जिसमें से भिलाई और राउरकेला को ६७,६०६ टन कोयला भेजा गया ।

(ख) हां । सच तो यह है कि कारखाने का उत्पादन इन इस्पात कारखानों की आवश्यकता से अधिक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) नहीं । उनकी समूची आवश्यकता पर्याप्त रूप में पूरी की जा रही है ।

(ङ) समस्त इस्पात कारखानों के लिए धुले कोयले की उपलब्धता बढ़ाने का अन्तिम उद्देश्य होने की दृष्टि से एक नया कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री रा० च० माझी : कोयला धोने के नये कारखानें कहां कहां खुलेंगे ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : तीन चार स्थानों पर कोयला धोने के नये कारखाने खोलने की योजन बनाई जा रही है और ये स्थान हैं दुगदा, पठारदी और भोजदी । दुर्गापुर में एक कारखाना प्रायः पूर्ण हो गया है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : करगली के कोयला धोने के कारखाने में पूर्ण क्षमता पर कार्य होगा क्योंकि जनवरी १९६० में इसकी क्षमता निश्चित क्षमता की केवल ४० प्रति शत थी ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : करगली के कोयला धोने की निर्धारित क्षमता १६ लाख टन है और आजकल हमें ११ या १२ लाख टन धुला कोयला मिलता है । इसकी अधिकतम क्षमता इस्पात कारखानों के पूर्ण उत्पादन पर निभर होगी ।

†श्री विमल घोष : उत्तर यह था कि इस्पात कारखानों को सारा कोकिंग कोयला मिलेगा । क्या इससे रेलों को अपेक्षित कोयला न मिल सकेगा या यह उसके अतिरिक्त होगा ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कोयला धोने के ये कारखाने इस्पात कारखानों के लिए हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : उत्तर में कहा गया था कि जनवरी, १९६० में करगली के कोयला धोने के कारखाने में ९२,००० टन कोयला धोया गया । यह लगभग १० लाख टन प्रति वर्ष होता है । इस कारखाने में कितनी पारियों में कार्य होता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं बता चुका हूं आंकड़े ९२,००० टन के थे । मैं अभी यह नहीं कह सकता कि वहां कार्य कितनी पारियों में होता है ।

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करगली का कोयला धोने का कारखाना पर्याप्त है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं तो यही समझता हूं ।

†श्री च० द० पांडे : क्या सरकार को विदित है कि ४५ लाख टन निर्मित इस्पात के वर्तमान उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोयले के करखानों का पूर्ण उत्पादन पर्याप्त होगा ? हम इस उत्पादन को दुगना करने का विचार रखते हैं जिसका अर्थ है कि उत्पादन बढ़ कर लगभग १ करोड़ टन हो जायेगा । क्या सरकार का विचार अपेक्षित कोयला धोने के लिए कोयला धोने के अन्य कारखानों की यथासमय व्यवस्था करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** वर्तमान इस्पात उत्पादन के लिए कोयला धोने के कारखानों का वर्तमान उत्पादन पर्याप्त है । हम दुर्गापुर, दुगदा, पठारदी और भोजदी में कोयला धोने के चार कारखाने खोलेंगे । ४५ लाख टन निर्मित इस्पात के उत्पादन की आवश्यकतापूर्ति के लिए यह पर्याप्त होगा । इससे अधिक वृद्धि तृतीय योजान के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्रस्तावित इस्पात-उत्पादन पर निर्भर होगी । मुझे विश्वास है कि तृतीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही कोयला धोने के कारखानों की योजना बनाई जायेगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** सभा सचिव के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोरबा में कोयला धोने के कारखाने बनाने का प्रस्ताव किया है; और यदि हां, तो उत्तर में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कोयला बोर्ड ने किन परिस्थितियों में जमशेदपुर इस्पात कारखाने को उन श्रेणियों का कोयला प्रयोग करने के आदेश दिये हैं जिन्हें उन्होंने उनमें राख का भाग अधिक होने के कारण प्रयोग करने से मना कर दिया था ? कहा गया है कि धातुकर्मिक कोयले का उत्पादन पर्याप्त है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** आजकल हम अपने इस्पात उत्पादन के लिए केवल धुला कोयला ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं । हम अन्य प्रकार का कोयला भी प्रयोग कर रहे हैं । अत: कदाचित कोयला बोर्ड ने धुले कोयले के साथ अन्य श्रेणियों का कोयला भी प्रयोग करने का परामर्श दिया है ।

बाल संग्रहालय, दिल्ली

\+

†*६८. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बाल संग्रहालय की योजना और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का प्राक्कलित व्यय क्या है ; और

(ग) संग्रहालय के निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). नई दिल्ली में बाल संग्रहालय की इमारत की योजना व प्राक्कलन तैयार हो गये हैं परन्तु अभी वे अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुए हैं ।

श्री रा० च० माझी : ये कब तक निश्चित होंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आजकल उनका पुनरीक्षण हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन आयोग की सिफारिशें

+

*६९. श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री आसर :
श्री राम गरीब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की अवशिष्ट सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]

†श्री वाजपेयी : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्रधान मंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए क्या अवशिष्ट सिफारिशों पर, विशेष रूप से उन सिफारिशों पर जिनका कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अन्तिम रूप से निर्णय करते समय क्या परामर्श के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री ब० रा० भगत : इसे आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि आयोग के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए संघों और यूनियनों को काफी समय मिला था और उनके अभ्यावेदन भी अब हमारे सामने हैं । हमने जो भी निर्णय किये हैं उनके द्वारा उठायी गयी बातों पर विचार करने के पश्चात् ही किये हैं । इसलिए उन्हें आगे और परामर्श के लिए आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या आयोग ने एक शनिवार छोड़कर कार्यालय खोलने की सिफारिश की थी लेकिन सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया जिससे कर्मचारियों को तीन शनिवारों पर काम करना पड़ता है और अन्तिम शनिवार की छुट्टी घोषित कर दी गयी है । क्या शनिवार के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश में परिवर्तन करने के सरकार के निर्णय ने कर्मचारियों में भीषण अशांति पैदा कर दी है, यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने वाली है और क्या उसके सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं :

†श्री तिम्मय्या : क्या वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय कतिपय उन विभागों पर भी लागू होंगे जिन्हें भारत सरकार ने बिल्कुल हाल ही में अपने हाथ में लिया है ?

†श्री ब० रा० भगत : निर्णय लेते समय इन सभी बातों का विवरण दे दिया गया था । वेतन आयोग की सिफारिशें मौजूद ही हैं । सरकार द्वारा किये गये निर्णय हम माननीय सदस्यों के पास भेज ही चुके हैं । उन निर्णयों से सम्बन्धित शर्तों का उनमें स्पष्टीकरण कर ही दिया गया है । इस प्रश्न का मैं कोई समान्य उत्तर नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर कल चर्चा होने वाली है। उस वाद-विवाद में माननीय सदस्यों को अपनी बातें उठाने का मौका मिलेगा । यदि उन्हें मौका न मिला हो तो वे अन्य सदस्यों को अपने विचार बता कर उनसे वह सवाल उठाने के लिए कह सकते हैं ।

†**श्री तिम्मया** : कुछ विभागों को भारत सरकार ने अपने अधीन वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद लिया है । क्या आयोग की सिफारिशें उन विभागों पर भी लागू होंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह प्रश्न माननीय मंत्री से कल पूछें । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुझ से कहा गया था कि हो सकता है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये जो समय नियत किया गया है वह पर्याप्त न हो । इसलिये मैं उस विषय को आज की कार्यसूची में भी शामिल करवाना चाहता था । लेकिन ऐसा नहीं हो सका है ।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने कल कहा था कि यह माननीय वित्त मंत्री की सुविधा पर निर्भर करेगा । वित्त मंत्री ने बताया कि आज दोपहर बाद वह यहां न आ सकेंगे । इसलिये यह विषय आज की कार्य-सूची में शामिल न किया जा सका । अब यह कल आयेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कल आयेगा और कल ही इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी । प्रत्येक सदस्य जो इस विषयमें दिलचस्पी रखता हो ऐसी बातों पर अपने प्रश्न पटल पर सचिव को भेज सकता है जिनका पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है । मैं वे सब प्रश्न माननीय मन्त्री को भिजवा दूंगा ताकि वह बाद में उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दे सकें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तो क्या हम यह समझें कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये जो समय निर्धारित किया गया है उसमें कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं हमने सोचा था कि इसके लिये आज कुछ समय निकाला जा सकेगा । परन्तु माननीय वित्त मंत्री आज सदन में न आ सकेंगे । इसलिये अब तो यही हो सकता है कि इस मामले पर जो कुछ भी कहा जाना हो वह कल कह दिया जाये और कल ही चर्चा समाप्त कर दी जाये ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : परन्तु कल तो शुक्रवार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे मालूम है । अगर कल कुछ बातें कहने से रह जायें तो उनका जिक्र बजट पर बहस के समय या वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान किया जा सकता है ? अभी तो माननीय सदस्यों को इन बातों को उठाने के लिये अनेक अवसर प्राप्त होंगे । अभी तो राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा बाकी है । और भी कई मौके आयेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अगर आज वित्त मंत्री को फुर्सत नहीं है तो उपमंत्री तो मौजूद हैं । हम चर्चा मात्र प्रारम्भ कर सकते हैं । जो सदस्य तैयार हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अब मैं समय नहीं बढ़ाऊंगा । हमने यह विषय कार्य मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट किया था । अगर सम्भव होता तो आज इसके लिये कुछ समय दिया जा सकता था । परन्तु दुर्भाग्य से, माननीय वित्त मंत्री आज न आ सकेंगे । इसलिये अब तो यह विषय कल ही लिया

---

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा। इस पर भी यदि कुछ पूछने से रह जायें तो उसके बारे में सदस्य प्रश्न भेज सकते हैं। फिर भी अगर कुछ बाकी रह जायें तो वे बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, आयव्ययक पर चर्चा और वित्त विधेयक पर विचार के दौरान उठाई जा सकती हैं।

केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन

+

†*७१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारतीय जड़ी-बूटी संगठन की स्थापना में इस बीच और कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): मद्रास और पश्चिम बंगाल में औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को विकसित करने के अलावा केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन के परामर्श से केरल राज्य में ६ महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित करने के लिये और आगे कार्यवाही की जा रही है।

एक सहायक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है और आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही काम पर आ जायेगा।

†श्री दी० चं० शर्मा: क्या इस योजना में हिमाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया जायगा ताकि वहां भी औषधीय जड़ी बूटियों की खेती की जा सके ?

†श्री हुमायून् कबिर : अन्ततोगत्वा इस योजना को भारत के ऐसे किसी भी भाग तक ले जाने का विचार है जो उपयुक्त हो, लेकिन फिलहाल यह कार्य उन्हीं तीन राज्यों में किया जा रहा है जिनका मैंने उल्लेख किया है।

कोयले के लिए पट्टे का फार्म

+

†*७२. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के लिये पट्टे के नये स्टैण्डर्ड फार्म का मसौदा तैयार करने के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया हो तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कोयले के लिये पट्टे के एक नये स्टैन्डर्ड फार्म की व्यवस्था करने का प्रश्न खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अधीन जारी किये गये नये खनिज रियायत नियमों में शामिल किये जाने के लिये प्रस्तावित अन्य खनिजों सम्बन्धी आदर्श पट्टा-फार्मों के साथ-साथ अब भी विचाराधीन हैं। प्रस्तावित खनिज रियायत नियमों पर कुछ राज्य सरकारों के टिप्पणों के आने की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है। इसीलिये विलम्ब हुआ है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : कोयले के पट्टे के स्टैन्डर्ड फार्म बनाने का प्रस्ताव खनिज मंत्रणा समिति ने १९५८ में किया था। कितनी राज्य सरकारों ने अपनी प्रतिक्रिया सूचित कर दी है और कितनी राज्य सरकारों के सुझावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: खनिज रियायत नियमों में पट्टे के फार्म का एक नमूना मौजूद था। यदि राज्य सरकारें उसमें परिवर्त्तन करना चाहतीं तो उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं थी। अब खनिज रियायत नियमों में ही संशोधन किया जाना है। मैं बता चुका हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। हम अब कुछ राज्यों की सिफारिशों की प्रतीक्षा में हैं और इसी वजह से देर हो गयी है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल**: खनिज मंत्रणा समिति ने जिन परिवर्त्तनों का सुझाव दिया है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी से उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न लेने से पहले मुझे वेतन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी चर्चा के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। संसद्-कार्य मंत्री से मैंने बात की थी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की माननीय सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज के लिये रखा गया विधान-कार्य समाप्त होते ही वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ कर दी जायगी। जो भी माननीय सदस्य तैयार हों वे आरम्भ में बोल सकते हैं। यदि वे तैयार न हों तो हम हम दूसरा कार्य ले सकते हैं।

†**श्री विमल घोष** : इसका अर्थ तो यह हुआ कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के सम्बन्ध में चर्चा आज नहीं होगी ? क्या वह अगले सप्ताह होगी ?

संसद् गृह-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अनियत दिन वाला प्रस्ताव आज नहीं लिया जायगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा कल २.३० बजे तक चलेगी। चर्चा के लिये अधिक समय देने के ख्याल से इसे आरम्भ तो आज से ही कर दिया जायगा लेकिन वक्ताओं के अभाव में इस समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो मैं दण्डकारण्य विकास-प्राधिकार के बारे में चर्चा आरम्भ कर दूंगा और वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये केवल २।। घंटे मिल सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने में विस्फोट

+

†*७३. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अमजद अली :
श्री प्र० गं० देब :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री हेमराज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी, १९६० को खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने में विस्फोट हो गया था जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति को की मृत्यु हो गयी; और

(ख) यदि हां, तो विस्फोट का पूरा ब्यौरा क्या है और नियुक्त की गयी जांच समिति की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)** : (क) मुझे यह बताते हुए खेद होता है कि इस प्रकार की घटना हुई थी ।

(ख) १ जनवरी, १९६० को लगभग ०३.२५ बजे जिस समय खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने के एफ-६ सैक्शन के भवन संख्या २०० में गोलियों को अलग करने और उबालने का काम जारी था, एक गोली फट गयी । विस्फोट के समय उस भवन में ३ व्यक्ति काम कर रहे थे । विस्फोट के फलस्वरूप उस भवन की छत पूरी तरह उड़ गयी और एक व्यक्ति मारा गया तथा ४ अन्य व्यक्ति घायल हो गये । एक जांच अदालत बैठी थी और उसकी उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ था ? जांच अदालत का प्रतिवेदन आने तक क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह विस्फोट किसी लापरवाही के कारण हुआ या बिल्कुल दुर्घटनावश हुआ था ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : इस समय इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ? हम जांच अदालत का प्रतिवेदन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या कोई विभागीय जांच की गयी थी ?

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : जांच अदालत ने ही विभागीय जांच की है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह दुर्घटना 'डेंजर बिल्डिंग में हुई थी, और क्या डेंजर बिल्डिंग में अपेक्षित बचाव की सारी कार्यवाही कर ली गयी थी और क्या उस के बावजूद यह दुर्घटना हो गयी थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : जांच अदालत को इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही तो अपना प्रतिवेदन देना है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि इस प्रतिवेदन के आने में काफी समय लग जायेगा और पूरा मुआवजा देने में भी देर लगेगी, क्या मृत श्रमिक की पत्नी, श्रीमती कामले को कोई तदर्थ मुआवजा दे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़** : जी हां मुआवजे की शक्ल में ३,००० रुपये मंजूर किये जा चुके हैं ।

†**श्री हेमराज** : विस्फोट से हुई हानि का अनुमान लगा लिया गया है ।

†**श्री रघुरामैया** : हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मर गया और चार घायल हुए हैं । अन्य बातों के सम्बन्ध में जांच अदालत के प्रतिवेदन के आने से पहले कुछ भी कहना उचित न होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम से कहा गया है इस विस्फोट के सम्बन्ध में हमें जानकारी जांच अदालत के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् मिल सकेगी । लेकिन जब एक माननीय सदस्य ने कारखाने को हुई क्षति का परिमाण बताने के लिए कहा तो यह कहना कि यह जानकारी भी जांच अदालत का प्रतिवेदन आने के बाद मिल सकेगी तो विचित्र लगता है ।

†**श्री रघुरामैया** : जो उत्तर पढ़ा गया था यदि मेरे मान्य मित्र ने उसे सुना होता तो बात उन की समझ में आ गयी होती । जैसाकि उत्तर में ही कहा गया है, हमारे पास जो जानकारी है वह यह है कि इमारत की छत पूर्णतः उड़ गयी, एक व्यक्ति मारा गया और चार अन्य घायल हुए हैं । जहां तक क्षतिग्रस्त वस्तुओं की वास्तविक कीमत आदि का सम्बन्ध है, उस के लिये हमें जांच अदालत के प्रतिवेदन का इंतजार करना होगा । हमारे पास सिर्फ़ इतनी ही जानकारी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह शस्त्रास्त्र बनाने का कारखाना है और आसानी से यह जाना जा सकता है कि उस विस्फोट के फलस्वरूप किस प्रकार के गोली-बारूद को क्षति पहुंची और उस की कीमत भी कूती जा सकती है ।

†**श्री रघुरामैया** : मैं केवल वही जानकारी दे सकता हूं जो उपलब्ध है । जो जानकारी हमारे पास है उसे मैं सभा के समक्ष रख चुका हूं । जांच अदालत की कार्यवाही से और जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे भी निस्सन्देह सभा के समक्ष रख दिया जायगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम इसी उपेक्षा को तो बर्दाश्त नहीं करना चाहते । यह विस्फोट जनवरी में हुआ था, अब फरवरी है और विभाग अब भी कहता है कि उसे उस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम । यदि वे युद्ध-सामग्री कारखानों को इस ढंग से चलाया जायगा तो उन्हें कोई नहीं चलाने देगा ।

†**श्री रघुरामैया** : यह कहना क़तई ग़लत है और उपेक्षा करने की बात मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक वह सिद्ध न हो जाय । यह उपेक्षा के कारण हुआ या नहीं यह एक ऐसा मसला है जिस के निर्णय के लिये हमें जांच अदालत के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी । एक एक या दो व्यक्तियों की राय की बात नहीं है । जांच अदालत को इस की जांच कर इस बात का पता लगाना होता है कि दुर्घटना का कारण क्या है ।

†**अध्यक्ष महोदयः** शान्ति, शान्ति । इस का और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये । जांच अदालत के कृत्य संभवतः इस घटना के उत्तरदायित्व का पता लगाना होता है । जहां तक क्षति-ग्रस्त सामान का सम्बन्ध है, इस बात का पता विभाग को लगाना पड़ता है कि कौन सी मशीन नष्ट हुई है, कितनी हानि हुई है, आदि । क्या यह भी जांच अदालत का ही काम है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ऐसा तो हो ही नहीं सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हो सकता है । क्या इस बात का पता लगाने के लिए भी विभाग को जांच अदालत का ही मुंह जोहना पड़ेगा ? कितनी हानि हुई है ? क्या वे स्वतंत्र रूप से हानि का अनुमान नहीं लगा सकते ?

†**श्री रघुरामैया :** मैं अपने पास की सारी जानकारी सभा के समक्ष रख देने को राजी हूं । हमें जो सूचना मिली है उस के अनुसार जिस समय खमरिया के कारखाने में गोलियों को पुनर्नवन के लिये खोला जा रहा था, विस्फोटक-पात्र उस समय उबाले जाते समय फट गया जिस के फल-स्वरूप उस इमारत की पूरी छत उड़ गई ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मशीनों का क्या हुआ ?

†**श्री रघुरामैया :** हमें कोई जानकारी नहीं है । मैं निश्चय ही यह जानकारी मंगा कर सभा के सामने रख दूंगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** जांच समिति अथवा जांच अदालत के निर्देश-पद क्या हैं ? क्या विस्फोट के फलस्वरूप हुई हानि का पता लगाने की बात निर्देश-पदों में शामिल है ।

†**श्री रघुरामैया :** मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि निर्देश-पद यह हैं कि उनको इस दुर्घटना की जांच कर इस के कारणों का पता लगाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या "कारणों" में क्षति का अनुमान लगाने की बात भी शामिल है ? माननीय सदस्य यह उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घटना होने के तत्काल बाद सम्पत्ति के स्वामी को क्षति के परिमाण का ज्ञान होना ही चाहिये । अधिकारियों को इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिये यह कितनी थी या उसके कारण क्या थे ? उस के लिये कौन उत्तरदायी था ? अब तक करीब दो महीने बीत चुके हैं । जांच अदालत तो इस की जांच करेगी ही, परन्तु यह क्या बात है कि सरकार के पास इस के अलावा कोई जानकारी नहीं है कि इमारत गिर गयी, आदि । हानि का पता लगाने के लिए कोई न कोई माननीय सदस्य प्रश्न अवश्य पूछेंगे । कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा "क्या बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, कितनी क्षति हुई है", आदि । वास्तव में यह बड़े ताज्जुब की बात है कि सम्बन्धित विभाग ने हानि आदि का पता नहीं लगाया । मंत्री महोदय यथासंभव शीघ्र इस बात का पता लगायें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** जिस हाल में विस्फोट हुआ क्या उस में कुछ उपकरण थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय को जितनी भी जानकारी दी थी वह उन्हों ने सभा को दे दी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** विस्फोट का तात्कालिक कारण क्या था ? हम यह जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यथासंभव शीघ्र मंत्री महोदय जांच अदालत के प्रतिवेदन के अलावा अपनी जांच के आधार पर अधिक से अधिक जानकारी दे देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे लोहे की बिक्री

+

†*७४. **श्री पांगरकर :**
श्री अब्दुल सलाम :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील द्वारा भिन्न-भिन्न देशों के हाथ अब तक कितना कच्चा लोहा बेचा गया है ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों में इस्पात तैयार करने के सेक्शन जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक ही इस कच्चे लोहे का निर्यात करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अब तक तैयार किये गये १,३६,९०० टन कच्चे लोहे को भिन्न-भिन्न देशों को निर्यात करने का प्रबन्ध कर लिया गया है ।

(ख) जी हां ।

†**श्री पांगरकर** : भारत में इस समय कितना कच्चा लोहा तैयार होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वार्षिक प्रतिवेदन में देखा जा सकता है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : १९५९-६० में सारे इस्पात संयंत्रों से ९,७०,००० टन कच्चा लोहा तैयार किया गया था ।

†**श्री पांगरकर** : देश में इस समय कच्चे लोहे की कुल कितनी आवश्यकता होती है ? **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सीधे खड़े हो कर धीरे-धीरे और स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री पांगरकर** : देशमें ढलाई वाले कच्चे लोहे की वार्षिक आवश्यकता कितनी है? **(अंतर्बाधा)**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह १९५९-६० का उत्पादन इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैंने जितना उत्पादन होने की आशा है उस के आंकड़े दिये हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : विभिन्न देशों को किस भाव पर कच्चे लोहे का निर्यात किया गया है ? क्या यह भाव नौतल पर्यन्त है और सारे देशों के लिये समान है अथवा अलग-अलग देशों के लिये भाव अलग-अलग है ? यह भाव जब हमारे यहां कच्चे लोहे की कमी थी तो हमने उस का जो मूल्य दिया था उस की तुलना में कितना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ? मैं इसे पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हमने कच्चे लोहे का निर्यात तो अब किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मूल्य के बारे में प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मैंने देखा है कि जब कोई एक सदस्य प्रश्न पूछता है तो और सदस्य बीच में आकर विस्तारपूर्वक प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। यदि वह स्वयं ही इसे पूछने में इतना चाव रखते हैं तो वह अलग से प्रश्न क्यों नहीं पूछते? वह विस्तार में जाना चाहते हैं। कोई भी मंत्री और विशेषकर सभा-सचिव सब कुछ कैसे जान सकता है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : कच्चे लोहे का निर्यात किस भाव पर किया गया है?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को कुछ समय बाद पूछने की अनुमति दूंगा।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : १,३६,९०० टन में से कितने का निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : पिछले वर्ष हमने विदेशों को लगभग ५०,००० टन कच्चा लोहा भेजा था।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : किस देश को?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अवकाश के समय इसकी पूछ-ताछ कर लें। संसार के सैंकड़ों देश हो सकते हैं।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मेरे पास ब्योरा है। यदि माननीय सदस्य चाव रखते हों तो मुझे जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसमें समय लगेगा। जुलाई में हमने जापान को १७,००० टन; अगस्त में जापान को १,१०० टन निर्यात किया था; सितम्बर में जापान को १,९०५ टन; अक्तूबर में जापान को १७,८०० टन और नवम्बर में १६,४३६ टन कच्चे लोहे का निर्यात किया था। इस प्रकार यह योग लगभग ५३,००० टन था। मैंने अनुमानतः ५०,००० टन कहा था।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : किस मूल्य पर निर्यात किया गया था?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मेरे पास मूल्य का ब्योरा भी मौजूद है। यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं ब्योरे को पढ़ कर सुना दूं।

†अध्यक्ष महोदय : वह मूल्य पढ़ दें।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : हनुमान फाउण्ड्रीज लिमिटेड ने १८१ रुपये प्रति टन रेल पर्यन्त के हिसाब से २०,००० टन का अपना उद्धरण दिया है।

विकास ऋण निधि

†*७५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अमजद अली :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जनवरी १९६० के द्वितीय सप्ताह में संयुक्त राज्य विकास ऋण निधि से और अधिक ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से विकास ऋण निधि के प्रबन्ध निदेशक से जो बात चीत हुई थी उसका क्या परिणाम निकला है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : विकास ऋण निधि के प्रबन्ध निदेशक श्री वांस ब्रांड के हाल में जनवरी, १९६० में नई दिल्ली के उनके दौरे पर विकास ऋण निधि द्वारा जिन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था करना उपयुक्त समझा गया उन पर भविष्य में ऋण के बारे में वार्ता की गई थी। वार्ता अभी समाप्त नहीं हुई है और जो आर्थिक कार्य महा आयोग द्वारा वाशिंगटन में जारी है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विकास ऋण निधि में से ऋणों का उपयोग किस काम में किया गया है?

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक वर्तमान ऋणों का संबंध है, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक वह पूरी न हो जाये तब तक हम यह नहीं कह सकते कि किन फर्मों में उनका उपयोग किया जायेगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार बता सकती है कि ये लोन कौन से सूद के रेट पर लिए जा रहे हैं? क्या सरकार को सूद की दर का पता है?

†**श्री ब० रा० भगत** : सूद का रेट भी तभी बताया जा सकता है जब सारी बात पूरी हो जाए।

†**श्री त्यागी** : भारत में वस्तुओं के बाज़ार मूल्यों एवं अन्य बातों पर मुद्रा स्थिति संबंधी भार को देखते हुए क्या सरकार अथवा योजना आयोग ने कोई ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है जिससे आगे राज्यों पर विदेशी ऋण का बोझ नहीं डाला जायेगा और यदि ऐसा है, तो वह सीमा कितनी है?

†**श्री ब० रा० भगत** : अधिकतम सीमा बाज़ार की मुद्रा स्फीति संबंधी भार के अनुपात में नहीं निर्धारित की जानी चाहिये, इनमें कोई संबंध नहीं है। यदि औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन शीघ्र होने लगता है तो मुद्रा स्फीति का भार कम हो जायेगा। अधिकतम सीमा तो न केवल मुद्रा स्फीती संबंधी विचार के कारण अपितु अन्य बातों से भी द्वितीय अथवा तृतीय योजना में निर्धारित की जानी है।

†**श्री त्यागी** : इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी ऋणों के विनियोजन से मुद्रास्फीति संबंधी भार पर काफी असर पड़ता है। क्या सरकार अथवा योजना आयोग ने कोई ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित की है, इसमें मुझे सन्देह है जिससे राज्यों पर विदेशी ऋण का भार न पड़े।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार इसी प्रकार की नीति अपनाये। माननीय मंत्री उनसे सहमत नहीं हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : सदन में कई बार इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि अधिकाधिक ऋण प्राप्त करने में हमारी भुगतान करने की क्षमता को भी ध्यान में रख जायेगा। जब तक हममें भुगतान की क्षमता है तब तक हमें ऋण लेना वांछनीय होगा।

†**श्री त्यागी** : क्षमता के बारे में आपका क्या अनुमान है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का सुझाव है कि न केवल भुगतान करने की क्षमता ही अपितु मुद्रा स्फीति संबंधी धारणा को भी विदेश से ऋण प्राप्त करने में ध्यान में रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : चूंकि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नौवहन के विकास को धक्का पहुंच रहा है, क्या इस ऋण में नौवहन को भी स्थान दिया जायेगा जिससे हमें नौवहन के विकास के लिये और अधिक ऋण प्राप्त हो सके ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह कार्रवाई करने के लिये सुझाव है जिसे ध्यान में रखा जायेगा ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : जैसा कि पिछली बार प्रबन्ध निदेशक द्वारा कहा गया है, क्या विकास ऋण निधि की नीति में अक्तूबर, १९५९ से कोई परिवर्तन किया गया है और अब खास जोर अमरीका के अन्दर संगठित वस्तुओं और सेवाओं की वित्त-व्यवस्था पर और विशेषकर विकास परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की वित्त व्यवस्था पर दिया जाता है जब कि ऋण लेने वालों की क्या पसन्द है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है कि नीति में परिवर्तन हुआ है । पहले तो ऋण सारे संसार में खरीद करने के लिये उपलब्ध हुआ करता था । अब यह ऋण अधिकाधिक अमरीका के अन्दर खरीद करने में सीमित रहेगा ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह सच है कि प्रबन्ध निदेशक ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि आगे से ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक ऋण दिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का उसमें हिस्सा रहेगा ।

†**श्री जाधव** : सभी परियोजनाओं के लिये विकास ऋण निधि में से हमारी कुल मांग कितनी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ऋण की कुल राशि और जिन परियोजनाओं के लिये वह उपलब्ध होगा आदि बातों पर बात-चीत की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम जितना ऋण चाहते हैं, वह मांग माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारी मांग तो बहुत अधिक है । इनके बारे में बात-चीत चल रही है । हम यह नहीं कह सकते कि हमारी मांग कितनी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह ऋण देने को तैयार हैं तो कुल कितनी एक मुश्त रकम की मांग की गई है ? हमारा कुछ प्रस्ताव भी तो होगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रतिवर्ष हमें १० करोड़ मिल रहे हैं । पिछले वर्ष हमें १० करोड़ मिले थे । १९५८–५९ तक हमें १९५० लाख मिल चुका है । इस वर्ष हमें अधिक ऋण मिलने की आशा है । निस्सन्देह यह राशि दस करोड़ से अधिक होगी ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : विकास ऋण निधि से अब तक कुल कितनी राशि मिल चुकी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अलग प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय उप मंत्री ने कहा है कि ऋण उसी शर्त पर दिया जाता है कि जिस देश से ऋण मिलता है खरीद वहीं से की जानी चाहिये । क्या सरकार का विचार भिन्न-भिन्न देशों से ऋण लेने के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से और अधिक ऋण लेने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** हम किसी भी अभिकरण अथवा देश से ऋण लेने का प्रयत्न करते है बशर्तेकि वह अच्छी शर्तों पर मिले ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या प्रतिबन्धों के कारण सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण लेने का सर्वाधिक प्राथमिकता देने का विचार करती है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं इस कारण जितने भी सूत्रों से हमें अच्छी शर्तों पर ऋण मिल सकता है, हम उसे ही ले लेते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** देश में अन्य भी अनेक वित्त-व्यवस्था करने वाले अभिकरण हैं । उन की नीति में विकास ऋण निधि से क्या अन्तर है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है । इस बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जहां तक इंगलैण्ड, अमरीका, जापान और जर्मनी जैसे देशों से ऋण लेने का सम्बन्ध है, उन्हीं देशों से खरीद करने का प्रतिबन्ध लगा हुआ था । केवल विकास ऋण निधि ही ऐसी है जिस से ऋण ले कर हम सामान सारे विश्व में जहां से चाहें खरीद सकते हैं । एक दूसरा अन्तर यह भी है कि विकास ऋण निधि में भुगतान रुपये में किया जा सकता है जबकि अन्य ऋण लेने पर दूसरे देशों की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है ।

सरकारी क्षेत्र की खानों में कोयले का उत्पादन

†*७८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का उत्पादन ८० लाख टन हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो १९५९ में इतना उत्पादन न कर सकने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या द्वितीय योजना काल के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में कोयले के वार्षिक उत्पादन के लिये निर्धारित १५० लाख टन के लक्ष्य की पूर्ति होने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी कमी की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) और (ख). दिसम्बर, १९५९ में सरकारी क्षेत्र में ६.४५ लाख टन उत्पादन की वृद्धि हो गई थी । इस से पता लगता है कि प्रतिवर्ष ७७ लाख टन से अधिक उत्पादन होगा जो १९५९ में निर्धारित लक्ष्य के काफी निकट है ।

(ग) योजना काल के अन्तिम मास के आस पास उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेने की काफी आशा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** १९५९ में सरकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन ६५ लाख टन हुआ था । द्वितीय योजना काल के अन्त तक अर्थात् मार्च, १९६१ तक यदि इसी प्रकार उत्पादन होता रहे तो हम १५० लाख के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रज़ी में

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की काफी संभावना है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कोयला खानों में यह अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** बहुत सी खानें हैं । मेरे पास इस के विस्तृत आंकड़े नहीं हैं कि किस कोयला खान में यह अतिरिक्त उत्पादन होगा किन्तु इस समय जैसी स्थिति है उस के अनुसार संभावना इसी बात की है कि उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत सरकारी क्षेत्र से कम होती है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मेरे पास सारे आंकड़े न होने के कारण मैं इस का उत्तर नहीं द सकता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त :** १९५९ में १५ लाख टन उत्पादन में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ? द्वितीय योजना के अन्त तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आशावादी बन जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** अपने उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिसम्बर १९५९ में उत्पादन ६.४५ लाख टन था । इस गणना के अनुसार वार्षिक उत्पादन ७७ लाख टन होने का अनुमान लगाया जाता है । १९५८ में हमारा प्राक्कलित उत्पादन ८० लाख टन था । अतः जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कमी १५ लाख टन की नहीं है । वस्तुतः यह कमी बहुत कम है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कमी अधिक जान पड़ती है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** १९५९ का अनुमानित उत्पादन ८० लाख टन था । १९५९ के दिसम्बर के वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार १९५९ में उत्पादन ७७ लाख टन हुआ अतः कमी केवल ३ लाख टन थी ।

†**श्री विमल घोष :** हमें १९६० के उत्पादन लक्ष्य के लिये दिसम्बर १९५९ के आंकड़े लेने चाहियें न कि १९५९ के लक्ष्य के लिये ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि १९५९ में उत्पादन ७७ लाख टन रहा है और १९६१ के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य १५० लाख टन है । उन का कहना है कि इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की संभावना है । मैं जानना यह चाहता हूं कि योजना काल में यह ७० लाख टन अतिरिक्त उत्पादन कहां से करने का विचार है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** १९५९ के लिये उत्पादन लक्ष्य ८० लाख टन था जिस में से ७७ लाख टन उत्पादन यों ही होने लगा है । योजना काल में सरकारी क्षेत्र में कुल अतिरिक्त उत्पादन १२० लाख टन होने का अनुमान है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** १५० लाख टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी नहीं १२० लाख टन । जिस में से १०५ लाख टन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से प्राप्त होने की आशा है ।

आस्ट्रिया से ऋण

+

†*८०. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० गं० देब :
श्री प्रभात कार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अमजद अली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रिया द्वारा प्रस्तावित २ करोड़ डालर का दीर्घकालिक ऋण स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). आस्ट्रिया के वित्त मंत्री के हाल के भारत के दौरे में जो उन्हों ने आस्ट्रिया से भारत को पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों को आयात करने आदि के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने की दृष्टि से किया था उन से कुछ औपचारिक वार्ता हुई थी। उस से यह निष्कर्ष निकला था कि आस्ट्रिया की सरकार जो कुछ वार्ता हुई है उसे ध्यान में रखते हुए विचार करेगी और भारत को ऋण देने के सम्बन्ध में यथासमय कुछ विशिष्ट सुझाव देगी। एसे प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कौन कौन से कैपिटल गुड्स लेने के लिय कहा है और कौन से कैपिटल गुड्स वह दे रहे हैं ।

श्री ब० रा० भगत : अभी तो बातचीत की शुरुआत हुई है, कौन-कौन से प्रोजक्ट्स होंगे, कौन कौन से . . . . . .

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अगर आप से कोई मांगें कि आप हमें पेंसिल दीजिये तो आप कहेंगे कि पेंसिल दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन कौन सी चीजें मांगी हैं। कम से कम इतना तो बतलाइये ।

श्री ब० रा० भगत : अभी तक तरीका यह है कि बातचीत शुरू होने पर ऐग्रिमेंट होता है । ऐग्रिमेंट में पूरी फेहरिस्त होती है, प्रोजेक्ट्स की और कैपिटल गुड्स की । वह टेबल पर रक्खी जाती है । जब बातचीत खत्म हो जायेगी तो सारी सूचना सदन के मेम्बरों को मिल जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हम ने बातचीत में क्या मांगा । हवा तो नहीं मांगा है । कोई चीज मांगी ही होगी । हम को इतना तो बतलाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह धारणा जान पड़ती है कि यह २०० लाख डालर ऋण जो आस्ट्रिया की सरकार से पूंजीगत वस्तुओं के बारे में है जिन के लिये उस देश को आर्डर दिया गया है, जिस के बारे में सरकार और माननीय मंत्री को पता होगा कि यह जो २०० लाख डालर का ऋण मिल रहा है वे कौन-कौन सी चीजें चाहेंगे । अथवा यह २०० लाख डालर ऋण इसलिये मिलेगा कि वह जहां से चाहें माल खरीद सकेंगे । एसी दशा में यह राशि केवल ऋण होगी । दूसरी दशा में यह ऋण नहीं होगा अपितु पूंजीगत वस्तुएं ऋण के रूप में दी जायेंगी । यदि दूसरी दशा लागू होती है तो माननीय मंत्री को पता होना चाहिये कि वह उस देश से क्या मांगाना चाहते हैं । उन के पास उन वस्तुओं की एक सूची होनी चाहिये जो सदन को बताई जानी चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत :** यह २०० लाख डालर की बात भी समाचारपत्रों की है और उन्होंने २०० लाख डालर के ऋण दिया नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें इस प्रकार उत्तर नहीं देना चाहिये था । ऋण की राशि चाहे कितनी भी हो फिर भी यह प्रश्न है तो आस्ट्रिया से ऋण के बारे में ही । पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों आदि के बारे में निर्णय जो सरकार खरीदना चाहती है, सरकार को करना होगा । यदि केवल ऋण की बात है तो क्या हम वे वस्तुएं भी ले लेंगे जिन की हमें आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री इस का उत्तर नहीं दे सके ।

†**श्री ब० रा० भगत :** वार्ता की अभी प्रारम्भिक अवस्था है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी भी मंत्री को ऋण के लिये आवदन करने से पूर्व क्या इस का निश्चय नहीं कर लेना चाहिये कि वह उस का उपयोग किस प्रकार करेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह वार्ता आस्ट्रिया के वित्त मंत्री की इच्छा से हुई थी । उन्हों ने यहां आकर हम से वार्ता की थी । हम ने उन से यह कहा था कि यह ऋण दीर्घकालिक होना चाहिये । सम्भवत: दस वर्ष या उस से अधिक के लिये होना चाहिय और यह पूंजीगत वस्तुओं के लिये होगा ।

यह ऋण उपभोक्ता की वस्तुओं अथवा अन्य वस्तुओं के लिये नहीं होगा । कौन-कौन सी पूंजीगत वस्तुएं खरीदी जायें इसका निश्चय आवश्यकता और जिन सूत्रों से माल मिलेगा इसके बारे में निर्णय कर लेने के बाद किया जायेगा । उसी समय इस पर विस्तृत चर्चा की जा सकेगी और करार में उनका ब्योरा शामिल कर लिया जायेगा । वह करार सभा-पटल पर रख दिया जायेगा । सामान्य प्रक्रिया यही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसी प्रक्रिया का पालन पहले से होता आ रहा है । माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट नहीं जान पड़ते । यदि ऐसी बात है तो वित्त विधेयक और आयव्ययक पर चर्चा के समय इस मामले को उठाया जा सकता है और वे माननीय मंत्री से वास्तविक प्रक्रिया पूछ सकते हैं । इस मामले पर और अधिक वाद-विवाद के लिये मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार इस सदन को यह आश्वासन दे सकती है कि विदेशों से प्राप्त सभी ऋण का उपयोग पूर्णतया केवल पूंजीगत वस्तुओं के लिये किया जायेगा, उपभोक्ता की वस्तुओं के लिये नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल आश्वासन देने के लिये नहीं होता है और किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार का आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अस्ट्रिया के २०० लाख डालर के ऋण में से राउरकेल में एल० डी० कन्वर्टर का भुगतान किया जा सकेगा या नहीं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** बताया यह गया था कि यह सभी एल० डी० प्रोसेस के लिये दिया गया है किन्तु क्या यह उसका हिस्सा है अथवा उसका उपयोग एल० डी० प्रोसेस में हो भी सकेगा या नहीं, यह मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

इस्पात के कारखानों का विस्तार

†*८१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में विस्तृत योजनायें बनाने के कार्य में लगे हुए विभिन्न संगठनों में समन्वय करने के लिये एक समिति स्थापित करने की योजना की इस समय स्थिति क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** इस्पात कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में विस्तृत योजनायें बनाने के कार्य में लगे हुए विभिन्न संगठनों में समन्वय करने के लिये एक समिति स्थापित की गयी है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं :—

(१) रूरकेला इस्पात कारखाने के रेज़िडेण्ट डायरेक्टर ;

(२) भिलाई इस्पात कारखाने के जनरल मेनेजर;

(३) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के जनरल मैनेजर;

(४) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निर्माण विभाग के जनरल मेनेजर ;

(५) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के खान और ईंधन विभाग का एक प्रतिनिधि;

(६) लोहा और इस्पात नियन्त्रक ;

(७) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि; और

(८) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के लोहा और इस्पात विभाग का प्रतिनिधि;

समिति का संयोजक भी यही व्यक्ति होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय प्रविधिज्ञों का रूस में प्रशिक्षण

†*७०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५९ में जो रूसी आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था, उसने इस बात की ओर संकेत किया था कि संभव है कि रूस भारतीय प्रविधिज्ञों को रूस में प्रशिक्षण देने के कार्य को और अधिक विस्तृत कर दें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). दिसम्बर, १९५९ में जो रूसी आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था उस के साथ अन्य बातों के साथ साथ रूस में भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम के विस्तार के प्रश्न पर भी बातचीत की गयी थी। यह बातचीत अभी हाल में पुनः प्रारम्भ की गयी है और आशा है कि १५००० लाख रूबल ऋण के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जिनमें प्रशिक्षण के विस्तार का कार्य भी सम्मिलित है, शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

इंजीनियरिंग कालेज, कन्नानूर

†*७६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कन्नानूर में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) वह कालेज कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). मार्च, १९५९ में केरल सरकार से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद ने मंगलोर में जिस प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिश की थी वह मंगलोर की जगह कन्नानूर में स्थापित किया जाये। बाद में यह सुझाव राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही वापिस ले लिया गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रोम में ओलम्पिक खेल

†*७७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रोम में होने वाले आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा पदाधिकारियों के चुनाव तथा वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा पदाधिकारियों का चुनाव करना भारत सरकार का नहीं, अपितु इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उस सम्बन्ध में स्वीकृत विषयों पर होने वाले खर्च में से ६० प्रतिशत राशि और अधिक से अधिक ३ लाख रुपयों की राशि देने का विचार है ।

दण्डकारण्य प्रशासन

†*७९. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य प्रशासन में नियुक्तियों के सम्बन्ध में नियम तथा प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) ये नियमादि कब निर्धारित किये गये थे ;

(ग) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है ; और

(घ) क्या उन नियमों आदि की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). उस प्रश्न का उत्तर यथासमय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज, नई दिल्ली

*८२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा महाविद्यालय की स्थापना की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : कालिज के लिए इमारत ले ली गई है, और उसे कालिज की आवश्यकताओं के अनुसार तबदील करने का काम हो रहा है । जैसे २६ नवम्बर १९५९ के दिन कहा गया था, पहला पाठ्यक्रम जारी करने के लिए योजनाएं प्रगतिशील हैं ।

नाट्यशालायें

*८३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से नाट्यशालाओं के सम्बन्ध में और अधिक योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उन पर विचार कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिमाण निकला है ; और

(ङ) उन योजनाओं की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां। बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से उस बारे में योजनायें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। अब यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारें स्वयं ही इन योजनाओं के सम्बन्ध में फैसला कर लें।

(ङ) राज्यों से कह दिया गया है कि वे कार्य प्रारम्भ कर दें और भारत सरकार को सूचित कर दें कि चालू वित्तीय वर्ष में उन पर कितना खर्च आयेगा।

खेतरी में तांबे के निक्षेप

†*८४. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के खेतरी तथा दरीबो क्षेत्रों के तांबे के अयस्क की किस्म का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारतीय खान विभाग ने अस्थायी रूप से यह प्रमाणित किया है कि खेतरी कापर बेल्ट के मदन-कुन्दन सेक्शन के एक ब्लाक में तांबा अयस्क के निम्नलिखित निक्षेप हैं :—

सामान्य ग्रेड का तांबा	निक्षेप (१० लाख टनों में)
०.८% सी०यू०	२८.४
अथवा	
१.५% सी०यू०	९.२
अथवा	
२.५% सी०यू०	२.६

निकटवर्ती खण्डों में भूमि छेदन कार्य तथा खोज सम्बन्धी कार्य हो रहे हैं और अभी तक प्राप्त होने वाले परिणाम उत्साह वर्धक हैं।

दरीबो में ब्यूरो दरीबो खान ब्लाक तथा दरीबो नाला ब्लाक में तांबे के अयस्क के सम्बन्ध में खोज कर रहा है। उस क्षेत्र में कम मात्रा में परन्तु बढ़िया किस्म के अयस्क का पता लगा है। अभी भूमि छेदन और खोज का काम जारी है। अभी तक २८९२ मीटर भूमि का छेदन कार्य और १२४४ मीटर भूमि का भूमिगत विकास कार्य किया जा चुका है।

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

†*८५. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हाल्दर :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय किया है कि उस द्वारा कुछ समय पूर्व नियुक्त की गयी अनुशासन सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उक्त अनुशासन समिति की रिपोर्ट के कब तक आ जाने की आशा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अप्रैल, १९६० तक।

सिले सिलाये कपड़ों पर बिक्री-कर

†*८६. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश लोगों की ओर से यह मांग की जा रही है कि सिले सिलाये कपड़ों पर बिक्री कर लेना समाप्त कर दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कपड़े तैयार करने वाली संस्थाओं से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). जब से दिसम्बर, १९५७ में वस्त्रों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया तब से व्यापारियों से सिले सिलाये कपड़ों पर से बिक्री कर हटा देने की मांग आने लगी।

(ग) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में सिले कपड़ों पर बिक्री कर में कमी कर दी है। कुछ एक राज्यों में भी यह रियायत दे दी गयी है।

आसाम में धातुकर्मिक कोयला

†*८७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में उपलब्ध धातुकर्मिक कोयले के बड़े निक्षेपों से लाभ उठाने की कोई योजना है, क्योंकि ईंधन अनुसन्धान संस्था द्वारा किये गये अनुसन्धानों से यह ज्ञात होता है कि उस कोयले से ७० से ७५ प्रतिशत तक गन्धक अलग की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ऐसी कोई योजना नहीं है। ईंधन अनुसंधान संस्था में किये गये प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि गैस के प्रभाव से कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से आसाम के कोयले से ७०–७५ प्रतिशत गन्धक अलग की जा सकती है, तथापि शेष बचे हुए कोक से और अधिक गन्धक अलग नहीं की जा सकती। अर्थात वे प्रयोग अभी सफल नहीं हुए हैं। कोक तैयार करने के लिय इस कोयले को झरिया के कोयले से मिला देना भी अलाभप्रद सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस कोयले की कीमत अधिक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि का अर्जन तथा अधिग्रहण

†*८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कर्णी सिंह जी :

क्या **विधि** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के अर्जन तथा अधिग्रहण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश पर एक समान रूप से लागू करने के लिये एक समन्वित विधि बनाने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: १७ दिसम्बर, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के सम्बन्ध में उत्तर देने के बाद राज्य सरकारों को एक अनुस्मारक भेजा गया था जिसमें उनका ध्यान इस मामले के महत्व की ओर आकृष्ट किया गया था। इस समय तक अभी तक केवल एक ही राज्य सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने विचार भेजे हैं। कुछ एक मंत्रालयों से उत्तर आ गये हैं, परन्तु शेष मंत्रालयों से अभी तक नहीं आये हैं। जब तक शेष राज्य सरकारों से उत्तर नहीं आते तब तक और अधिक प्रगति नहीं हो सकती।

†मूल अंग्रेजी में

मिश्र धातु तथा औजारी इस्पात कारखाने सम्बन्धी परामर्शदाता इंजीनियर

†*८९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्थापित मिश्रधातु तथा औजारी इस्पात कारखाने के लिये ब्योरेवार अग्रिम प्रतिवेदन तैयार करने के लिये मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी को अभी तक कुल कितनी राशि अदा की गयी है;

(ख) क्या इस फर्म ने हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के भी कुछ ठेके लिये हैं ; और

(ग) क्या इस फर्म ने यह कहा है कि अग्रिम प्रतिवेदन पेश करने की अवधि और बढ़ा दी जाये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १,८०,००० रुपये।

(ख) जी, हां। उस फर्म ने बोकारो के एक इस्पात कारखाने के लिये एक प्रारम्भिक अग्रिम प्रतिवेदन तैयार किया है।

(ग) जी नहीं।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†५४. **श्री अमजद अली :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, १९५९ तक पाकिस्तान को प्रतिमास कितना कोयला भेजा गया था ; और

(ख) क्या १९६० में पाकिस्तान को भेजे जाने वाले कोयले की मात्रा में कुछ वृद्धि कर दी जायगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) १९५९ में पाकिस्तान को भेजे गये कोयले का विवरण निम्नलिखित है :–

मास	मात्रा (टनों में)
जनवरी . . .	९५,१२२
फरवरी . .	७४,९८६
मार्च . . .	९९,३९३
अप्रैल .	९३,१३७
मई . .	५१,६७१
जून .	५७,७९७
जुलाई .	८५,१४१
अगस्त . . .	३६,४०२
सितम्बर . . .	३९,९२४

†मूल अंग्रेजी में

मास	मात्रा (टनों में)
अक्टूबर . . .	३६,७७५
नवम्बर . . .	६९,११६
दिसम्बर . .	७६,३१८*
कुल .	८१५,७७२

(ख) पहला व्यापार करार ३१–१–६० में समाप्त हो गया । भविष्य में भेजे जाने वाले कोयले की मात्रायें अगले करार पर निर्भर करेंगी ।

नेताजी बोस

†५५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आन्दोलनों से सम्बन्धित मौलिक सामग्री का अमूल्य संग्रह किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार की यह इच्छा है कि सिंगापुर की उन इमारतों का अर्जन कर लिया जाये जहां नेताजी रहते थे और जो कि आजाद हिन्द फौज का मुख्यालय (हेडक्वार्टर) था; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास द्वितीय विश्व युद्ध के रिकार्डों के अन्तर्गत कई ऐसी रिपोर्टें भी हैं जो कि बर्मा के युद्ध के दौरान तथा उसके बाद पकड़े गये आजाद हिन्द सेना के व्यक्तियों के कार्यों पर प्रकाश डालती हैं । यद्यपि इन रिपोर्टों में ऐतिहासिक महत्व भी निहित है, तथापि उनसे नेता जी के आन्दोलन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक ज्ञान प्राप्त नहीं होता ।

(ख) और (ग). इस मामले पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सरकार द्वारा बोनस अंश जारी करने की मंजूरी

†५६. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) सरकार द्वारा १९५७–५८ और १९५८–५९ में कितने बोनस निर्गम की मंजूरी दी गई;

(ख) उक्त वर्षों में वास्तव में कितने बोनस अंश जारी किये गये; और

(ग) उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितना बोनस निर्गम कर इकट्ठा किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(*अस्थायी आंकड़े)

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). १९५७, १९५८ और १९५९ में बोनस अंश जारी करने के लिये मंजूर की गयी राशि और वास्तव में जारी किये गये बोनस अंशों की राशि के सम्बन्ध में विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	मंजूर की गयी राशि	जारी की गयी राशि
१९५७	१५५१.९८ लाख रुपये	१०११.०५ लाख रुपये
१९५८	१०२५.६२ लाख रुपये	८८१.७१ लाख रुपये
१९५९	३८८.०० लाख रुपये	३५.८४ लाख रुपये

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारी

†५७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९४० के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में सफल होने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त करने के उनके दावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्ति के लिये १९५६ में हुई विशेष नियुक्ति की परीक्षा में १०२ व्यक्तियों को सफल घोषित किया गया था। उनमें से ५ व्यक्तियों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। उन्हें नियुक्त करने का काम अभी शेष है। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ७१ व्यक्ति इण्टरव्यू के लिये बुलाये गये थे और उनमें से केवल एक ही व्यक्ति सफल घोषित किया गया है और उसे नियुक्त कर लिया गया है। शेष ७० व्यक्तियों ने योग्यता क्रम में उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया है, इसलिये उन्हें भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग

†५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अमजद अली :

क्या **विधि** मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयोग की सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : (क) चुनाव आयोग की और किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

(ख) आयोग की और कोई भी महत्वपूर्ण सिफारिश विचाराधीन नहीं है । उन सिफारिशों पर चुनाव आयोग, अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों तथा राजनीतिक दलों से परामर्श लेते हुए अच्छी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है । इसलिये यह बताना बड़ा कठिन है कि आयोग की सभी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

पुरी के निकट गतीश्वर मन्दिर

†५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अलगुम गांव के गतीश्वर मन्दिर को पुरातत्व महत्व के एक सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने की योजना पर विचार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

कोठागुदियम में खनन संस्था

†६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री मधुसदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खनन संस्था, कोठागुदियम (आन्ध्र प्रदेश) के छात्रों के लिये होस्टल बनवाने के लिये ऋण के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: सरकार को इस बारे में अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की सिफारिशों प्राप्त नहीं हुई हैं । परिषद् की क्षक्षिण प्रादेशिक समिति ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं जिन पर परिषद् की समवन्य समिति द्वारा १ मार्च, १९६० को विचार किया जायेगा ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में फ़ालतू सामान

†६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में फालतू सामान के बारे में प्रतिवेदन की जांच कर ली है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ फालतू सामान को रखने और उसका पुनः उपयोग करने के बारे में दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिये सेवा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ।

दल ने इस्तैमाल न किये जा सकने वाले फालतू सामान के निबटारे के बारे में भी कुछ अन्य सिफारिशें की थीं । उनकी जांच हो रही है ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†६२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर में दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति के लिये २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ३६९१ व्यक्तियों में से जिन पर अवधि से अधिक ठहरने और अनधिकृत प्रवेश के अपराध के लिये दावे किये गये थे, कितने व्यक्ति पाकिस्तान वापस भेजे गये;

(ख) क्या उनमें से बहुत से अभी भी देश में रह रहे हैं; और

(ग) उनको वापस न भेजने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंड

†६३. **श्री संगण्णा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री हेम राज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड के बारे में १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर उनको स्वीकार कर लिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

बस्ती में कोयला और तेल के निक्षेप

†६४. **श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्ती जिले के हरिहरपुर गांव में कच्चा तेल और कोयले के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) इस स्थान में कितना कच्चा तेल और कोयला मिलने की सम्भावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में पंचायतें

†६५. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों में पंचायतों के कायकरण में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) जी, हां ।

(ख) विकास विभाग के साथ उनके समन्वय के कारण पंचायतों के कार्यकरण में कुछ विलम्ब हुआ है । पंचायत विस्तार पदाधिकारी और पंचायत सचिव नियुक्त किये जा चुके हैं । कर्मचारियों, सरपंचों और प्रधानों के प्रशिक्षण के लिये एक योजना बनायी गयी है और चालू मास में सब सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । फरवरी, १९६० के अन्त तक पंचायतें नियमित रूप से कार्य करना आरम्भ कर देंगी ।

आदिवासियों के ऋण

†६६. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री आदिवासियों के ऋण के बारे में १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा सरकार ने उसके लिये आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** जी, नहीं ।

आयुध डिपों में आवास सुविधायें

*६७. **श्री स० मो० बनर्जी** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपोंओं में असैनिक कर्मचारियों के लिये कोई आवास सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन के लिये मकान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) १९६०-६१ के लिये प्रत्येक डिपो के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मैनन)** : (क) अगर सैनिक आवास स्थान फालतू हों और उपलब्ध हों, तो वह स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत असैनिक कर्मचारियों को दे दिये जाते हैं ।

(ख) जिन असैनिकों (सिविलियन्स) को 'प्रतिरक्षा सेवा प्राक्कलन' में से वेतन दिया जाता है, वे सामान्यत: सरकारी आवास प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते । तथापि, विशेषत: बड़े शहरों में, आवास स्थान की अत्यधिक कमी को देखते हुए, यह तै किया गया है कि आरम्भ में देहू, दिल्ली छावनी, पुलगांव, पानागढ़, बम्बई और अवादी में आवास की इस प्रकार योजना बनाई जावे कि वहां पर १५ प्रतिशत तक असैनिक कर्मचारी स्थायी रूप से रह सकें । आवश्यक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

(ग) जी, शून्य ।

संग्रहालयविज्ञान[1]

†६८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
रा० च० माझी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संग्रहालयविज्ञान में प्रशिक्षण के लिये कितने पदाधिकारियों को विदेश भेजा गया ;

(ख) उन्हों ने संगीत विज्ञान की किस विशेष कला का अध्ययन किया ;

(ग) क्या उन में से कोई वापस आ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) चार

(ख) चित्रों को बनाये रखना और सामान्य संग्रहालय सम्बन्धी कलायें ।

(ग) जी हां, एक ।

(घ) उन की सेवाओं का राजस्थान सरकार उपयोग कर रही है जिन्हों ने राज्य में संग्रहालयों के विकास के लिये उन को प्रतिनियुक्ति पर भेजा था ।

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी

†६९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९ में पहले के वर्षों की अपेक्षा भारत में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी अधिक आई ;

(ख) यदि हां, तो उस विनियोजन का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). इस प्रश्न पर १९५९ के बारे में प्राथमिक आंकड़ों से अधिक कुछ एकत्रित नहीं किया जा सकता । यह कार्य किया जा रहा है और उपलब्ध आंकड़े सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Museology

आन्ध्र प्रदेश में भारत के राज्य बैंक

और भारत के रक्षित बैंक की शाखायें

†७०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ से आन्ध्र प्रदेश में भारत के राज्य बैंक और भारत के रक्षित बैंक की कुल कितनी शाखायें खोली गयी हैं ; और

(ख) जिन स्थानों पर ये शाखायें खोली गयी हैं, उन के क्या नाम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १ जुलाई, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की ३२ शाखायें और १४ 'पे आफ़िस' खोले गये ।

इसी अवधि में राज्य में रक्षित बैंक का एक उप-कार्यालय (सब आफ़िस) और एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय (पब्लिक डेट-आफ़िस) भी खोला गया ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २३]**

भिलाई की 'बिलट मिलों' में उत्पादन

†७१. **श्री आचार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई की 'बिलट मिल' में अच्छी किस्म के 'बिलट्स' का उत्पादन हो रहा है और यदि हां, तो प्रति दिन कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) क्या ये 'बिलट्स' बेचे गये हैं, और यदि हां, तो किस को बेचे गये हैं और उस बिक्री से अब तक कितना धन प्राप्त किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) 'बिलट मिल' केवल कुछ ही सप्ताहों से चली है । 'बिलट्स' की किस्म और मात्रा में दिन-प्रति-दिन अनुभव के आधार पर सुधार होता है । इस समय सामान्यतः सारी ही स्टील से 'बिलट्स' बनाये जा रहे हैं ।

(ख) बिलट्स पुनर्वेल्लन मिलों (रीरोलिंग मिल्स) को बेचे जाते हैं और यह आवंटन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा किया जाता है । भिलाई से 'बिलट्स' सामान्यतः भारत के उत्तर और पश्चिम में पुनर्वेल्लन मिलों को दिये जाते हैं । जनवरी १९६० में लगभग २,३३१,००० रुपये के मूल्य के ५,५०० टन 'बिलट्स' बेचे गये ।

डीज़ल का आयात

†७२. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में भारत में कितने मूल्य के डीज़ल तेल का आयात किया गया ; और

(ख) वर्ष १९५८ के आंकड़ों से इस की क्या तुलना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क और (ख). १९५८ और १९५९ में आयात किये गये डीज़ल तेल की कीमत (एच० एस० डी० और एल० डी० ओ०/एम० डी० ओ०) तुलना के लिये नीचे दी गयी है :—

	१९५८	१९५९
	लाख रुपये	लाख रुपये
डीज़ल तेल	५१०.६८	४९९.२४

आन्ध्र प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित

†७३. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश में राजनैतिक पीड़ितों और उन के परिवारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों अथवा परिवारों की कितनी संख्या है ; और

(ग) उन को पृथक् रूप से कितना धन दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : : (क) जी, हां ।

(ख) १९५७–५८ . १२

१९५८–५९ . . . २३

(ग) इस अवधि में कुल ३७,५०० रुपये दिये गये । एक व्यक्ति को १०० रुपये से ले कर ६,००० रुपये तक दिये गये हैं ।

कमरहाती और बारानगर में सड़कों का बन्द किया जाना

†७४. **श्री हो० ना० मुकर्जी** :
श्री प्रभात कार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि कमरहाती और बारानगर (पश्चिमी बंगाल) में कुछ जनमार्गों के सैनिक अधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने के कारण वहां के निवासियों को बड़ी असुविधा हो रही है ; और

(ख) क्या जनता की इच्छा का पालन करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) और (ख). दक्षिणेश्वर में ओल्ड मैगज़ीन रोड को बन्द किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किये गये हैं । इस सड़क को सुरक्षा के कानूनों से बन्द करना पड़ा था । इस से जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये क्योंकि दो और मार्ग भी हैं जिन से २०० गज से कुछ कम की दूरी बढ़ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अफ़ीम का उत्पादन

†७५. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम० सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले वर्षों की अपेक्षा १९५९ में भारत अफ़ीम का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) क्या अफ़ीम के पूर्ण रूप से निषेध से इस के उत्पादन पर असर पड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) पिछले तीन वर्षों की तुलना में १९५९ में भारत में अफ़ीम का कुल उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

वर्ष	७० पर उत्पाद
	मन
१९५६	९,२७९
१९५७	१२,९५०
१९५८	१७,५७२
१९५९	२०,३९२

(ख) जी, नहीं । इस समय भारत में अफ़ीम का उत्पादन पूर्णरूप से सरकारी नियंत्रण में औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये वनस्पतियों के मूल तत्व बनाने के लिये विदेशों को निर्यात के लिये किया जाता है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसी अफ़ीम की मांग पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है।

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक

†७६. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों के लिए त्रिपुरा में अब तक कितनी बस्तियां स्थापित की गयीं ;

(ख) बस्ती में रहने वालों की क्या संख्या है ; और

(ग) अनुदान के रूप में उन्हें अब तक कुल कितना धन दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट लिमिटेड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†७७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान-निर्माण में प्रशिक्षण पाने के लिए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के किसी कर्मचारी को विदेश भेजा गया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी भेजे गये हैं और कहां भेजे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।]

(ख) १९४५-४७ के बाद प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये व्यक्तियों की संख्या :

ब्रिटेन	४१
फ्रांस	३

पाकिस्तानी नागरिक

†७९. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री बाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अपने वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में अधिक ठहरे; और

(ख) उसी वर्ष में कितने मामलों में वीसा की अवधि बढ़ाई गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

पुलिसमैन

†८०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे कितने पुलिस मैनों को १९५९–६० में अब तक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया और दंडित किया गया ; और

(ख) उसी अवधि में प्रशंसनीय सेवा के लिये कितने पुलिसमैनों को पारितोषिक दिये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लोक सहायक सेना

†८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सहायक सेना को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं । ३१ मार्च, १९६० तक प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों में से दिसम्बर, १९५९ के अंत तक ४,३५,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है । आशा है कि बाकी तीन महीनों में लगभग ३५,००० और व्यक्तियों को लोक सहायक सेना का प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(ख) प्रशिक्षित व्यक्तियों में कमी मुख्यत: निम्न कारणों से है : (१) पहाड़ी और कम जनसंख्या वाले क्षत्रों में जो शिविर लगाये गये थे उन्हें प्रशिक्षार्थियों को पूरा प्रशिक्षण दिये बिना ही हटाना पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कुछ मामलों में बाढ़ों व अत्यधिक भारी वर्षा से भी शिविरों के आयोजन में बाधा पड़ी। कुछ मामलों में रोगों आदि के व्यापक रूप से फैल जाने के कारण बहुत थोड़ी सूचना पर शिविरों का स्थान बदलना पड़ा।

भरती में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विशेष शिविर लगाये गये। योजना के लागू होने के समय से ३१ मार्च, १९५९ तक ऐसे ३८ विशेष कैम्प लगाये गये। वर्ष १९५९-६० में १२ विशेष कैम्प लगाने का प्रस्ताव है और इस प्रकार पांच वर्षों की पूरी अवधि के लिए ५० विशेष कैम्प हो जायेंगे। तथापि, इन प्रयत्नों के बावजूद भी ६ प्रतिशत की कमी बनी रहेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर में शुद्धि

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : दिनांक १८-११-१९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के भाग (ख) के उत्तर में मैं ने बताया था कि विशेषज्ञ समिति ने ११ अप्रैल, १९५९ को अपना प्रतिवेदन दिया था। यह टाइप की गलती है और ठीक तिथि ११ अप्रैल, १९५८ है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली बिक्री कर नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, दिल्ली राज्य क्षेत्र में प्रचलित बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली गज़ट में प्रकाशित दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ० ४(५४)/५९-फिन(ई) की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल टी--१७९७/५९]

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभासचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: मैं सरदार स्वर्ण सिंह की ओर से, कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ जनवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल टी--१८८१/६०]

खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियमों में संशोधन

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं, श्री के० दे० मालवीय की ओर से, खान और खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पट्टे (शर्तों में रूप-भेद) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६१ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी--१५१६/५६]

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियमों में संशोधन

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं, श्री अ० कु० सेन की ओर से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १६५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १६५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ फरवरी, १६६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४१ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी--१८८२/५६]

केरल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, मोटर-गाड़ी अधिनियम, केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, मद्रास मोटर-गाड़ी करारोपण अधिनियम तथा वेतन तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं :--

(१) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १६५६ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, केरल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १६५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, केरल सिनेमा (विनियमन) नियम, १६५६ में कुछ संशोधन करने वाली केरल गज़ट में प्रकाशित दिनांक १५ मई, १६५६ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० ४०८/५६ की एक प्रति :

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी--१७७२/५६]

(२) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १६५६ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, केरल गज़ट में प्रकाशित, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) त्रावनकोर कोचीन मोटर गाड़ी नियम, १६५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १६५६ की अधिसूचना संख्या टी डी १-१००० बी/५६/पी डब्ल्यू ।

(ख) मद्रास मोटर गाड़ी नियम १६४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १६५६ की अधिसूचना संख्या टी बी १-१०००८/५६/पी डब्ल्यू ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी--१७७३/५६]

(३) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १६५६ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधि-

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नियम, १९५८ की धारा ४३ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करते वाली, केरल गज़ट में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १२ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या १४५८७/ इ १ /५९ / आर ई वी ।

(ख) दिनांक ७ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९६०३ / इ १ /५९ / आर ई वी ।

(ग) दिनांक ११ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या २२५३७ / इ १ / ५९ / आर ई वी ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१८०१/५९]

(४) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, मद्रास मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९३१ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केरल गज़ट में प्रकाशित, दिनांक १० सितम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या १७५५१ / ५९ / पी डब्ल्यू / टी १ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१८१७/५९]

(५) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, वेतन तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम, १९५१ की धारा १० की उप-धारा (२) के अन्तर्गत केरल गज़ट में प्रकाशित, दिनांक २ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) ५५२, जिस में केरल के मंत्रियों और अध्यक्ष के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते नियम, १९५९ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१८४०/५९]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश में संशोधन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्त र्ष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ६ जनवरी, १९६० की एस० ओ० संख्या ५७ ।

(दो) दिनांक १३ जनवरी, १९६० की एस० ओ० संख्या १०६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल टी—१८८३/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से सन्देश प्राप्त हुए हैं जिन के साथ उन्हों ने राज्य सभा द्वारा ९ फरवरी, १९६० की बैठक में पारित किये गये निम्न-लिखित विधेयकों की प्रतियां संलग्न की हैं :—

(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।

(२) रूई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा-पटल पर रखे गये

†**सचिव** : मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्न विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।

(२) रूई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एयर हंडिया इंटरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हड़ताल

†**श्री उ० च० पटनायक** (जंगम) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम के विमान-चालकों द्वारा हाल में की गई हड़ताल'

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हाल में की गई हड़ताल के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं । इन विमान चालकों ने, जो भारतीय विमान चालक संघ के सदस्य हैं, ८ जनवरी, १९६० को दोपहर १२ बजे हड़ताल की थी; यह हड़ताल १६ जनवरी, १९६० को एयर इंडिया इंटरनेशनल के प्रबन्ध तथा संघ के बीच संतोषजनक समझौता होने के पश्चात् समाप्त कर दी गई ।

संघ ने ७ जनवरी, १९६० के अपने पत्र में हड़ताल के यह कारण बताये थे कि 'बोइंग' संबंधी प्रशिक्षण पाने के लिये सीटल भेजे जाने वाले कैप्टेन गिल्डर का चुनाव संघ को दिये गये आश्वासनों के अनुसार नहीं किया गया है, कि संघ के अन्य सदस्यों के, जो कैप्टेन गिल्डर से वरिष्ठ थे, सीटल भेजे जाने के उचित दावों पर ध्यान नहीं दिया गया है और ऐसा करने से संघ के सदस्यों के हितों को नुक्सान पहुंचा है । प्रबन्धकों ने, ७ जनवरी १९६० को संघ द्वारा ज़बानी पूछे जाने पर, कैप्टन गिल्डर का चुनाव करने के कारण बताये थे और आश्वासन दिया था कि इस से कैप्टेन गिल्डर से वरिष्ठ विमानचालकों के कमान्डर बनने के अवसर समाप्त नहीं हो जायेंगे, और कैप्टेन गिल्डर से

†मूल अंग्रेज़ी में

कनिष्ट विमानचालकों को भी कमान प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जायेगा । इस आश्वासन को ७ जनवरी, १९६० को लिखित रूप दिया गया और ८ जनवरी, १९६० को सामान्य प्रबन्धक द्वारा संघ को लिखे गये पत्र में भी इस की पुष्टि की गई थी ।

निगम के सभापति ने ११ जनवरी, १९६० को संवाददाता सम्मेलन में प्रबन्धक के रवैये को और स्पष्ट किया और यह भी बताया कि प्रबन्ध विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजने को भी तैयार है ।

इस अवधि में, मैं इस विषय पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था और प्रबन्धकों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए था । १४ जनवरी १९६० को मैं ने संघ के प्रधान से टेलीफोन पर बातचीत की और उन से कहा कि विमानचालक अगले दिन से काम करने लगें और ऐसा करने पर मैं स्वयं समय पर उन की शिकायतों पर ध्यान दूंगा । मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद है कि संघ ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया ; वह कुछ प्रश्न उठाना चाहते थे जिन के बारे में मैं ने उन्हें बताया कि वह प्रबन्ध से बातचीत करें । परन्तु मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मेरे इस सुझाव से संघ तथा प्रबन्ध के बीच और आगे बातचीत का रास्ता खुला और आपस में एक संतोषजनक समझौता हो गया । १६ जनवरी, १९६० को हड़ताल समाप्त कर दी गई और इस के अगले दिन से विमानों का आना जाना सामान्य रूप से चालू हो गया ।

मैं भारतीय विमानचालक संघ द्वारा इस अचानक हड़ताल के किये जाने की अच्छाई अथवा बुराई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विमान परिवहन जैसे लोकोपयोगी उद्योग में बिना कोई सूचना दिये तथा बातचीत करने का कोई अवसर दिये बिना हड़ताल करना अनुचित ही है । इस समय, मैं यही आशा जाहिर करना चाहता हूं कि भविष्य में संघ हड़ताल जैसा कठोर कदम नहीं उठायेगा और हमेशा प्रबन्धकों से बातचीत कर के विवाद निपटाने का प्रयत्न करेगा ।

माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं, संघ तथा प्रबन्ध के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रतियों सहित एक ब्योरेवार विवरण तथा विमानचालकों के २ जनवरी, १९६० को अन्तिम रूप से स्वीकृत वेतन तथा भत्ते दिखाने वाला विवरण, सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]**

सदस्य द्वारा पद त्याग

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री वि० राजू ने २ फरवरी, १९६० से लोक सभा में अपने स्थान से पद त्याग कर दिया है । वह आन्ध्र प्रदेश में मंत्री नियुक्त हो गये हैं ।

सभापति तालिका

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९ के उपनियम (१) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित सदस्यों को नई सभापति तालिका के लिये मनोनीत करता हूं :—

(१) पंडित ठाकुर दास भार्गव

(२) डा० सुशीला नायर

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) श्री मूलचन्द दुबे

(४) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(५) श्री नारायण गणेश गोरे

(६) श्री जयपाल सिंह

मैं चाहता हूं कि समय-समय पर सभा का कार्य संचालित करने के लिये माननीय सदस्यों को अवसर प्रदान किये जायें जिस से मैं आश्वस्त हो सकूं कि कुछ समय पूर्व हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी । सभी माननीय सदस्यों को जानकारी हो सकेगी कि सभापति तथा सदस्यों के क्या कर्त्तव्य हैं और क्या होने चाहियें ।

श्री बर्मन आदि जिन सदस्यों ने सभापति के रूप में काम किया है उन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्हों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है । ऐसी बात नहीं है कि उन्हों ने अपने कर्त्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं निभाया है लेकिन उन को अब और बहुत से काम सौंपे गये हैं । मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हों ने मेरी तथा उपाध्यक्ष महोदय की सहायता की और सभा के कार्य का संचालन किया ।

निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मेहरचन्द खन्ना द्वारा १० फरवरी, १९६० को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं ने पहले भी निवेदन किया था कि गरीब शरणार्थियों से सम्बन्धित विधेयक का प्रारूप यह सोच विचार कर बनाया जाना चाहिये कि कोई उच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित न कर सके इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किये जाने में जो देरी हुई है उस से शरणार्थियों को काफी परेशानी रही है ? । दूसरी बात यह है कि कस्टोडियन विभाग में उच्च पदों पर जिन लोगों को लगाया गया है वे कोई अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति नहीं हैं लेकिन जिम्मेदारी उन पर अधिक से अधिक डाली जा रही है । समझ में नहीं आ रहा कि इस के पीछे क्या तर्क है । उन्हें इस प्रकार के अधिकारी दिये जा रहे हैं कि वे जो चाहें मनमानी कर सकें । मेरे विचार में उन के अतिरिक्त अधिकारों में कमी की जानी चाहिये ।

ये लोग, शरणार्थियों के मामलों की जिस प्रकार जांच पड़ताल कर के निर्णय देते हैं वे हमारे देश की न्यायिक परम्पराओं के अनुकूल नहीं है । आम तौर पर दीवानी अथवा फौजदारी अदालतों में जितना समय दंडाधिकारी मामलों की खोज बीन में लगाते हैं उतना ये नहीं लगा पाते । मेरा मत है कि इन्हें इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को, शरणार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि इन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णयों का मंत्रालय स्तर पर न्यायिक पुनरीक्षण सम्भव हो सके । न्याय प्राप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की दृष्टि से जो लोग इन अधिकारियों के फैसलों से सन्तुष्ट न हों, उन के लिए यह व्यवस्था काफी सन्तोषपूर्ण होगी और मंत्रालय की प्रतिष्ठा इस से काफी बढ़ेगी, क्योंकि आम अदालतों में इन मामलो को ले जाने की अनुमति तो मंत्री महोदय देंगे ही नहीं ।

तीसरी बात यह है कि जो भी विधेयक पारित होता है अथवा नीति निर्धारित की जाती है उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये । परन्तु यहां हालत यह है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में भी एक दो वर्ष लग गये हैं तो दूसरे मामलों का तो कहना ही क्या है ।

किराये और क्षतिपूर्ति का प्रश्न भी बड़े महत्व का है । इन दोनों पर इस विधेयक की क्रियान्विति निर्भर है । किराया क्या होगा और क्षति क्या होगी ? ये प्रश्न आज शरणार्थियों को परेशान कर रहे हैं । यही कारण है कि वे जलूस के रूप में जैसलमेर हाउस में गये ताकि उन की बात की सुनवाई हो सके । पुनर्वास मंत्रालय उन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपना कर कार्य नहीं करता ।

इस विधेयक को मैं अपूर्ण मानता हूं परन्तु इस में यदि अनुसूची लगा दी जाती तो इस में कुछ पूर्णता आ सकती थी । मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक की ओर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे अधिक से अधिक लकचकीला बनाने का प्रयत्न करें ।

श्री अचिंत राम (पटियाला) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा म ने पहले कहा था, यह बिल बहुत मामूली है । अगर इस को कंसलटेटिव कमेटी में या पार्टी की कमेटी में लाया गया होता तो आपस में घर में बैठ कर बातचीत हो जाती और शायद यहां स्पीचेज़ करने की नौबत ही न आती । लेकिन ऐसा करना शायद मुनासिब नहीं समझा गया और इस बिल को यहां सीधे ले आया गया । इस सदन में बोलने में एक मिनट में ५० रुपये खर्च होते हैं, इसलिये मैं तो समझता हूं कि जितना कम समय लगे उतना अच्छा है । लेकिन जब यह बिल यहां आ गया है तो इस पर इजहार राय करना मुनासिब है ।

जैसाकि मैं नें कल कहा था, इस तमाम प्रापर्टी का इन्तिजाम करने के लिए एक एडवाइज़री बोर्ड की ज़रूरत समझी गई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे मोहतरिम मंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि इस बोर्ड की जिन्दगी मिनिस्ट्री के साथ कोटरमिनस होगी । मुझे खुशी है कि यह बात पहले ही उन के दिल में थी, लेकिन अल्फाज़ से वाज़े नहीं होती थी । उन्हों ने जो यह ऐलान कर दिया उस के लिये मैं उन का बहुत धन्यवाद करता हूं ।

साथ ही मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि जिस उदारता से उन्हों ने यह ऐलान कर दिया, उसी तरह से बोर्ड के जिन मेम्बरों ने इस्तेफे दे दिये हैं उन को फिर वापस आने की दावत द । आप ने कहा कि बोर्ड में अच्छे अच्छे मेम्बर हैं । पर मैं समझता हूं कि ठाकुरदास जी जैसे या लाला फीरोजचन्द जी जैसे तजरबेकार आदमी आप को कम मिलेंगे । ऐसा भी हो सकता है कि जो अब मेम्बर हैं वह भी रहें और ये लोग भी रहें । और इस तरह से उन की खिदमात से फायदा उठाया जाय । ऐसा करना मुनासिब मालूम होता है । अगर वह किसी वजह से पहले चले गये, तो अब उन की खिदमात से फायदा उठाना चाहिये ।

(श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए)

जैसाकि मैं ने कल अर्ज़ किया था, कुछ मामले हैं---जैसेकि इन्दिरा मारकेट का मामला---जोकि इस बोर्ड के सामने आने चाहियें । बोर्ड यह देख सकता है कि उन लोगों के साथ बेइन्साफी हुई है

या नहीं। कुछ लोगों पर वहां मकान जबरदस्ती थोपे गये, और फिर भी वह कुछ ज्यादा दे कर उन को लेने को तैयार हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन को निलाम किया जायगा। अगर यह मामला बोर्ड के सामने आये तो इस का फैसला हो सकता।

मिनिस्टर साहब ने जो दूसरा ऐलान किया है उस पर भी उन को मैं मुबारकबाद देता हूं। यह बात तो साफ है कि हम उन के साथ सहमत हैं। उन्हों ने कहा कि अगर कोई प्रापर्टी जो कि इवैक्वी करार नहीं दी जानी चाहिये थी मगर वह इवैक्वी करार दे दी गयी है, उस के बारे में उन की ख्वाहिश है कि वह इन्साफ करें और उस को वापस किया जाय। मैं ने अर्ज किया था कि हम भी उन से इस मामले में पीछे नहीं हैं। उन का दिल भी यह तसलीम करता होगा कि जब मैं यह बात कह रहा हूं तो उन से इस मामले में पीछे नहीं हूं, आगे ही होऊंगा। जिन असहाब की प्रापर्टी गलती से इवैक्वी करार दे दी गयी है वह उन को वापस दी जाय, लेकिन मैं ने अर्ज किया था कि मिनिस्ट्री के सामने सब एक बराबर हैं। चाहे वह आदमी हो जिस की प्रापर्टी गलती से इवैक्वी करार दे दी गयी है, या दूसरा आदमी हो जिस को वह प्रापर्टी दी गयी थी, उन दोनों के साथ इन्साफ होना चाहिये। आप ने पहले कहा था कि अगर रुपये की जरूरत होगी तो हम उस के लिये मुरारजी देसाई साहब के पास जा सकते हैं। इसलिये कि पूल में रुपया कम होगा और अगर जरूरत होगी तो उन को प्रापर्टी की जगह रुपया देना होगा। तो रुपये की जरूरत तो होगी और जो इस तरह की अनआथाराइज्ड जायदादें हैं उन के मामले हल करने में वक्त लगेगा। तो यह मिनिस्ट्री अभी खत्म कैसे हो सकती है।

मैं किंग्सवै का मामला आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वहां पर २५ हजार आदमी आज बसे हुए हैं। वह एक स्लम है। आप जाकर देख सकते हैं। और मिनिस्टर साहब भी तसलीम करते हैं कि उन लोगों की हालत काबिले रहम है। वहां की हालत बहुत गन्दी है। और बहुत से लोग वहां जाकर उसको देख चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर जरूरत हो तो इस हाउस के कुछ मेम्बरों का एक डेपूटेशन वहां की हालत को देखने के लिए भेजा जाय और जाकर देखे कि वहां किस हालत में लोग रह रहे हैं। अगर कोई बाहर का आदमी, जैसे रूस के वजीर आजम, जाकर देखें तो वह क्या कहें गे कि हिन्दुस्तान में आजादी के बाद भी आदमी किस हालत में रहते हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि काम खत्म हो गया। जो काम बाकी है उसको भी तो करना है। यह बात कही गयी कि हमें कुछ उज्र तो नहीं है लेकिन जगह नहीं है। उनको बसाने के लिए। मैं खुद फिरता रहा और हमको उनके लिए जमीन मिली। आखिरकार हमें खुशी हुई कि ६० एकड़ जमीन उनके लिए मिल गयी है और अब उनको बसाने का इन्तिजाम हो जाएगा। उनके लिए नए मकान बनेंगे। जब यह सवाल पेश किया गया तो कहा गया कि यह जमीन तो खाली हो जाएगी, उनके लिए लंग बनेंगे। इस वक्त उनके दोनों लंग भिच भिच कर छोटे हो गए हैं। इस वक्त तो वहां टट्टियां बहुत कम हैं, गुसलखानों का कोई इन्तिजाम नहीं है, पानी का इन्तिजाम नहीं है, हैल हो रहा है। आज कहा जाता है कि जो जगह है वह लंग प्रोवाइड करने के लिए छोड़ी जाएगी। वह कहते हैं कि इस वक्त दो लंग से हट कर एक बटा आठ हिस्सा रह गया है। आधा लंग तो दीजिए। लेकिन हम कहते हैं कि इस काम को कारपोरेशन करेगा। बारह बरस तक यह मामला रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के पास रहा है और वे रेफ़यूजी रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के चार्ज के नीचे रहे हैं। अब उन लोगों को बसाने के लिए साठ एकड़ ज़मीन मिली है। कहा जाता है कि जो जगह खाली होगी, वहां पर मकान नहीं बनाए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारे मकान गिरा दीजिए, वहां ज़मीन पड़ी है, जो मलबा होगा, उस को इस्तेमाल कीजिए, जो रेंट हम से वसूल किया है, उस को खर्च कीजिए और जो और रुपया खर्च होगा, वह हम किस्तों में अदा करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को किस को सुनाया जाये? हमारा बड़े से बड़ा ऐवान यही है पांच सौ मेम्बरों का। इस के सामने कहते हैं। यहां स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब

और कैबिनेट बैठी है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब ने कल जो ऐलान किया, उस के मुताबिक वह श्री देसाई के पास चलें और मेम्बरों, स्पीकर साहब और मिनिस्टरों को साथ लीजिए और उन से कहिए कि रुपए की ज़रूरत है, चाहे रुपया उधार दीजिए, उसको हम वापस कर देंगे और अभी मिनिस्ट्री का काम हो रहा है और अभी बाकी है। मिनिस्टर साहब ने हम को जो यह खुशी की ख़बर सुनाई कि वह फ़ाइनेंस मिनिस्टर के पास जाने के लिए तैयार हैं, अगर रुपए की ज़रूरत हो तो, उस के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि रुपए की ज़रूरत है। टाइम उन के पास है। रेफ़यूजी हर तरह की मदद देने के लिए और काम करने के लिए तैयार हैं। मैं उन से यह दरख्वास्त करूंगा कि कल उन्होंने जो एलान किया है, उस के मुताबिक वह फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जायें। पन्त जी के साथ उन के जो ताल्लुकात हैं, उन पर उन को विश्वास है और हम सब को भी विश्वास है। उस का वह इस्तेमाल करें। अपने लिए नहीं--मैं जानता हूं कि अपने लिए वह इस्तेमाल नहीं करेंगे--लेकिन रेफ़यूजीज़ के लिए, जिन का उन के पास चार्ज है। मैं उन से यह कहूंगा कि वह इन्कार न करें कि मैं नहीं कर सकता और दूसरे यह काम करेंगे।

साहेबे सदर, मैं ने कल अर्ज़ किया था कि बहुत से भाई ऐसे हैं, जिन्होंने ग्रान्ट्स के लिए एप्लाई किया, लेकिन ग्रान्ट्स उन को नहीं मिलीं, क्योंकि टाइम बार हो चुका है। कई तारीखें मुकर्रर की गई। अगर बाकी तमाम चीज़ों के लिए वह वक्त मांगते हैं, तो मैं कहूंगा कि इन ग़रीब आदमियों के लिए, जिन का यह पूल है और जो अपनी प्रापर्टी छोड़ कर आए हैं और किसी वजह से अपना क्लेम नहीं दे सके हैं, मेहरबानी कर के वह उदारता से काम लें और जो उन का हक़ है, वह उन को दें। और फिर उन को दिया क्या गया है? वे पांच अरब रुपए की प्रापर्टी छोड़ कर आए हैं। यहां पर रहा एक अरब रुपया एक तिहाई। आप जानते हैं कि यहां पर एक तिहाई का मोल बाज़ार में पड़ता है आठ आने, जो कि अब डेढ़ आने रह गया है। सरकार ने प्रापर्टी डाली है, तो वह अब ढाई आने हो गया है। इस पर भी यह कहा जाता है कि तारीख़ नहीं रही है। मैं पहले पहले सुना करता था कि पाकिस्तान से इतने अरब रुपया लेना है, उस के लिए बात-चीत की जायगी। लेकिन अब उस के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। अब कहते हैं कि काश्मीर का मामला है। इन तीन चार अरब रुपए का कोई ज़िक्र नहीं है, कोई खाता नहीं है। न प्राइवेट, न पब्लिक और न ओपन टाक का कोई ज़िक्र है। हमारे रेफ़यूजी भाई काश्मीर से आए। उन के क्लेम नहीं लिए जाते हैं। कहा जाता है कि वह पाकिस्तान हैल्ड टेरीटरी है; इस लिए क्लेम नहीं लिए जाते हैं। अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत दे रहेहैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते मेहरबानी कर के जो प्रापर्टी वे वहां छोड़ आए हैं, उस की लिस्ट तो बना ली जाये। उस को क्लेम मत कहिए। क्लेम का नाम मत लीजिए। सिर्फ़ इस ख्याल से लिस्ट बना लीजिए कि हमारा हक वहां पर मारा न जाये और यह पता लगा लीजिए कि इतनी प्रापर्टी फ़लां ने छोड़ी और इतनी प्रापर्टी फ़लां ने छोड़ी। इस से सरकार को पता चल जायगा कि इतनी प्रापर्टी लोगों ने वहां छोड़ी है। पाकिस्तान से जो तीन चार अरब रुपया लेना है, उस को और डेबिट कर दीजिए। लेकिन आज इस काम को कोई नहीं करेगा। अनआथाराइज्ड आकुपेंट्स से जो रुपया लिया जायेगा, उस से पूल बढ़ेगा और इस की मुझे खुशी है, लेकिन मुस्तहक लोगों को कुछ देने की बात भी होनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने एक और बात फ़रमाई, जिस की मुझे खुशी है। उन्होंने फ़रमाया था कि जो मेम्बरान उठते हैं, वे मेरे मुताल्लिक तो ज़िक्र करते हैं कि आप ने अच्छा काम किया, सयाना

काम किया, काबिले-तारीफ़ काम किया, लेकिन मेरे स्टाफ़ के मुताल्लिक कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर उस के मुताल्लिक कोई अच्छी बात करे, तो मैं खुश हूंगा। मैं एक छोटी सी सच्चाई अर्ज़ करना चाहता हूं। सच बात तो यह है कि उन के बारे में हमारे दिलों में तारीफ़ है और मैं ज़ाती तौर पर उन का बड़ा ममनून और मशकूर हूं और यह बात मैं ईश्वर के सामने और इस ऐवान के सामने कहता हूं। मैं यह मानता हूं कि इन के स्टाफ़ में, मिनिस्ट्री में ऐसे से आदमी हैं, जिन के पांव की मैं खाक नहीं हूं और मैं उन की तारीफ़ इस लिए नहीं करता हूं कि शायद वे नाराज़ न हो जायें। मैं जान बूझ कर डिप्टी मिनिस्टर की भी तारीफ़ नहीं करता कि कहीं मिनिस्टर साहब नाराज़ न हो जायें, क्योंकि किसी को नाराज़ करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इन के अफ़सरों की तारीफ़ मैं इस लिए नहीं करता हूं कि कहीं यह नाराज़ न हो जायें।

पुनर्वास और अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : क्यों ?

श्री अंचित राम : अपनी अपनी तबियत होती है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को उन की नीयत पर इतना शुबहा क्यों है ?

श्री अंचित राम : मुझे उन की नीयत पर बड़ा भरोसा है। मैं इन की तारीफ़ करता हूं। बाज़ बातों में मैं दिल से उन को अपना गुरू मानता हूं और इन को अपने से ऊंचा मानता हूं। मेरी आंखों में मिनिस्ट्री के काम करने वाले भी हैं। वे बड़े नेक-दिल और फ़रिश्ता-सीरत हैं, लेकिन मैं अपनी ज़बान को दबाए रखता हूं कि किसी की तारीफ़ करने से कोई नाराज़ तो नहीं हो जायगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : ऐसा कहना उचित नहीं है।

†**सभापति महोदय** : इन बातों को रहने ही दिया जाये तो अच्छा होगा।

श्री अंचित राम : मैं तो बोलता ही नहीं हूं। कल मिनिस्टर साहब ने यह बात कही थी कि अगर मेम्बर उन के स्टाफ़ का ज़िक्र करेंगे, तो उन्हें खुशी होगी। मैं तो ऐसी बातों को **अनसैड** ही रहने देता हूं, कहता नहीं हूं। मैं तो मीठी मीठी बातें कहता हूं। मैं ऐसी बातें कहता हूं, जिन से सब खुश रहें। ऐसे अफ़सर हैं, जैसे सेक्रेटरी साहब हैं—नाम लेने की बात क्या है ?—, जिनकी सच्चाई और दयानतदारी को सब मानते हैं। मिनिस्ट्री में ऐसे भी काम करने वाले हैं, जिन का नाम लेने से मैं अपने आप को पवित्र समझता हूं। यह खुशी की बात है, लेकिन साथ ही मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसे भी असहाब मौजूद हैं, जिनका नाम बदनाम है और आप भी जानते हैं। अभी होटल वालों की बात की गई। यहां दिल्ली में है। सब जानते हैं कि क्या चलता है। तमाम दुनिया जानती है। लेकिन क्या कहा जाये ? करप्शन का ज़िक्र किया जाता है। अगर मेरा क्लेम नहीं मिलता है, तो यह खुली बात है कि दो सौ रुपए आफ़िशियल को दे दिये जायें, तो जल्दी पेमेंट हो जायगी। इसका इलाज क्या करें ? अगर किसी से भी बात करें कि क्लेम नहीं मिलता है, तो वह कहता है कि दो सौ रुपए रखता हूं और अभी लेता हूं। जहां नेक-दिल और फ़रिश्ता-सीरत आदमी हैं, वहां ऐसे आदमी भी हैं।

सभापति महोदय : मैं जनाब से अर्ज़ करूंगा कि अगर आप के ज़ाती इल्म में यह बात हो, तब तो आप इसको बयान कीजिए, वर्ना जो शख्स इस हाउस में मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ़ ऐसी बात करना

†मूल अंग्रेजी में

[सभापति महोदय]

नामुनासिब है । जो आप के ज्ञाती इल्म में नहीं है, उसके बारे में इस तरह कहना ठीक नहीं है । बस इस पर ख्याल कीजिए ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है ।

श्री अचित राम : आपने पहली दफ़ा तशरीफ़ रखी है । आपने कह दिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया । जो मैंने कहा, उसके लिये मैं चैलेंज करता हूं और गवाहियां भुगताने के लिये तैयार हूं । मने यह कहा है कि लोग कहते हैं कि अगर कोई क्लेम नहीं मिला, तो दो सौ रुपया दो, मैं लेकर देता हूं । मैंने नाम नहीं लिया । आप को शायद ग़लतफ़हमी है । मैंने तो यह आम बात कही है । यह मिनिस्ट्री दो चार छः महीने और हैं । मैंने उस पर जो चार्ज लगाया है और उसके खिलाफ़ यह आम चार्ज है, इसको वह दूर करे । यह खुला चार्ज है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : चार लाख और ८५ हज़ार क्लेम थे, जिनमें से साढ़े चार लाख का फ़ैसला हो चुका है । अब सिर्फ़ पन्द्रह, बीस, पच्चीस हजार क्लेम हैं । अगर लाला जी कहते हैं कि हर आदमी को हर क्लेम में दो सौ रुपया देन पड़ा, तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इन ख्यालात से सब्स्क्राइव नहीं कर सकता । अगर उनके पास कोई खास केस हो, तो वह बतायें । मैं देखने के लिए और एन्क्वायरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन अफ़सरों के खिलाफ़, जिन्होंने लाखों आदमियों के क्लेम्ज़ का तीन चार साल में फ़ैसला किया , इस किस्म का बोहतान लगाना लाला जी के लिए कोई शान के शायां नज़र नहीं आता ।

श्री अचित राम : मैंने यह बात हरगिज़ नहीं कही कि चार लाख क्लेम्ज़ में हर क्लेम में दो सौ रुपया देना पड़ा । मैंने कहा है कि हज़ारों क्लेमों में ऐसा हुआ और चार लाख रुपया तो गया ही होगा । चार लाख क्लेम तो मामूली बात है । मैं अब भी कहता हूं । मैंने यह नहीं कहा कि हर क्लेम में रुपया देना पड़ा । रिश्वत दी जाती रही है, यह मेरा चार्ज है और मैं उस पर स्टिक करता हूं । शान के शायां की बात मैं नहीं करता ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य ने बीसियों केस मुझे भेजे लेकिन क्या उन्होंने ऐसा केस मुझे भेजा है, जिसमें उन्होंने किसी के खिलाफ़ यह कहा हो कि उसने रिश्वत ली है, रुपया लिया है । उन्होंने मुझे इतने केसिज़ भेजे हैं, लेकिन कोई केस आज तक नहीं भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि फलां अफ़सर ने रिश्वत ली ।

श्री अचित राम : मैंने इस बात को एक या दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा शाइस्ता तरीके से मिनिस्टर साहब के गोश-गुज़ार किया है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : कोई इन्सटेंस नहीं दिया माननीय सदस्य ने आज तक ।

सभापति महोदय : सवाल यह है कि किसी खास मामले को वक्त और आदमी के लिहाज़ से साफ़ तौर पर बयान करके मिनिस्टर साहब से आप ने कहा या नहीं । यह सवाल है सिर्फ़ जेनरल बात नहीं है ।

श्री अचित राम : मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर मुझे आज यह हौसला हो, मुझे आज इस बात का पता हो कि तहकीकात की जाएगी, काम सिरे चढ़ेगा तो मैं आपको बताऊं भी, तब तो मैं बात भी करूं । मेरा दिल बैठा हुआ है । आपसे मैं दयानतदारी से कहता हूं कि अगर मुझे यकीन हो . . . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो केस आप बतलायेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसकी होम मिनिस्ट्री की स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट के ज़रिये तहकीकात करूंगा, उसके पास उसको भेज दूंगा ।

श्री अचित राम : जितनी प्लेजेंट बातें मैंने कहीं, जिन बातों के लिये मैंने शुकरिया अदा किया आपका और आपके अफसरों का, वे तो सब मामूली बातें हो गईं लेकिन अगर ज़रा सी सच्ची या अन-प्लेजेंट बात कही, वह बात कही जिसको कि दुनिया कहती है, तो आप नाराज़ हो गए, इसका मुझे अफसोस है ।

आखिर में मैं आपका, साहिबे सदर, और माननीय मंत्री जी का शुकरिया अदा करता हूं । कल दौलता साहब ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि हमारी पार्टी ने यह किया और वह किया और उसने रूलिंग पार्टी को शिकस्त दी । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है । शिकस्तें तो रूलिंग पार्टी ने भी दूसरी पार्टियों को दी हैं लेकिन इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहियें ।

उन्होंने यह भी कहा कि मिनिस्टर साहब परसनली मेहरबानी कर रहे हैं, यह भी मुनासिब नहीं है । परसनल मेहरबानी करने का कोई सवाल नहीं होता है ।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर विचार किया जाएगा और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक की पेचीदगियों की ओर ध्यान नहीं दिया है । यह विधेयक और १९५९ वाले विधेयक में स्वरूप की दृष्टि से चाहे कितना ही साम्य हो, पर उनमें जमीन आसमान का अन्तर है, यह विधेयक पहले वाले विधेयक की अपेक्षा अधिक अनुचित है । माननीय मंत्री के कथनानुसार अधिकांश निष्क्रान्त सम्पत्ति वितरित की जा चुकी है । केवल शेष के प्रबन्ध के लिए यह विधेयक है ।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से यह नहीं पता लगता कि अब कितनी सम्पत्ति शेष रह गयी है । यदि अधिकांश सम्पत्ति वितरित हो चुकी है, तो फिर इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । माननीय मंत्री ने कहा था कि इस मंत्रालय को शीघ्र ही समाप्त किया जायेगा पर इस प्रकार तो इस मंत्रालय को स्थायी बनाया जा रहा है । मैं पहले अवसर पर कह चुका हूं कि किराये, हानियां, क्षतिपूर्ति आदि के निर्धारण में विस्थापित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना, संविधान की दृष्टि से उचित नहीं है । मुझे इसकी वैधानिकता पर सन्देह है । आशा है कि माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि उन्होंने इसकी वैधानिकता के बारे में वैधानिक परामर्श ले लिया है ।

इस विधेयक में १९५३, १९५४ और १९५८ में संशोधन हो चुके हैं । इन संशोधनों के समय पर भी इस प्रस्तावित संशोधन की चर्चा की गयी थी । मैं पूछता हूं कि उस समय जब यह संशोधन नहीं किया जा सका तो अब ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गयी है कि इस विधेयक की आवश्यकता पड़ गयी ।

विधेयक का खण्ड ३ धारा १० का संशोधन करना चाहता है । इस प्रकार अभिरक्षक को सभी प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया जा रहा है । मैं इस प्रकार के संशोधन के पक्ष में नहीं हूं । किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति के अर्जन से किसी गैर-निष्क्रान्त व्यक्ति को कोई हानि नहीं होनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार कर लें या फिर अपना कोई संशोधन प्रस्तुत करें । खण्ड ३ का रखा जाना हानिकारक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

मुख्य अधिनियम की धारा ८ का भी संशोधन प्रस्तुत किया गया है। पर यह संशोधन काफी देर से लाया गया है। यह एक सुधारक विधान है।

खण्ड ४ द्वारा धारा १० का संशोधन किया जा रहा है। अभिरक्षक को अधिकार दिया जा रहा है कि वह बकाया को एक निर्धारित समय के भीतर तथा निर्धारित किस्तों में लेगा। पर इस सम्बन्ध में १९५३ में उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है कि अभिरक्षक को इस काम के लिए सामान्य विधि द्वारा कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा निवेदन भी यही है कि अभिरक्षक को सामान्य विधि का सहारा लेना चाहिए। मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। इस प्रकार बकाया वसूल करना गलत तथा गैर-वैधानिक होगा।

धारा १० में एक और संशोधन किया जा रहा है कि यदि किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति के कर का निर्धारण नहीं हो पाया है तो अभिरक्षक अपने स्वविवेक से उसका निर्धारण कर सकेगा और उसे वसूल कर सकेगा। मैं पूछता हूं कि ऐसी सम्पत्ति क्यों होगी। यदि गलती से ऐसा कोई मामला होगा भी तो अभिरक्षक उनका किराया मनमाने ढंग से कैसे निर्धारित कर सकता है। उसे सामान्य विधि का सहारा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा संशोधन अनुचित होगा।

खण्ड ४ के उपखण्ड (३) में कहा गया है कि जिन लोगों के पास अनधिकृत निष्क्रान्त सम्पत्ति है, उन पर किराये के निर्धारण अभिरक्षक स्वविवेक से करेगा और फिर उस निर्धारण की वसूली भी करेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले अब एक भी नहीं होंगे और अगर कुछ मामले होंगे भी तो आप जानते हैं कि विभाजन की मुसीबतों से मजबूर होकर उन्होंने इन सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया था ताकि उन्हें सिर छुपाने की जगह तो मिल जाये। बाद में उनका आवण्टन वे बिचारे नहीं करा पाये क्योंकि वे इतने समझदार नहीं थे और न वे छोटी-मोटी रिश्वतें दे सकते थे। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में अभिरक्षक को यह अधिकार देना अनुचित होगा।

खण्ड ४ द्वारा नई धारा १०क (४) को रखा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति को यदि किसी ने हानि पहुंचाई होगी, तो अभिरक्षक नुकसान का अनुमान लगा कर क्षतिपूर्ति की वसूली उस व्यक्ति से करेगा। मैं पूछता हूं कि विभाजन के १३ वर्ष बाद ऐसा कानून बनाने का क्या अर्थ है। मुख्य अधिनियम की धारा ३२ में इस सम्बन्ध में काफी अच्छा उपबन्ध है। धारा ३७ में भी इस सम्बन्ध में उपबन्ध है। अतः यह नई धारा १०क का रखा जाना मेरे विचार से अनुचित व अन्याय है। आशा है कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खण्ड ५ द्वारा धारा २७ का संशोधन किया जा रहा है। अब अभिरक्षक को अधिकार दिया जा रहा है कि वह अर्जित सम्पत्ति को भी गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर सकता है। अभी तक उसे यह अधिकार नहीं था। मैं समझता हूं कि उसे यह अधिकार देना उचित नहीं है। पंडित ठाकुर दास भार्गव इस विषय में काफी कह चुके हैं, अतः मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता।

खण्ड ६ के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। कुछ संरक्षण दिये गये हैं, हमें उनको वापस नहीं लेना चाहिए। आशा है माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे। खण्ड ८, विधेयक के खण्ड ७ की ही तरह का है। आशा है माननीय मंत्री उसे वापस ले लेंगे।

अन्त में, सभा से मेरा निवेदन है कि वह इस विधेयक के उपबन्धों की पेचीदगियों पर विचार करेगी। जो सम्पत्ति अभिरक्षक के अधीन है और जो उसके अधीन नहीं है, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालय के प्रशासन के लिए भी यह अच्छा नहीं है।

चौ० रणवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सिलसिले में जितनी टीका टिप्पणी हुई है, उसका कोई यह मतलब नहीं कि जो कुछ हुआ है वह सब गलत हुआ है। करोड़ों रुपये की जायदाद का इस महकमे ने बारह साढ़े बारह साल तक ठीक तौर पर इंतजाम किया है और जैसा लाला अचित राम जी ने कहा था कि लाखों आदमियों के क्लेम्स को भी निपटाया है। करोड़ों रुपये की जायदाद का इंतजाम ही नहीं किया, उसको कायदे कानून के मुताबिक बांटकर जो भाई उधर से उजड़कर आये हैं उनको उसका मालिक बनाया। लेकिन आज उसकी इतनी टीका टिप्पणी क्यों होती है इसकी वजह साफ है कि संसार में ज्यों ज्यों समय बीतता है, जो मसले हल हो जाते हैं, आदमी उनको भूलता जाता है। कुछ मसले हल हो गये और हमने देखा कि उस का अच्छे ढंग से निपटारा हुआ। जो बचे उनको हल करने के लिये ही उन्होंने यह संशोधन विधेयक रखा। इसी से साफ जाहिर है कि हमारी खराबियां थीं, कमजोरियां थीं, उन खराबियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए उनको कानून की मदद चाहिए थी और इस लिए उन्होंने मौजूदा कानून का बदलवाना चाहा। कौन नहीं जानता कि इस मंत्रालय ने चौधरी कमेटी को नियुक्त किया था और उसमें कुछ बड़े-बड़े आदमियों और कुछ छोटे आदमियो के कागजात को भी संभाला गया था। कल मंत्री महोदय ने मुझ से कहा कि जो कुछ खराबियां हैं मैं उनको बतलाऊं। उस कमेटी में बड़े-बड़े लोगों की खराबियां सामने आईं जो कि आई० सी० एस० आफिसर्स थे। जालंधर के बारे में कहा जाता है कि एक हिस्सा जो शहर के बीच में है, जो बिल्कुल शहर में है उसको देहात करार दिया गया और देहात करार देने के बाद बड़े-बड़े अफसरों के नाम उसको ऐलाट किया और भी बहुत सी चीजें हुईं। छोटी-छोटी खराबियां भी हुईं। मैं जानता हूं, और मंत्री महोदय भी इस बात को मानते हैं, कि जो कुछ हुआ वह सारे का सारा ठीक था ऐसा नहीं कहा जा सकता।

इस विधेयक के सिलसिले में जो कुछ मैं कहना चाहता था उस में से काफी हमारे लाला अचित राम जी ने कह दिया, सरहदी साहब ने भी कह दिया जिन को कहने का मुझे हौसला नहीं होता था। उन्होंने मुझे हौसला दिया। शायद आज से कुछ साल पहले वह ऐसी बात इस सिलसिले में न कहते जिस के बारे में उन्होंने आज जिक्र किया, और मैं करना चाहता हूं। इस के अन्दर जितने क्लाजेज रक्खे गये हैं, जिस समय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने रक्खा था, उन को उस के कारण कुछ ज्यादा देने चाहियें थे। लेकिन शायद उन्होंने यह समझा होगा कि बजट के वक्त या दूसरे डिस्कशन के वक्त कई बातों को सदन के सामने रक्खेंगे, जैसे कि कितना किराया बाकी है। करोड़ों रुपया बाकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस वक्त इस कानून को तब्दील करने के लिये यह बिल रक्खा गया उस समय मंत्री महोदय को उन के कारणों का अपनी तकरीर में जरूर जिक्र करना चाहिये था, उन्हें सदन को बतलाना चाहिये था कि कितना रुपया किराये का बाकी है, कितने करोड़ रुपये के मकानों का नुक्सान हुआ है। उन्होंने जिक्र किया अगर दो भाई यहां थे, उन में एक भाई पाकिस्तान चला गया और एक भाई यहां रह गया, जब वह भाई पाकिस्तान गया तो यदि उस की जायदाद को उसका भाई खरीद नहीं सकता अब हम लोग उस दूसरे भाई की जायदाद को जो कि इवैक्वी प्रापर्टी हो गई बन्दोबस्त करने के लिये, दूसरा नानइवैक्वी हिस्सा भी खरीदना चाहते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बात नहीं है।

चौ० रणवीर सिंह : सेक्शन ३ जो है वह बिल्कुल साफ है इस सिलसिले में कि कस्टोडियन उसे खरीद सकता है। सवाल है कि कितनी परेशानियां थीं, कितने केस थे, मंत्रालय के सामने। और किन परेशानियों की वजह से उन्होंने यह संशोधन रक्खा और कहां कहां हैं वह परेशानियां, यह भी नहीं बताया। मैं आप से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप भी उजड़ कर आने वालों में से एक हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि इस मंत्रालय के अन्दर जो भाई उधर से आये, आम तौर से उन को ही

[चौ० रणवीर सिंह]

ज्यादा नौकरियां दी गईं, और दी जानी चाहियें थीं क्योंकि उन के रिहैबिलिटेशन का सवाल था। आप जानते हैं कि जिस राज्य से मैं आता हूं, और जिस राज्य से आप आते हैं वहां की बदकिस्मती है कि जिस कौम या जिस मजहब के मानने वालों की जायदाद को आप इवैक्वी मानते हैं उन के मजहब का कोई अफसर नहीं। उस जायदाद का इन्तजाम करने वाले जिसे आप इवैक्वी कहते हैं, आम तौर पर वही भाई हैं, जो भाई उधर से उजड़ कर आये हैं, और उन की हमदर्दी जो भाई उजड़ कर आये हैं उन से है। उस हमदर्दी के जोश में अगर वह कुछ अपने अख्त्यार से ज्यादा भी कर दें तो वह भी सही समझा जा सकता है, और समझ में आ सकता है कि वह ऐसा कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि यह समस्या कहां की है। बिहार की समस्या है तो शायद मुझे ज्यादा उज्र न हो, लेकिन अगर यह समस्या पंजाब की है तो मुझे उस में बहुत डर है। मंत्री महोदय ने यहां पर जो दो धारायें रक्खी हैं, एक तो ३ और दूसरी ५, उन में जो धारा ५ है वह सारी धारा ३ से खत्म हो जाती है। आज तक किसी को यह अधिकार नहीं था कि जो भाई यहां हैं, और जिस की जायदाद को इवैक्वी प्रापर्टी करार न दी गई हो, उस की जायदाद के ऊपर कोई हाथ उठाये। ... लोगों को तो शायद पहले से ही गिला था, मंत्रालय को भी आज गिला है। इसी लिये उन्होंने सेक्शन ५ को यहां रक्खा है। कुछ ऐसी जायदादें हैं यहां पर जो इवैक्वी प्रापर्टी नहीं थीं, और न इवैक्वी प्रापर्टी मानी ही जाती थी, लेकिन फिर भी उस को इवैक्वी बना दिया गया। यह सेक्शन ५ इस लिये लाया गया है कि वह ऐक्वायर की हुई प्रापर्टी उन आदमियों को वापस मिल सके। कुदरती बात है। हम मानते हैं कि यहां गलतियां हुई हैं। लेकिन उन गलतियों के करने वालों के हाथ में आज आप एक दूसरी तलवार दे रहे हैं। मुझ को तो यह बहुत खतरनाक लगता है। शायद मुझ को यह ख्याल भी न आता, चुभता भी नहीं, अगर आज से पांच या दस दिन पहले एक वाकया मेरे सामने न आता। रोहतक जिले के अन्दर एक सुभाष नगर गांव है। पहले तो उस का नाम कुछ और था, लेकिन अब उस का नाम सुभाष नगर है। उस में कुछ भाई हैं जो मुसलमान काश्तकार थे। वह अभी भी वहां हैं। वहां के एक भाई मेरे सामने आये उन का एक भाई साल या डेढ़ साल पहले पाकिस्तान चला गया। उस के रहने वाले मकान को एक भाई ने बोली में ले लिया है। जिस भाई को वहां पहले जमीन ऐलाट हुई थी वह अपनी जमीन को बेच गया। दूसरे भाई की जायदाद नीलाम हो रही है। वह वहां रहता है लेकिन उस के आधे मकान को दूसरे को बेचा गया। उस के खिलाफ अब अपील पेंडिंग है। लेकिन आज तो उस भाई की सुनने वाला कोई नहीं है। कल कोई दूसरा भाई, असिस्टेंट कस्टोडियन या कोई दूसरा छोटा बड़ा आदमी लिख देगा कि यह प्रापर्टी खराब हो रही है और मुझ को यह दूसरा हिस्सा भी खरीदने की इजाजत दी जाय। ऐसी हालत में उस बेचारे की जो अब तक किसी तरह अपना गुजारा करता आ रहा है, अपने मकान से भी जाना होगा। मैं जानता हूं कि कानून में जो मसविदा रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि अगर इवेक्वी प्रापर्टी घटती है तो उसकी वजह से पूल में घाटा न रहे। असल में क्या होता है? होता यह है कि अगर किसी प्रापर्टी की कीमत बढ़ती है और किसी आदमी को फायदा दिलवाना है, तो उस जायदाद की कीमत लगायी जाएगी और वह उसको पहले ज्यादा दिखायेंगे, वह खरीद नहीं सकता। पर दूसरे के पास तो क्लेम हैं। आप मानिए या न मानिए, इसमें सबूत देने की कोई बात नहीं है कि रुपए का क्लेम १२ आने, आठ आने और सात आने में बिका है। इस बात को सभी आदमी जानते हैं। मंत्री महोदय को भी यह बात मालूम होगी और मंत्रालय को भी मालूम होगी। मैं जानता हूं कि जिन लोगों को इन हालात में अपने क्लेम बेचने पड़े उनकी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तभी तो उन्होंने रुपए की चीज को सात आने में दे दिया। जिन्होंने उनको खरीदा—चाहे किन्हीं हालात में खरीदा—उन्होंने उन भाइयों को कानूनी तौर पर एक्सप्लाइट किया, लूटा। मैं नहीं कह सकता कि कितने करोड़ के क्लेम इस तरह से अंडर बिड

किए गए लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी। जिन भाइयों को मजबूरी थी उनको हमारे इस इन्तिजाम से घाटा हुआ। हमारी भी मजबूरी थी हम उनको उसी वक्त क्लेम्स का रुपया नहीं दे सकते थे। लेकिन बहरहाल उनकी इस हालत का कुछ भाइयों ने फायदा उठाया।

तो मैं यह कह रहा था कि यह जो बात है जायदाद खरीदने की, मुझे इसमें आशंका है, मुझे आशंका है कि पहले जो चीज थी यह उससे भी ज्यादा खराब होगी। मैं नहीं चाहता कि यह अधिकार किसी छोटे मोटे अधिकारी के हाथ में हो। अव्वल तो इस सदन को बताया जाना चाहिए था कि कितनी ऐसी प्रापर्टीज हैं कि जिनको हमें खरीदना जरूरी है। मैं तो समझता हूं कि ऐसी प्रापर्टीज की लिस्ट, जिनको खरीदना आप जरूरी समझते थे, हमको पहले ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर अब तक नहीं मिली, और हमको अगर यह कानून पास करना है, तो कम से कम अब इस सदन के हर सदस्य को वह लिस्ट मिलनी चाहिए, ताकि अगर उनके हलके में कोई ऐसा मामला हो तो वह देख सकें कि किसी गरीब भाई को धक्का न हो सके। पंजाब में कायम रहना कितना मुश्किल है यह वह भाई जानते हैं जो उधर से आए हैं। पार्टीशन के १२–१३ साल बाद अब उनको फिर बेघर होना पड़ेगा। हम तो समझते हैं कि इस कानून का सब से खराब नतीजा यह होगा।

इस कानून में उन्होंने एक अच्छी बात की भी झलक दिखायी है। अगर इसमें यह झलक न होती तो शायद यह पास भी न होता। मंत्री महोदय मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे। मुझे पता लगा कि मंत्री महोदय वकील नहीं हैं, लेकिन अपनी बात मनवाने में वह किसी वकील से भी ज्यादा होशियार हैं। मैं मानता हूं कि इस बिल का क्लाज ३ कभी पास नहीं हो सकता था, अगर इसके साथ क्लाज ५ भी न होता। मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद मन्त्रालय के भाई भी बहुत होशियार हैं, उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। शायद वह इस बात को समझे हों कि इस सदन का मन कैसा है और इस सदन के सदस्य किस ढंग से सोचते हैं। हो सकता है कि माननीय मंत्री का ध्यान उस तरफ न गया हो, तो मैं उनका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको दफा ५ के लिए यश मिले तो आप दफा ३ को हटा दीजिए और जो समस्याएं हैं उनको इस सदन के सामने फिर रखिए। सारी समस्याएं सदन के सदस्यों के सामने आएं और उसके बाद इसको लाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा तरीका होगा।

बाकी बात तो बहुत अच्छी है। सरदार अजित सिंह सरहदी ने जिक्र किया क्लाज ४ के बारे में। वैसे तो कोई आदमी इसकी खिलाफत नहीं कर सकता। आखिर देश के अन्दर हिसाब किताब तो सब को होना चाहिए। जो भाई उधर से आए हैं उनका भी होना चाहिए। लेकिन इस चीज को किस ढंग से चालू किया जाए। मुझे इस बात से इंकार नहीं कि अफसरों को अधिकार दे दिये जाएं। लेकिन अफसर भी हमारी तरह के ही इन्सान होते हैं। जिससे वह नाराज हो जाते हैं उसके टिकने के लिए जगह नहीं रहती। खुदा ही उसकी रक्षा कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि चाहे इस बारे में मंत्रालय द्वारा हिदायत दी जाए या मन्त्री महोदय हिदायत दें। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय के पास बहुत बड़ा काम है। जो भाई वैस्ट पाकिस्तान से आए थे उनकी समस्या तो किसी हद तक हल हो गयी है। कुछ उन भाइयों ने खुद अपनी समस्या हल कर ली है। उन्होंने अपने हौसल से अपनी समस्या किसी हद तक हल कर ली हैं। लेकिन जो भाई ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं उनका कुछ हौसंला भी कम हैं। गुहा साहब का तो गिला है कि मन्त्रालय का हौसला कम है। हमें तो दोनों का ही हौसंला कम दिखायी देता है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं आपको वहां ले चल कर दिखला सकता हूं।

चौ० रणवीर सिंह : मैंने जाकर देखा है। उनको जमीन मिली जिसमें अच्छा चावल हो सकता था। उनको मकान मिले हैं। लेकिन वह उस जमीन में कुछ नहीं कर पाये और पंजाब के राय सिखों ने वहां जाकर उनसे वह जमीन खरीद ली और आज उसमें चावल पैदा कर रहे हैं। वह भाई भी उजड़ कर आए हैं और यह भी उजड़ कर आए हैं। फर्क यह है कि जो बंगाल से उजड़ कर आए हैं वह पंजाब वालों जैसे हौसले वाले नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों बहादुर हैं।

चौ० रणवीर सिंह : बहादुर हैं, इससे मुझे इंकार नहीं। बंगाल के भाई हमसे पढ़ने लिखने में डाक्टरी वगैरह में हमसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खेती के काम में हमसे पीछे हैं।

एक माननीय सदस्य : बुद्धि में ज्यादा हैं।

चौ० रणवीरसिंह : मैं तो कह रहा हूं कि बुद्धि में हम से आगे हैं। बहादुर भी होंगे। लेकिन शरीर के मामले में हम उनसे आगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी कौनसी चीज चाहता है ?

चौ० रणवीर सिंह : मुझे तो दोनों की ही जरूरत है। हर पांचवीं साल चुनाव आते हैं। उस समय तो अगर शरीर मजबूत न हो, काम नहीं हो सकता लेकिन सदन में बुद्धि की आवश्यकता होती है।

तो मेरे साथी ने जो कि मेरे जिले से चुन कर आए हैं गिला किया। उनकी आशा लगी थी केरल की ओर। वह समझते थे कि वहां वजारत की कुर्सी मिलेगी। वह समझते थे कि शायद पंजाब में भी कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन केरल की कुर्सी तो खिसक गयी और ऐसा ७, जंतर मंतर रोड वालों की कोशिश से हुआ। इसीलिये वह अपने दिल के फफोले यहां फोड़ रहे हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के पास या दूसरी पार्टी के पास कोई ऐसी प्रापर्टी होती जो कि इवैक्वी होती और पोलीटिकल पार्टी के हाथ में होती और उसके साथ कोई दूसरे ढंग का व्यवहार किया जाता तो मेरी समझ में आ सकता था। लेकिन आज वह क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं। वह पोलीटिकल पार्टी जिसे हर पांच साल बाद मुकाबला करना पड़े तो वह कंगाल हो जाती है, वह किसी साहूकार के बराबर आकर बोली नहीं दे सकेगी। मैं तो समझता हूं कि कई दफा जब हम लड़ लेते हैं तो लड़ने के बाद समझ की बात भूल जाते हैं। हम सब को इस बात को मानना चाहिए कि यह रिजस्टर्ड बाडी हम से बेहतर नहीं है। इस देश के बनाने में अगर सियासी आदमियों का हाथ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि यह देश बना ही नहीं है। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि उन बनाने वालों में आचार्य कृपालानी, गोपालन साहब, डांगे साहब और खुशवक्त राय साहब को, सबको, शामिल कर लिया जाये। उनका जो तरीका है, काम करने का जो स्थान है, उसकी रक्षा होनी चाहिये। प्रजातन्त्रवाद के नाम पर जो दुहाई दी जाती है और इस ढंग की बात को लूट कहा जाता है, वह ग़लत है और ग़लत वकालत है और वह इसलिए है कि किसी का एक पार्टी से गिला है। लेकिन वह भूल जाता है कि कभी उसकी पार्टी के साथ भी ऐसा मामला आ सकता है और आया है। केरल में कितनी चीज़ों के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रियायत नहीं हुई, यह सदन जानता है और यह देश जानता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह अब खत्म करने की कोशिश करें।

चौ० रणवीर सिंह : आखिर में मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस मेरे भाई ने जो टीका-टिप्पणी की है, उसका कोई बहुत ज्यादा असर वह न समझें, क्योंकि वे तो दो बार भाई हैं, हारे हुए भाई हैं और हारे हुए भाई के शब्द का गिला नहीं करना चाहिए, असर तो उसका क्या होगा।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : जैसाकि मैं ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखते समय कहा था मैं इस समय भी उन्हीं बातों को नहीं दुहराना चाहता हूं। तथापि कुछ सदस्यों ने उन्हीं बातों को दुहराया और कुछ माननीय मित्रों ने तो हमारी गृहनिर्माण योजनाओं और कालोनियों का भी जिक्र किया जिन का इस संशोधन विधेयक से या माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दीवान चन्द शर्मा ने इस विधेयक के बारे में जो बातें कही हैं उन से ज्ञात होता है कि वे वर्तमान विधेयक के उपबन्धों से अवगत नहीं हैं। उन्हों ने यह कहा है कि कुछ अधिकारियों को अनुचित अधिकार दिये गये हैं और जनता को मंत्रालय से आवेदन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मेरे कल के भाषण में यह स्पष्ट कहा गया था कि मुख्य निपटारा अधिकारी के यहां भी अपील करने की व्यवस्था है। वहां मामले का पुनरीक्षण होगा तत्पश्चात् धारा ३३ के अधीन मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया जा सकता है। अतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश की अपील हो सकती है।

आश्चर्य की बात यह है कि एक ओर मंत्रालय पर आरोप लगाये गये और दूसरी ओर यह कहा गया कि उच्चाधिकारियों की शक्तियों को महाअभिरक्षक को अथवा मंत्रालय को सौंप दिया जाय। यह भी बताया गया कि पहिले मंत्रालय का महाअभिरक्षक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दर्जे का होता था। तत्पश्चात् मंत्रालय में तीन या चार महाअभिरक्षक नियुक्त किये गये और सदैव इस बात का प्रयत्न किया गया कि हमें प्रतिष्ठित और ईमानदार न्यायाधीश प्राप्त हों जिस से कि पीड़ित पक्षों के प्रति न्याय हो सके।

कुछ महीनों पूर्व से मंत्रालय का काम बहुत घट गया। आज महाअभिरक्षक के पास उतना काम नहीं है जितना उस के पूर्वाधिकारियों के पास था। अतः हम ने महाअभिरक्षक और मुख्य निपटारा आयुक्त के कार्यालय को मिला दिया। मुझे उस अधिकारी का नाम बताने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि यद्यपि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के सम्बन्ध में आरोप लगाये हैं तथापि उन के कार्यों की प्रशंसा की गई है। मैं श्री जोन्सन के नाम का उल्लेख कर रहा हूं। वस्तुतः श्री अर्चित राम ने भी मुझे यही बताया था कि वे दिल्ली से दंडकारण्य में उन के स्थानान्तरण से बहुत खुश नहीं हैं। वे हमारे अच्छे अधिकारियों में से एक थे लेकिन पूर्व-पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के उद्देश्य से हम दंडकारण्य के शरणार्थियों को जो पूर्ववर्तिता देना चाहते थे उसे ध्यान में रखते हुए हम ने सोचा कि भले ही हमें पश्चिमी क्षेत्र में कुछ कठिनाई हो तथापि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के प्रति हमारा पहिला कर्त्तव्य है, वस्तुतः इस बात को ध्यान में रख कर श्री जोन्सन का स्थानान्तरण किया गया।

इस के पश्चात् हमें दूसरे ज्येष्ठ अधिकारी मिल गये जो अभी कुछ ही दिन पहिले नियुक्त हुए हैं। निस्सन्देह काम को देखते हुए मैं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सका। तथापि हमारे पास अब भी संयुक्त सचिव के पद के एक पुराने भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारी हैं जोकि महाअभिरक्षक तथा मुख्य-निपटारा आयुक्त दोनों का कार्य कर रहा है। महा-अभिरक्षक से अपील की जा सकती है।

अतः श्री दीवान चन्द्र शर्मा की यह आलोचना सही नहीं है कि कुछ अधिकारियों को पूर्ण शक्तियां दे दी गई हैं। वस्तुतः उन्हें उन उपबन्धों का पता नहीं था जिन में इस सम्बन्ध में छूट दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

श्री दी० चं० शर्मा ने यह भी कहा है कि यद्यपि कुछ उच्च न्यायालयों ने कुछ निर्णय भी किये तथापि मैं ने उन्हें कई महीनों बाद सभा में प्रस्तुत किया । वस्तुतः जब किसी उच्च न्यायालय में कोई निर्णय दिया जाता है और उसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उस से सहमत नहीं होता है तो उसे सभा में लाने के पूर्व हमें कुछ स्थितियों पर विचार करना होता है । पहिले हमारा मंत्रालय इस पर विचार करता है तत्पश्चात् विधि मंत्रालय इस पर विचार करता है कभी यह मामला महा-अभ्यर्थी के पास तक जाता है । मामले पर चर्चा होने के उपरान्त जब सरकार इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि संशोधक या मूल विधान सभा के सम्मुख रखा जाय तब मामले पर मंत्रि-मंडल द्वारा विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की एक पुनर्वास समिति है तथा इस सम्बन्ध में मंत्रालय और मंत्रिमंडल की शक्तियां इस समिति में केन्द्रित हैं । तत्पश्चात् यह मामला संसद्-कार्य मंत्री के पास जाता है तथा विधान को सभा में प्रस्तुत करने के पूर्व उन की सहमति प्राप्त करनी होती है ।

वस्तुतः ये दोनों विधेयक पिछले सत्र में सभा के सम्मुख लाये गये थे तथापि समयाभाव के कारण उन पर विचार न हो सका । मैं माननीय दी० चं० शर्मा तथा अन्य सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया जाता तथापि शीघ्रता से एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना जोकि समय की कसौटी पर खरा न उतरे, उस से तो अधिक अच्छा यही है कि हम मामले की जांच के लिये कुछ और अधिक समय लें ।

उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में मेरे पूर्वाधिकारियों पर कुछ लांछन लगाये हैं । विस्थापित सम्पत्ति अधिनियम १९६० में पारित हुआ था । तब ये बातें किसे ज्ञात थीं । यद्यपि मैं इस मंत्रालय में सब से अधिक समय से काम कर रहा हूं तथापि यदि कोई व्यक्ति मुझ से पुनर्वास की परिभाषा पूछे तो शायद मैं उसे न बता सकूं । यह अधिनियम १९५० में पारित हुआ था इसलिये यदि कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों अथवा समय समय पर विधि में पाई गई कुछ अस्पष्टताओं के कारण यदि इसे सभा के समक्ष लाया गया तो इस के आधार पर पूर्वाधिकारियों, मंत्रियों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है ।

श्री अजित सिंह ने खंड २ का जिक्र किया है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि इसे सरकार द्वारा पारित नहीं किया जायेगा तो इससे शरणार्थियों,विस्थापित-पुंज तथा सरकारी राजस्व की हानि होगी। खंड ४ उसी खंड के अनुरूप है जिसे कल शाम पारित किया गया था । उस में प्रबन्धक अधिकारी था तो इस में अभिरक्षक है । अतः मैं इन तर्कों को नहीं दुहराऊंगा कि हमारी व्यवस्था में जिला न्याया-धीश की आवश्यकता क्यों नहीं है, यद्यपि दो, चार या दस वर्ष पहिले इस की आवश्यकता थी । केवल एक बात में मैं उनसे सहमत हूं । एक बात में मैं उनसे सहमत हूं तथा मैं उनका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान दिलाया । यह बात खंड ३ के सम्बन्ध में है । जहां संयुक्त सम्पत्ति है और न्याय-निर्णयन के पश्चात् निष्क्रान्त हितों को पृथक किया जाता है वहां कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । मैं ऐसी शक्तियां लेना चाहता था कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके । मेरा अथवा सरकार का, इन शक्तियों को प्राप्त करने से यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि हम ऐसी शक्तियां खरीदें जो निष्क्रान्त पुंज में न हों । अतः मुझे उस संशोधन को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है जो श्री अजित सिंह द्वारा बाद में प्रस्तुत किया जायेगा । मैं आशा करता हूं कि अब चौधरी रणवीर सिंह को मेरी सदाशयता पर कोई सन्देह नहीं होगा और वे इसे स्वीकार करेंगे कि मैं ने खंड ५ के द्वारा शक्तियां ले कर सभा को धोके में रखने का प्रयास नहीं किया है । चौधरी रणवीर सिंह ने सुभाष नगर का भी जिक्र किया । यदि वह मामला मेरे समक्ष लाया जायेगा तो मैं उस पर गौर

करूंगा। यह बहुत दुख की बात होगी कि यदि भारत में, जो अपने को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहता है, वहां एक व्यक्ति की सम्पत्ति को निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की जाय जबकि वास्तव में वह निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित नहीं की जानी चाहिये थी।

वे संशोधन भी जो पूर्ण सच्चाई के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। उन के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे निहित स्वार्थ से प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा यह आशय कदापि नहीं रहा है।

संयुक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया जरा कठिन होती है। सब से पहिले यह पता लगता है कि अमुक मकान का एक भाग निष्क्रान्त सम्पत्ति है, तत्पश्चात् एक सक्षम अधिकारी इस सम्बन्ध में न्याय-निर्णय करता है। तत्पश्चात् निष्क्रान्त हितों को पृथक कर दिया जाता है। यदि उस का एक भाग निष्क्रान्त व्यक्ति के भाई का हो जोकि भारत में ही रहता है और उस मकान पर कब्जा किये है, तो हम ने तीन चार वर्ष पूर्व जारी किये गये एक आदेश से उन्हें कुछ सुविधायें दी थीं जो इस प्रकार हैं, यदि निष्क्रांत अंश आधे से अधिक है तो उसे दूसरे अंशधारी को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर दे दिया जाय यदि वह इसे न लेना चाहे तो किसी विस्थापित व्यक्ति को दे दिया जाय। इस प्रकार उसे पहिले से ही सुविधा प्राप्त है। यदि वह बड़ी सम्पत्ति है और उसे बाढ़ लगा कर पृथक किया जा सकता है तब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तथापि छोटे मकान के संबंध में उसे यह सुविधा दी गई है। अधिनियम के अधीन अभिरक्षक को अपना अंश बेचने का अधिकार है तथापि कठिनाई तब पैदा होती है जब कि दूसरे खंड में रहने वाला भारतीय नागरिक उसे खरीदने को तैयार नहीं होता। ऐसे मामलों में जब वह मकान नहीं खरीदना चाहता और अभिरक्षक को सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है वहां ऐसे मामले हुए हैं जहां सरकार के हितों की भली प्रकार रक्षा नहीं हुई है। अतः हम अभिरक्षक को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह दूसरा अंग भी खरीद सके तब वह पूरा मकान किसी शरणार्थी को दिया जाय या बेचा जा सके।

खंड ६ के सम्बन्ध में कल पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। हमने धारा २७ के अधीन महाअभिरक्षक को शक्तियां दी हैं। धारा १२ के अधीन अधिग्रहीत सम्पत्तियों के संबंध में भी हमें महा-अभिरक्षक को ये ही शक्तियां देनी होंगी, क्योंकि ऐसे मामले हमारे देखने में आये हैं कि सम्पत्तियां अभिरक्षक के हाथों से धारा १२ के अधीन राष्ट्रपति के हाथों में चली गई हैं। यदि हमें यह ज्ञात हो गया कि वह सम्पत्ति निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं है और वह व्यक्ति भारत में ही कहीं रहता है तो हमारा उद्देश्य सम्पत्ति को पुनः सौंपने की शक्ति महाअभिरक्षक को दे देना है। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता हूं कि इस शक्ति का उपयोग महाअभिरक्षक करे या मंत्रालय।

अब मैं खंड ७ को लेता हूं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिग्रहीत सम्पत्ति को अनिष्क्रांत सम्पत्ति घोषित करने का अधिकार महा-अभिरक्षक को दिया गया है। यदि इस बीच वह सम्पत्ति किसी विस्थापित व्यक्ति को उसके दावों के बदले में दे दी गई है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : यदि उसने वहां पर्याप्त सम्पत्ति बना ली हो ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** ऐसी अवस्था में मंत्रालय को इस बात पर बिचार करना होगा कि विस्थापित व्यक्ति से मकान का कब्जा लिया जाय या कि उस मुसलमान को जिस को कब्जा दिया गया है कब्जा न दिया जाय अथवा विधि के अधीन उसे किसी अन्य स्थान में कुछ सम्पत्ति या नकद राशि या मकान इत्यादि दे दिया जाय। मैं चाहता हूं कि यदि किसी विस्थापित व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

को मकान लिया गया है तो उसे किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े तथापि उसे वही मकान दिया गया या दूसरा इस पर मामले के गुणावगुणों के अनुसार विचार किया जायेगा ।

अब मैं खंड ७ को लेता हूं । मैं अध्यक्ष महोदय से यह अनुमति चाहता हूं कि यह खंड हटा दिया जाय । जिस से कि उसका रूप ठीक वही हो सके जैसा कि हमने कल पारित किया था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खण्डों को लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३—(धारा १० का संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २, पंक्ति ३, " acquire any (अर्जित करेगा) " के पश्चात् "non evacuee interest in evacuee (निष्क्रांत सम्पत्ति में गैर-निष्क्रान्त हित)"

(श्री अजित सिंह सरहदी)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड चार—(नई धारा १० क का रखा जाना)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७, प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन सभा के सामने है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह धारा १० क के उप-खंड (४) को निकाल दें। इतने समय बाद अब हानि का अनुमान लगाना तथा उस से हरजाना वसूल करना, एक अनुचित बात होगी। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस बात पर पुनः विचार करें।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं सभा को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी मामले में हानि का निर्धारण बहुत अधिक होगा, तो मैं उसकी जांच अपने मंत्रालय के एक प्रविधिक परामर्शदाता से करवा लूंगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होने पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४, ५, ६, ७ और ८ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

नया खण्ड ४क

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खंड ७ को लेंगे।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** हम इसे वापस ले रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** लेकिन सभा द्वारा मतदान होने पर ही इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ और ९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ८ और ९ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :.

पृष्ठ १, पंक्ति ४, "1959(१९५९)" के स्थान पर "1960(१९६०)" रखा जाये ।

(श्री पू० शे० नास्कर)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ८, " Tenth year (दसवें वर्ष) " के स्थान पर " Eleventh year (ग्यारहवें वर्ष)" रखा जाये ।

(श्री पू० शे० नास्कर)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दहेज निषेध विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि दहेज देने या लेने को निषिद्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"खण्ड २

(१) कि पृष्ठ १, पंक्ति ९ के अन्त में, "given" ["दिये जाने"] शब्द के स्थान पर "either directly or indirectly" ["प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से"] शब्द रख दिये जायें ;

(२) कि पृष्ठ २ में, पंक्ति १ से ६ हटा दी जाये।

खण्ड ४

(३) कि पृष्ठ २ में, खंड ४ हटा दिया जाये।"

पहिला संशोधन तो आनुषांगिक है। यह तो प्रारूप की भाषा में ही परिवर्तन मात्र है। मूल विधेयक में ही यह बात थी कि "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई वस्तु" जहां तक कि सरकार की बात है यह विधेयक की भाषा को और भी स्पष्ट करता है अतः हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अस्वीकृत हो चुका है।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह समझ कर कि ये शब्द बेकार हैं इसलिये यह अस्वीकृत हुआ था। वस्तुतः उस समय मैंने सभा में बताया था कि "दिये" शब्द का अभिप्राय "अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी वस्तु" से है। सभा ने उस समय मेरे निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था और "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिये गये" शब्दों को अतिरिक्त समझा था। राज्य सभा के सदस्यों ने यह अनुभव किया कि चाहे ये शब्द बेकार ही क्यों न हों इनका उल्लेख किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में दल की ओर से कोई आग्रह नहीं है और राज्य सभा ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया है। कोई संयुक्त बैठक के बजाय अच्छा यही है कि हम भी इसे स्वीकार कर लें।

दूसरे संशोधन का जहां तक सम्बन्ध है [माननीय सदस्य देखेंगे कि जो व्याख्या पुरः स्थापित की गई थी उसे इस संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। मैं समझता हूं कि महिला सदस्यायें इस बात से बड़ी प्रसन्न होंगी कि राज्य सभा ने इस व्याख्या को निकाल दिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी इसको निकालने का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में दल की ओर से भी कोई आग्रह नहीं था। मैं समझता हूं कि यदि यह व्याख्या रहती तो भी मां या बाप के सामने कोई रुकावट नहीं थी कि वे शुद्ध उपहार के रूप में अपनी पुत्री या बेटी को कोई भी चीज दे सकते। पर यदि जैसा कि व्याख्या में कहा गया है इसे रख लिया जाता तो इससे लोगों को अवसर मिलता कि वे विवाह के उपलक्ष में तरह तरह के उपहार देते इसीलिये राज्य सभा के सदस्यों ने सोचा कि यदि सरकार द्वारा दहेज

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

की ठीक परिभाषा की गई तो इस व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है । इस व्याख्या के रहने से शुद्ध उपहार नहीं बल्कि उपहार की आड़ में लेनदेन को प्रोत्साहन मिलता । अतः यह सभा स्वतंत्र है कि वह राज्य सभा के संशोधनों को स्वीकार कर ले और जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे इस से प्रसन्नता होगी ।

खंड ४ को निकालने के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यदि दहेज की केवल मांग की जाये और उसकी प्राप्ति न हो तो इसे दंडनीय न बनाया जाये । राज्य सभा में इस सम्बन्ध में अनेक तर्क दिये गये और वहां अधिकांश महिला सदस्यों ने वहां इस बात पर जोर दिया कि दहेज की मांग मात्र को दंडनीय न बनाया जाये । उनका कहना था कि हमारे समाज में विशेषतया गांवों में लोगों में मनमुटाव चलते हैं यदि इसे दंडनीय रखा गया तो उस मन-मुटाव की आड़ में एक पक्ष दूसरे पक्ष की शिकायत करेगा—कि उसकी लड़की की शादी इसलिये नहीं हो पायी कि अमुक पक्ष ने दहेज की मांग की थी और वह दहेज नहीं दिया गया—इस प्रकार की हजारों शिकायतें आये दिन हुआ करेंगी जिनसे लोगों को परेशानी होगी। यह सच है कि ऐसी स्थिति में निराश अभिभावक जिनकी लड़कियों का शादी के लिये चयन नहीं होगा दूसरे पक्ष की शिकायत करते रहेंगे । मैं स्वयं भी समझता हूं कि वास्तव में दहेज का लेना और देना दंडनीय हो लेकिन मांगा जाना नहीं । जो माननीय सदस्य खंड ४ के निकालने की बात का समर्थन करते हैं वह भी चाहते हैं कि दहेज की मांग को दंडनीय न बनाया जाये इससे कुछ शिकायतें होंगी और लोग परेशान होंगे ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : जो आदमी दहेज देगा वह कभी भी उस बात की शिकायत करने नहीं जायेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** तो क्या मैं यह समझूं कि चूंकि दहेज देने वाला उसकी शिकायत नहीं करेगा इसीलिये दहेज लेने व देने को दंडनीय न बनाया जाये ।

इस सम्बन्ध में सरकार का कोई अपना दृष्टिकोण नहीं है—मेरा अपना दृष्टिकोण अवश्य है और मैं उसे प्रकट कर चुका हूं । पं० ठाकुर दास भार्गव ने विधेयक की जो आलोचना की थी उसका उत्तर देते समय मैं ने कहा था कि चूंकि दहेज लेने व देने का प्रमाण मिलना कठिन होगा अतः ऐसे लोगों को दंड देने में भी कठिनाई होगी । इसलिये मैं ने खंड ६ पर बहुत जोर दिया था । यह खंड विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है । और व्यवस्था करता है कि दहेज के रूप में या अन्य रूप में पिता द्वारा दी गयी सारी सम्पत्ति वधू की होगी इसी कारण इस सभा में भी और उस सभा में भी मैंने कहा था कि खंड ६ पर मुझे अधिक विश्वास है बजाय दंड देने वाली धारा के। यह ठीक है कि इस धारा में भी दंड की व्यवस्था है लेकिन जब कि दीवानी की कार्यवाही की जाये । इससे वधू को उस सम्पत्ति को पाने का अधिकार मिलेगा जो उसको नहीं मिल पाती । इससे वर को भी लाभ होगा । दीवानी कार्यवाही करने पर दहेज देने वाला भी अदालत में गवाही देने के लिये आयेगा और कहेगा कि इस सम्पत्ति को पाने की अधिकारी यही पुत्री है । लेकिन अगर वह अपनी लड़की के पति और उसके पिता को जेल भेजना चाहेगा तो गवाही देने नहीं आयेगा । यही कारण था कि उस समय जब कि खंड ६ के अनुसरण में यह सुझाव दिया गया था कि इसे भी दांडिक कार्यवाही के साथ जोड़ देना चाहिये तो मैं ने इसका विरोध किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं ने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जिनमें वधू ने पिता के विरुद्ध मुकदमे दायर किये हैं और पुत्र ने पत्नी के पक्ष में गवाही दी है । दीवानी कार्यवाही के समय पत्नी, पति तथा अन्य व्यक्ति आकर पिता के विरुद्ध गवाही देंगे लेकिन दांडिक मामलों में ऐसी बात नहीं है । और यही कठिनाई है ।

अत: मेरे विचार से खंड ६ में वधू को जो दीवानी कार्यवाही का अधिकार दिया गया है वह बहुत ही ठीक है और उसको लाभकारी भी होगा । साथ ही यह धारा पति की दृष्टि से भी लाभकारी होगी ।

इसलिये दांडिक धाराओं पर हमें पूर्ण भरोसा नहीं रखना चाहिये क्योंकि दंडनीय धाराओं की—दहेज लेने और देने वालों को दंड देने—कठिनाइयों का मैं उल्लेख कर चुका हूं । उन कठिनाइयों को हमें नहीं भूल जाना चाहिये । खंड ६ के अधीन दी गई दीवानी कार्यवाही की सुविधाओं के अन्तर्गत वधू को दिये गये अधिकार का उपयोग करने में उसे गवाही प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । इस प्रकार के मामले अब भी काफी आते हैं जबकि वधुएं कहती हैं कि यह दहेज नहीं बल्कि उपहार था ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या खंड ६ खंड ३ का विरोध नहीं है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरे विचार से तो नहीं है । क्योंकि यह तो दहेज लेने अथवा देने और दहेज सम्बन्धी सभी मामलों की घोर निन्दा करता है । मेरा कहना है कि एक बार विधि का उल्लंघन करने पर उसे जेल जाना पड़ेगा लेकिन उस सम्पत्ति का क्या होगा ? किसी न किसी की तो वह सम्पत्ति होगी । दहेज लेने वाले—पिता अथवा पुत्र—को हम वह सम्पत्ति देना चाहते हैं । इसलिये विधि में यह व्यवस्था की गई है कि जो दहेज दिया जाता है वह वधू के अधिकार में रहे । यह वह अधिकार है जो अब तक वधू को नहीं था । यह वह अधिकार है जो वधू को दीवानी कार्यवाही के आधार पर दिया जा सकता है । जिसमें वधू की ओर से चाहे उसका पति अथवा उसका कोई अन्य सम्बन्धी गवाही दे । यही कारण है कि मैं ने इस सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों से निवेदन किया था कि हमें दीवानी कार्यवाही पर अधिक भरोसा करना चाहिये । अगर हर मामले में लड़की वह दहेज ले लेती है और पिता अथवा उसके पुत्र उस दहेज में से कोई मांग नहीं लेते तो दांडिक प्रक्रिया की अपेक्षा यह अधिक अच्छा प्रतिबन्ध होगा । क्योंकि वास्तव में देखा जाये तो हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री के स्वसुर को जेल भेजना नहीं चाहता । यह कठिनाई सभी समाजगत व्यवस्था में पाई जाती है ।

जेल जाने की कठिनाई की दृष्टि से मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि हमें दांडिक धाराओं पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिये । इसलिये हमें हर काम के लिये दंड की व्यवस्था नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे समाज में एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत करने की भावना बढ़ेगी और समाज में कठिनाई का वातावरण हो जायेगा । और जिसका कोई भी स्वागत नहीं करेगा ।

राज्य सभा के जिन सदस्यों ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मैं यह बता देना चाहूंगा कि जब हम उस दहेज का सारा श्रेय और लाभ उस वधू

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० के० सेन]

को दे रहे हैं तो दहेज देने और लेने की क्रिया को दंडनीय नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि यह एक ऐसी मांग है जो वस्तुतः पूरी नहीं होती।

राज्य सभा तथा इस सभा में खंड ४ को निकालने की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहूंगा कि चाहे आप दहेज लेने अथवा देने को दंडनीय बनायें अथवा न बनायें लेकिन उसके लिये दंड देना बहुत कठिन होगा। मान लीजिये कि एक आदमी आता है और शिकायत करता है कि अमुक व्यक्ति दहेज की मांग कर रहा है और चूंकि लड़की का बाप उस मांग की पूर्ति नहीं कर सका है अतः उसकी लड़की का विवाह नहीं हुआ। लेकिन इस बात को सिद्ध करना बड़ा कठिन है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : क्या मांग करना दहेज देने अथवा लेने के लिये अनुत्तेजना नहीं है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मांग इस सम्बन्ध में एक प्रयत्न हो सकता है। अनुत्तेजना तो वहां होता है जहां कि वास्तविक अपराधी की वह सहायता करता हो। लेकिन यहां वास्तविक अपराधी तो मांग कर रहा है। यह तो अपराध करने के प्रयत्न के समान है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : दहेज मांगना निश्चय ही दहेज की मांग करना है। अतः यह धारा ३ के अन्तर्गत आयेगा।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इस से सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि अगर दहेज का लेना और देना अपराध बना दिये गये और उसकी मांग को अपराध नहीं बनाया गया तो इसका निर्वाचन कोई और दूसरा नहीं होगा। लेकिन अगर न्यायालय इसका निर्वाचन दूसरे रूप से लेती है तो यह अपराध हो जायेगा। माननीय सदस्यों ने यह सोचा कि इस विधेयक के खंड ४ के अधीन मांग को दंडनीय नहीं बनाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का कहना है कि अगर हम खंड ४ को निकाल दें तो उसके लिये प्रयत्न भी अपराध होगा लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता।

मेरा विचार है कि खंड ४ के बारे में यहां इस सभा में कोई वाद-विवाद नहीं हुआ था। दूसरी सभा में भी इस खंड को निकालने के बारे में मैं ने कोई संशोधन नहीं रखा था। मेरा विचार है कि किसी महिला सदस्या ने इसको निकालने का संशोधन रखा था। सरकार की ओर से इसको निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बलात् लेना दंडनीय है। और अगर मैं ने ऐसा कहा भी तो ठीक ही था। राज्य सभा द्वारा संशोधन किये जाने पर मैं तो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां तक कि सरकार का सम्बन्ध है वहां तक मैं कह सकता हूं कि खंड ४ को निकालने अथवा उसको रखने के बारे में उसका अपना कोई खास मत नहीं है।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : राज्य सभा में मतदान का प्रतिशत क्या है। मेरा विचार है २५ प्रतिशत इसको निकालने के पक्ष में थे और २१ प्रतिशत इसको रखने के पक्ष में थे।

†**श्री अ० कु० सेन** : अगर सभा यह निश्चय करती है कि इस खंड को निकालने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाये तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति में इस पर विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

होगा । इस सभा की यह राय थी कि दहेज की मांग भी दंडनीय होनी चाहिये । बाद को मुझे बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज न पाने वाले बन्धुओं के असफल पिताओं द्वारा बहुत सी शिकायते व्यर्थ में ही की जायेंगी । अतः मेरा विचार है कि दहेज की मांग को दंडनीय बनाये बिना ही हम इस विधेयक को स्वीकार कर लें और यह देखें कि यह विधेयक किस प्रकार कार्य करता है । और भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो मांग को भी दंडनीय बनाया जाये । ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति के निश्चित विचार नहीं होते । सभी उपलब्ध साधनों वित्तीय, साधनों आदि पर विचार करना होता है अतः यह उपयुक्त होगा कि राज्य-सभा ने जो संशोधन किया है हम उस पर विचार करें और मांग को दंडनीय बनाये बिना यह देखें कि यह किस प्रकार कार्य करता है । और बाद को स्थिति पर पुनर्विचार करें । राज्य-सभा में इस पर वाद-विवाद होने के पश्चात् मैं यह विचार करता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां सामन्तवादी प्रथा है व्यर्थ की शिकायतें होंगी और एक पक्ष दूसरे पक्ष की शिकायतें करेगा । अतः मेरा निवेदन है कि मांग को दंडनीय बनाये बिना इसे पारित कर दिया जाये ।

इस विधेयक के अन्य खंडों की अपेक्षा मुझे खंड ६ पर अधिक भरोसा है । मेरा विचार है कि दंडनीय व्यवस्था अधिक नियमित तथा प्रभावी रूप से कार्य नहीं करेगी । क्योंकि स्थिति में काफी कठिनाइयां निहित हैं । अतः आशा करता हूं कि खंड ४ को निकालने के बारे में और अधिक संशोधन न रख कर इस प्रस्ताव को सभा पारित करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्य महोदय, यह दहेज प्रथा को रोकने वाला कानून जब मंत्री महोदय इस सदन में लाये थे, तो हम लोगों ने उन को बधाई दी थी । इस कानून में बहुत त्रुटियां हैं । इस कानून से, जैसा यह बना हुआ है, दहेज की कुप्रथा दूर हो जायेगी, ऐसा हम नहीं मानते, तो भी यह सही कदम है, सही दिशा में कदम है, इस लिये हम ने इस बिल का स्वागत किया था । उन्होंने खुद भी कहा कि लड़की की शादी कर के लड़की के पति और ससुर को जेल में भेजे, ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही हिन्दुस्तान में हो सकता है । आम तौर पर कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वह इस प्रकार से लड़की के पति और ससुर को जेल में भिजवा कर उस के भविष्य को दुखी करे । इस से जाहिर है कि जो मन्तव्य उन्होंने पहली डिबेट के समय यहां पर सामने रखा था, वही सही मन्तव्य था, अर्थात् शादी हो जाये, दहेज दे दिया जाये और यह जो आफेंस है, या कसूर है, वह कर दिया जाये और उस के बाद सजा की बात हो, वह तो कुछ होने वाली बात नजर नहीं आती । शादी टूट जाये, या शादी कर के, दहेज ले कर भी लड़की से कोई बहुत बुरा व्यवहार करे, तो शायद ऐसा कोई केस लाये, लेकिन लड़की को, चाहे घर-बार बेच कर, चाहे बरबाद हो कर, दे दिया, लड़की को दहेज भेज दिया, तो पीछे वह लड़की के घर को बरबाद करने के लिये केस नहीं चलायेगा, शिकायत नहीं करेगा कि मेरी लड़की के ससुर मुझ से जबर्दस्ती दहेज ले गये या मांगी या मैं ने दिया । इस कानून में एक क्लाज थी जिस से कि जो आशय है इस कानून का कि दहेज की प्रथा को दूर किया जाये, उसमें कुछ मदद मिल सकती थी । वह क्लाज ४ थी । इसमें यह था कि जब कोई दहेज डिमांड करता है तो लड़की का पिता या लड़की स्वयं हिम्मत हो तो कह सकती है कि यह नहीं होगा और उस सूरत में वह अगर उसकी सोशल स्पिरिट जागृत है तो जा कर शिकायत भी कर सकता है और यह भी कह सकता है कि हम ने तो रिशता तोड़ दिया लेकिन दूसरे किसी पिता में यह हिम्मत न हो तोड़ने की तो कम से कम दहेज मांगने

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

वाले के कान तो खड़े हों जायें कि मांगने से कुछ नुक्सान हो सकता है, हम कानून की पकड़ में आ सकते हैं। तो जो क्लाज ४ थी जिस में दहेज मांगने के कसूर को सजा के काबिल माना गया था वह सब से अधिक उपयोगी, सब से अधिक मुफीद धारा दहेज की कुप्रथा को दूर करने वाली इस कानून में थी। इससे एक तो जनता को एजुकेट करने में मदद मिल सकती है, दूसरे जनता में हिम्मत आ सकती है कि हम दहेज न दें और तीसरे मांगने वाले को भी थोड़ा सा भय हो सकता है कि मैं ने मांगा तो कहीं ऐसा न हो कि उसकी वजह से मैं कानून की पकड़ में आ जाऊं। इस वास्ते अगर इसको आप निकाल देते हैं, इस क्लाज ४ को आप निकाल देते हैं तो मैं समझती हूं कि इस कानून में कोई प्राण ही नहीं रह जाता है, हम इस कानून को छोड़ दें, न पास करें ताकि जो इसके विरोधी हैं उनका आशय पूरा हो जाये। इस धारा को निकालने से वह हो जायेगा। क्लाज ४ के चले जाने से जो इस बिल का प्राण है वह चला जायेगा लिहाजा जो क्लाज ४ को डिलीट करने के लिये यहां सिफारिश की गई है, मैं उसका विरोध करती हूं।

माननीय मंत्री महोदय को बहुत गर्व है अपने कानून के ज्ञान पर और वह कानून मंत्री भी हैं और गर्व कर भी सकते हैं। यदि वह अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो वह देखेंगे कि चोरी करने के जो प्रयत्न करने वाले को उससे भी सजा मिल सकती है, फिर चाहे चोर चोरी करने के प्रयत्न में सफल हो या न हो। मर्डर करने का जो एटेम्पट है उसमें भी सजा मिलती है, फिर चाहे वह मर्डर करने में सफल हो या न हो। अब यह होता है कि झूठा आरोप चोरी का भी लगाया जाता है और कतल का भी। तो भी चोरी का या कत्ल के प्रयत्न के लिये उसके लिये सजाये पीनल कोड में रखी गई हैं। इसके लिये हमने यह दलील कभी नहीं दी कि क्योंकि—झूठा आरोप लगाया जा सकता है लिहाजा इस आफेंस के प्रयत्न को हम सजा से बरी कर दें, सजा से मुक्त कर दें। यह भी कहा गया है कि दुश्मनी के कारण से कोई दहेज मांगने की शिकायत करके किसी को हैरास करेगा। अगर किसी ने दुश्मनी ही करनी है तो पहली बात तो यह है कि वह दुश्मन के साथ अपनी लड़की की शादी करने क्यों जायेगा, दूसरी बात यह है कि शादी के बाद भी तो वह झूठा इलजाम लगा सकता है कि इसने डावरी ली थी और इस तरह भी दुश्मनी निकाल सकता है। और तीसरी बात यह है कि खाली हैरासमेंट की परेशान करने की जो बात कही जाती है वह ठीक नहीं क्योंकि केवल किसी की शिकायत करने से कुछ नहीं होता। उसको कोई भी कोर्ट सजा नहीं देने वाली है। जिसने शिकायत की इस चीज को साबित भी करना पड़ेगा और इसको साबित करना उसके लिये कोई बहुत आसामन काम नहीं होगा। इसलिये मैं समझती हूं कि इस क्लाज ४ को रखने से कोई बहुत ज्यादा कैसिस होने वाले नहीं हैं या बहुत ज्यादा लोगों को सजा होने वाली नहीं है हैसरासमेंट भी होने वाली नहीं। लोगों पर दो तरह से इस धारा का अच्छा असर पड़ेगा, एक तो डिटरेंट पनिशमेंट के डर की वजह से और दूसरे भौतिक दृष्टि से। एक तो लड़की वाला देने से इन्कार कर सकता है। अगर अपने अन्दर सीधा इन्कार करने की हिम्मत न हो तो कह सकता है सामने वालों को हाथ जोड़ कर कि हम कानून की जद में आजायेंगे, पता चल जायेगा और हम दोनों परेशानी में पड़ जायेंगे। मांगने वाले को भी शर्म आ सकती है और वह सोच सकता है कि अगर मांगने पर जोर दिया और अगर यह चीज कानून की जद में आ गई तो यही नहीं कि मुझे परेशान होना पड़ेगा बल्कि मेरी इज्जत आबरू भी चली जायेगी। जो देहातों का माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है वहां पर आज भी इस चीज को बहुत महत्व दिया जाता है कि इज्जत व आबरू बनी रहे और जेल जाने को बहुत

बुरा समझा जाता है । नेशनल स्ट्रगल में लोग जेल गये, वह और बात थी लेकिन जब कोई किसी कसूर के कारण जेल जाता है तो इसको कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता । इस वास्ते जेल जाने के भय से कोई भी यह काम करने वाला नहीं है, दहेज मांगने वाला नहीं है ।

एक बात की ओर मैं आपका और मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाना चाहती हूं । मैंने सुना है, कानून को देखा तो नहीं है, कि फ्रांस में एडलेट्रशन के लिये, मिलावट के लिये, मृत्यु दण्ड की सजा है । कहते हैं कि मृत्युदण्ड किसी को भी कभी नहीं दिया गया है और इसका कारण यह है कि इतनी कड़ी सजा रखी गखी गई है, कि उसके भय से एडलट्रेशन वहां नहीं होता । न दवाओं में होता है और न ही खाने पीने की चीजों में । मैं समझती हूं कि यह जो क्लाज ४ में डिटरेंट पनिशमेंट की बात रखी गई थी यह बहुत सोच समझ कर रखी गई थी । मंत्री महोदय के जो ड्राफ्टसमेंन हैं उन्होंने बड़े सोच समझ कर इसको रखा था और इस एक क्लाज के जरिये इस कानून में बाकी जो कमजोरियां थीं, उनको दूर करने का, उनको ढकने का, उनको मेक अप करने का प्रयत्न इस बिल में किया गया था । लिहाजा इसको इस में से न निकाला जाये ।

बाकी जो दूसरी दो एमेंडमेंटस हैं उनका मैं स्वागत करती हूं । एक तो क्लाज २ में डायरेक्टली और इंडायरेक्टली एड्ड करने की बात है वह बहुत अच्छी है, वह बहुत उपयोगी सुझाव है । इसी प्रकार से एक्सप्लेनशन निकाल देने का सुझाव भी उपयोगी सुझाव है । मगर क्लाज ४ जो रहना चाहिय। क्लाज ६ का जो एक्सप्लेनेशन दिया माननीय मंत्री महोदय ने, उसका मतलब यह है कि इस कानून के बावजूद कुछ लोग ऐसे होंगे जो दहेज देंगे और शायद बहुत से लोग देंगे और लेंगे, ऐसी सूरत में दहेज लेने वाले को आप सजा दे सकते हैं मगर जो लिया या दिया वह कम से कम लड़की के पास चला जाये, इतना प्राविजन व धारा ६ में रखना चाहते हैं . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप खत्म कर रही हैं या अभी बोलना चाहती हैं क्योंकि दूसरा विजनेस हमको अब लेना है ।

डा० सुशीला नायर : अभी मैं एक मिनट में खत्म कर रही हूं ।

इसलिये भी मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है कि धारा ४ को जैसी वह थी वसे ही वापिस इसमें रखा जाये ताकि इस कानून का जो मुद्दा है, जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री नारायणन् कुट्टि मेनन द्वारा १७ दिसम्बर, १६५१ को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे, अर्थात्

> "कि यह सभा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तों की जांच संबंधी आयोग के प्रतिवेदन, उस पर सरकारी संकल्प और ३० नवम्बर, १६५१ को वित्त मंत्री द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है ।"

श्री हरिश्चन्द्र माथुर अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): मैं यह कह रहा था कि वेतन आयोग को एक विशेष संदर्भ में सिफारिशें करनी थीं। वास्तव में आयोग से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए कहा गया था। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग ने वेतन-क्रमों की सिफारिश करते हुए किसी प्रकार के बन्धन में काम किया है। स्वयं आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है वह उन शर्तों के कारण वेतन बढ़ाने की सिफारिश करने में किसी प्रकार ही हिचक नहीं करेगा।

इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग की नियुक्ति सेवाओं में व्याप्त असंतोष के कारण की गई थी। परन्तु क्या आयोग के प्रतिवेदन से इस असंतोष में कोई अन्तर आया है? मैं समझता हूं किसी भी संगठन ने आयोग की सिफारिशों के प्रति संतोष व्यक्त नहीं किया हैं। हां, कुछ समाचार पत्रों ने अवश्य उन सिफारिशों के पक्ष में मत व्यक्त किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आयोग की सिफारिशों के कारण सरकार को ४० करोड़ रुपए व्यय करने होंगे और स्वतंत्र विचार वाले समाचारपत्रों ने भी उनका समर्थन किया है फिर सेवाओं में असंतोष बना रहने का क्या कारण है? इस ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि इसका कारण सरकार अथवा बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सद्भावना का अभाव है। आयोग ने इसका उल्लेख किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक ऐसे यंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जिससे सेवाओं और सरकार के बीच संबंधों में सुधार हो। सरकार और कर्मचारियों के हित समान होने चाहियें। वास्तव में कर्मचारियों से ही सरकार का निर्माण होता है इसलिए उनके हितों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए।

यदि हम सरकार के आय-व्यय को देखें तो ज्ञात होगा कि ६५० करोड़ रुपए की आय में से ५५० करोड़ रुपए केवल वेतन में खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक वेतन दिया जाना सर्वथा असंभव है। यदि सरकार सेवाओं में विश्वास की भावना उत्पन्न कर सके तो सारा असंतोष दूर हो सकता है। मेरा विचार है कि इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। खेद है कि हमारे देश के नेता यह भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं।

इसके बाद मैं प्रतिवेदन की कुछ प्रमुख सिफारिशों के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा क्योंकि समस्त प्रतिवेदन के संबंध में विचार व्यक्त करना कठिन है। पहली बात जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ वह है केन्द्रीय और राज्य सरकार के वेतन क्रमों में असमानता। एक ही प्रकार के कार्य के लिए भिन्न-भिन्न वेतन दिया जाना। किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि यदि राज्यों के पास संसाधन हों तो वे अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा सकते हैं? मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं केन्द्र और राज्यों के संसाधनों को सर्वथा पृथक वस्तुयें नहीं समझता हूँ। केन्द्र और राज्यों के बीच आय के साधनों का जो विभाजन है वह सर्वथा कृत्रिम है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनक्रमों की असमानता को दूर किया जाना चाहिए इसलिए यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाता है तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी क्योंकि उन्हें राज्यों के कर्मचारियों से अभी भी अधिक वेतन मिल रहा है। समस्त देश

†मूल अंग्रेजी में

एक इकाई है, इसलिए केन्द्र तथा राज्यों के वेतनक्रमों में इस प्रकार की असमानता नहीं रहनी चाहिए। देश के आय के संसाधनों का इस प्रकार समायोजन किया जाना चाहिए कि यह असमानता शीघ्रातिशीघ्र दूर हो सके।

मुझे खुशी है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी किसी स्थान में भाषण करते हुए इस असमानता को दूर करने का संकेत किया था। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों में जो असमानता है उसका कोई भी औचित्य नहीं है।

इसके बाद मैं उच्च सेवाओं और निम्नतम सेवाओं के वेतनक्रमों की असमानता को लेता हूं। १०० रुपये से ३०० रुपये तक वेतन पाने वालों का जीवन सुखी नही है। उनका वेतन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को २००० रुपए या उससे अधिक मिलते हैं उनके वेतन कम नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से योग्य लोग सरकारी सेवाओं की ओर आकृष्ट नहीं होंगे।

मेरे विचार से समस्त सेवाओं के वेतनक्रम एक से नहीं हो सकते। प्रविधिक योग्यता वाले पदों पर अधिक वेतन देना आवश्यक है। कुछ समय पहले रूस में यह प्रयत्न किया गया था कि लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार वेतन दिया जाये। परन्तु अब वहां भी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है और वहां ४०० रूबल से लेकर ३०,००० रूबल तक वेतन दिया जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक वेतनक्रम अच्छे नहीं होंगे लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। समस्त प्रगतिशील देशो में वैज्ञानिकों, प्रविधिज्ञों और इंजीनियरों को अधिक वेतन मिलता है क्योंकि वे रचनात्मक काम करते हैं। हमें भी अपने देश में ऐसा करना चाहिए। हमारे देश में प्रशासकीय सेवाओं के वेतनक्रम ऊंचे होने के कारण इंजीनियर भी उन्हीं में जाना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। हमें प्रविधिज्ञों के वेतन बढ़ाने चाहिएं। परन्तु कठिनाई यह है कि हामारे देश का प्रशासन ऐसे लोगों के हाथों में है जो ऐसा परिवर्तन करने के विरुद्ध है।

इसके बाद मैं नगरों के वर्गीकरण पर आता हूँ। मैं इस वर्गीकरण के आधार को समझने में असफल रहा हूँ। यह बात सभी जानते हैं कि दिल्ली का रहन–सहन बम्बई और कलकत्ता की अपेक्षा सस्ता नहीं है परन्तु फिर भी उसे 'बी' श्रेणी में रखा गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वर्गीकरण की जांच की जानी चाहिए। दिल्ली को अवश्य ही 'ए' श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए खर्च कम रखने की दृष्टि से उसे जानबूझ कर 'बी' श्रेणी में रखा गया है। अन्यथा ऐसा करने का कोई भी औचित्य नहीं है।

मेरा अंतिम निवेदन अतिवयस्कता के संबंध में है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि अतिवयस्कता की आयु ५८ वर्ष कर दी जानी चाहिए। यदि हम विदेशों की ओर देखें तो ज्ञात होगा कि इण्डोनेशिया को छोड़कर सभी देशों में अतिवयस्कता की आयु बढ़ाई जा चुकी है। कुछ देशों में वह ५८ है और कुछ में ६०। फिर क्या कारण है कि हमारी सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर रही है? यदि कोई व्यक्ति ५५ वर्ष की अवस्था के बाद भी काम कर सकता है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध यह तर्क उपस्थित किया जा रहा है कि ऐसा करने से कम आयु के लोगों को ठेस लगेगी। यह तर्क ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अतिवयस्कता की आयु ५५ के बजाय ५८ कर दी जाये।

परन्तु यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ५५ की आयु के बाद किसी के सेवा काल को बढ़ाने की मंजूरी नहीं प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार की मंजूरियों का प्रभाव अधिकारियों

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

पर बुरा पड़ता है। लोक–सेवा आयोग के भूतपूर्व सभापति ने इसके संबंध में गृह–कार्य मंत्रालय को बड़े जोरदार शब्दों में लिखा था। इस प्रकार की मंजूरी वास्तव में पक्षपात और भाई–भतीजावाद को बढ़ावा देती है। इसलिए इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाए जाने का मैं विरोध करता हूँ और साथ ही यह अनुरोध करता हूँ कि अतिवयस्कता की आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ कर दी जाये।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम): दूसरे वेतन आयोग के पास यद्यपि पहले आयोग की अपेक्षा अधिक आंकड़े थे परन्तु फिर भी उसके प्रतिवेदन से सरकारी कर्मचारियों का असंतोष दूर नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं न्यूनतम वेतन के प्रश्न को लूंगा। १९५७ में दिल्ली में जो त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था उसमें न्यूनतम वेतन लगभग १२५ रुपए से १३७ रु० ८ आने रखे जाने का निर्णय किया गया था उस समय यह आकलन इस आधार पर किया गया था कि एक व्यक्ति को ४७ औंस खाद्यान्न मिलना चाहिए। परन्तु अब जो आकलन किया गया है उस में खाद्यान्न की मात्रा ३२ औंस ही रखी गई है। इतना ही नहीं उसका मूल्य भी कम माना गया है। मैं समझता हूं कि आज ५७ नए पैसों में इतना अन्न दिल्ली में किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता जैसा कि आयोग ने स्वीकार किया है। इसलिए एक परिवार का व्यय १२५ रुपए से १३७ रुपए के बजाय ७० रुपए से ८० रुपए मान लेना ठीक नहीं है। जब उस त्रिपक्षीय सम्मेलन में एक निर्णय कर लिया गया था तो अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरा निवेदन है कि न्यूनतम वेतन के संबंध में पुनः विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक अधिकतम सीमा का संबंध है श्री माथुर ने वर्तमान उच्च वेतनक्रमों को बनाए रखने का समर्थन किया। मेरा निवेदन है कि एक समय हमारे शासक दल ने कराची अधिवेशन में अधिकतम वेतन ५०० रुपए मासिक रखने का निर्णय किया था। पिछले आयोग ने २००० रुपए रखने का मत व्यक्त किया था। अब कहा जा रहा है कि उसे कम नहीं किया जाना चाहिए। आज छोटे–छोटे कर्मचारियों की छंटनी की जाती है पर बड़े–बड़े वेतन वाले पदों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि किसी को ३ या ४ हजार रुपए वेतन दिया जाता है। मुख्य प्रश्न निम्न और उच्च वेतनक्रमों के बीच की असमानता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह असमानता चार गुने से अधिक नहीं है मेरा निवेदन है कि हमारे देश में जितनी असमानता है उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं है। इसे कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

वेतनक्रमों का पुनरीक्षण करते समय हमें जीवन के बढ़ते हुए व्यय का भी विचार करना चाहिए। रहन सहन दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। खाद्यान्नों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपणन प्रणाली का विनियमन इस प्रकार किया जा सकता है कि आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों पर मिलें। इस ओर अभी तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता वेतनक्रमों के पुनरीक्षण से कोई लाभ नहीं होगा।

इसके बाद मैं कुछ निवेदन प्रतिरक्षा कर्मचारियों के संबंध में करना चाहता हूँ। सैनिक कर्मचारियों के संबंध में तो रघुरामैया समिति द्वारा विचार किया जा रहा है परन्तु जहां तक असैनिक कर्मचारियों का संबंध है उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। लगभग ६८ प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी है जिनकी सेवायें सुरक्षित नहीं है। १९५४ में तत्कालीन प्रतिरक्षा संगठन मंत्री श्री त्यागी ने यह घोषणा की थी कि पुराने कारखानों में लगभग ५० प्रतिशत और

† मूल अंग्रेजी में

नए कारखानों में लगभग ४० प्रतिशत लोगों को स्थायी बना दिया जाएगा। परन्तु उसके क्रियान्वयन के संबंध में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। आजकल यह कहा जा रहा है कि युद्ध सामग्री कारखानों का विस्तार किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों में सेवा की सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना भी अत्यन्त आवश्यक है। कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी बनाए रखना उचित नहीं है।

इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्रतिरक्षा संगठनों की शक्ति निश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक संगठन के गजेटेड और साधारण कर्मचारियों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए। सभा में अनेक बार यह कहा जा चुका है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय अपना कार्यक्रम तैयार करने में असफल रहा है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

फिर कुछ छोटी-छोटी बातें भी हैं। उदाहरण के लिए, आयोग ने अतिरिक्त अस्थायी संस्थापन के संबंध में विचार नहीं किया है। युद्ध सामग्री कारखानों की खण्ड दरों का आकलन भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार की कुछ और कमियां आयोग के प्रतिवेदन में हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि वेतन आयोग की सिफारिशों से उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि सरकार खाद्यान्नों तथा कपड़े के मूल्य निश्चित नहीं करती।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली): उपाध्यक्ष महोदय, द्वित्तीय वेतन आयोग के बैठाये जाने के समय इस बात की उम्मीद की जाती थी कि केन्द्रीय कर्मचारियों का मसला या उनके अन्दर जो असन्तोष है वह दूर हो जायगा। लेकिन हमें इस बात का दुःख है कि द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के उपरान्त और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उन सिफारिशों को जो लागू किया, उसके बाद, वह असन्तोष और बढ़ा है। हम यह भी महसूस करते हैं कि सारे देश में जिस तरह से वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में तथा सरकार ने जिस तरह उनको लागू किया है, उससे आज तमाम केन्द्रीय कर्मचारी एक मत से इस राय के हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें जो हुई हैं और सरकार ने जिस तरह से उनको लागू किया है, उसे हमें मानना नहीं चाहिये, उनको माना नहीं जाना चाहिए।

मैंने प्रधान मंत्री का एक वक्तव्य अखबारों में पढ़ा था जोकि उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस में दिया था जिस में उन्होंने सलाह दी थी केन्द्रीय कर्मचारियों को कि देश पर आज संकट के मौके पर उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि सन् १९५१ में जब रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था तो उस समय काश्मीर के खतरे का नाम उठाया गया था। सन् १९५७ में जब केन्द्रीय कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलन्द की तो उस समय आर्डिनेन्स और दमन की धमकी दी गई। उस वक्त उनकी न्याययुक्त मांगों को कुचलने का प्रयत्न किया गया और आज देश को खतरा होने के नाम पर पुनः इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को जो वाजिब और सही असन्तोष है उस को ठीक तरीके से खत्म न किया जाय।

१५.५१ **[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]**

बल्कि उस की जगह पर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उस से जबर्दस्ती काम कराया जाय। माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे असन्तोष के कारण को ढूंढें। आखिर क्यों इतना असन्तोष है आज केन्द्रीय कर्मचारियों में इस कारण को ढूंढना लजिमी तौर से सरकारी पक्ष के लिये जरूरी है। हम इस बात को देखते हैं कि जो आज केन्द्रीय कर्मचारियों को मिले हुए हक हैं, या जो उन को मिली हुई आसाइशें हैं उन को सेकेन्ड पे कमिशन के द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सरकार ने जो रवैया अपनाया है उस के द्वारा कर्मचारियों के हकों पर भी कुठाराघात हुआ है।

[श्री प्र० ना० सिंह]

जहां तक मौजूदा सरकार का सवाल है, वह अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहती है। लेकिन मैं मौजूदा सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं विशेष तौर से जो मौजूदा सरकार के नुमाइन्दे हैं उन से पूछना चाहता हूं कि सोशलिस्टिक स्टेट कहलाने के बाद, डिमाक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट कहलाने के बाद भी जब वह मेहनतकशों की सहूलियतों को कम करती है, उन को मिली हुई आसाइशों को छीनती है तो भी क्या आप को सोशलिस्ट स्टेट कहलाने का हक है? इस बात का जबाब आप हमें दें।

मैं इस बात को कहता हूं कि सरकार ने खुद बतलाया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्क लोड़ बढ़ाया गया। २३ सार्वजनिक छुट्टियों को १६ किया गया, जो कैजुअल लीव पंद्रह दिन की मिलती थी, अब १२ दिन रह गई है। जो चार शनिवार आधे आधे दिन के होते थे उन में से तीन को पूरे दिन का कर के सिर्फ एक शनिवार को छुट्टी रक्खी है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हक आप ने दिया था, जो उन के जीवन में आप ने आसाइशें पैदा की थीं कि मेहनत करने के बाद वे अपनी जिन्दगी को अच्छी बना सकें, जो सुविधायें मिली हुई थीं उन को, उन को सेकेन्ड पे कमिशन ने छीन लिया। जो रिकमेन्डेशन सेकेन्ड पे कमिशन ने किया, उन की रिपोर्ट को लागू करके केन्द्रीय कर्मचारियों के हकों पर सरकार ने कुठाराघात किया है। ऐसी हालत में यदि केन्द्रीय कर्मचारियों ने असन्तोष जाहिर किया, या अपना विरोध जाहिर करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल वाजिब किया है।

मैं इस सदन के सामने यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्रीय कर्मचारियों का वर्क लोड़ बढ़ाया गया उस से तो दूसरे पूंजीपति लोग लाभ उठावेंगे। सरकार तो एक माडल एम्प्लायर है, सरकार के माडल एम्प्लायर के रहते हुए जो दूसरे कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं इस देश के, वे भी अपने यहां काम के घंटों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कि केन्द्रीय कर्मचारियों के सिलसिले में सरकार ने बढ़ाया है। इसलिये यह असन्तोष केवल केन्द्रीय कर्मचारियों का ही नहीं है, बल्कि उन के साथ-साथ उन मेहनतकशों का है जो आज फैक्ट्रियों में काम करते हैं या दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, जिन को उठाने के सिलसिले में लोग यहां आन्दोलन कर रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं इस बात को भी सदन के सामने रखना चाहता हूं कि लेबर कांफरेंस में गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे। जब उस कांफरेंस ने मिनिमम वेज को १२० या १२५ के ऊपर रखने की सोची, तो कम से कम मिनिमम वेज तो सब की होनी चाहिये। फिर भी जिस तरीके से ५ रु० का इजाफा हुआ, जिस को इंटेरिम रिलीफ मिला कर ७५ रु० मिलते थे उस की जगह पर ८० रु० मिलने की बात की गई, जो १५० और ३०० के बीच में पाते थे उन को २० डिअरनेस अलाउंस देने की बात हुई, उस को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जीवन के खर्चे में बढ़ोतरी होती जा रही है, उस को देखते हुए सरकार की तरफ से यह कहना कि योजनाओं और डेवेलपिंग एकानमी के कारण देश में हमारी स्थिति ज्यादा बढ़नी नहीं है, बिल्कुल वाजिब और उचित नहीं होगा। इस वजह से कि भाव को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यदि चावल का भाव बढ़ता है, कपड़े का भाव बढ़ता है, दूसरी जरुरी चीजों का दाम बढ़ता है, तो उसे रोकने में सरकार नाकामयाब रही है। जो लोग आज इस देश में मेहनत कर के देश को उठाने में लगे हुए हैं, उन के सिलसिले में इस चीज को लागू करना ठीक नहीं होगा। इस लिये मैं समझता हूं कि सेकेन्ड पे कमिशन के द्वारा जो ७० रु० बेसिक सैलरी रक्खी गई और १० रु० डिअरनेस अलाउंस रक्खा गया या जो नीचे के कर्मचारियों के लिये ५ रु० की बढ़ोतरी की गई है, १५० और ३०० रु० के बीच में पाने वालों के लिये यदि १५ रु० की बढ़ोतरी होती है, तो वह बहुत नाकाफी है। इस सिलसिले में सरकार को गौर करना चाहिये।

इसके साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि आज जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए, जैसा कि अभी सरकारी पक्ष के एक सदस्य ने कहा, जहां तक थोड़ी तन्ख्वाहों के पाने वालों का सवाल है इंसेंटिव के रूप में कुछ दिया जा सकता है, क्रिएटिव सर्विस के रूप में कुछ दिया जा सकता है, लेकिन बड़ी-बड़ी तन्ख्वाह वालों को ऐडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कुछ नहीं दिया जाना चाहिये। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि तन्ख्वाह बड़ी दें या छोटी दें, लेकिन कम से कम जब आप अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहते हैं तो सोशलिस्ट स्टेट कहलाने के नाते आप को छोटी तन्ख्वाहों और बड़ी तन्ख्वाहों में कुछ रिस्ता कायम करना चाहिये। वह इतना बड़ा फर्क न हो जिस के देखने से लगे कि नीचे का जो आदमी है वह पिस रहा है। उस को अपने जीवन की रोजमर्रा की जो आसाइशें हैं वह भी नहीं मिलती हैं, और दूसरी तरफ आप इतनी लम्बी तन्ख्वाहें देते हैं कि जिन को देख कर नीचे के आदमी हमेशा सफर करते रहे। इसलिये सोशलिस्ट स्टेट होने के नाते आप की जो बड़ी तन्ख्वाहें हैं और जो छोटी तन्ख्वाहें हैं उन में कुछ रिश्ता कायम करना चाहिये। उन के बीच में जो बड़ा से बड़ा रिश्ता हो सकता है वह १ और १० का हो सकता है, इस से ज्यादा नहीं।

इस के साथ साथ मैं कुछ रेलवे एम्प्लायीज के बारे में भी कहना चाहता हूं। सेकेन्ड पे कमिशन रिपोर्ट आने के बाद जो रेलवे एम्प्लायीज की मेडिकल फेसिलिटीज थीं वह भी खत्म होती जा रही हैं। कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम के आने से रेलवे एम्प्लायीज को वे सुविधायें नहीं रह गई हैं। इस के साथ-साथ उन के पासेज का सवाल है, वह सुविधा भी आप उन से छीन रहे हैं। ओवर टाइम का सवाल है। इस सिलसिले में कहा गया कि जो स्टाफ रेलवे में काम करता है यदि वह ४५ मिनट तक ही ज्यादा ओवर टाइम करते हैं तो उन को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम को इन्साफ के आधार पर ओवर टाइम देने का मामला तय करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि यदि हम ने किसी से ४० मिनट तक जबर्दस्ती ज्यादा काम करवाया तो हम उस को कुछ न दें। सिर्फ ४५ मिनट के बाद ही दें, उस के पहले का कोई ओवर टाइम नहीं दें। अगर आप नहीं देते हैं तो सीधे-सीधे वर्क लोड़ बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ रेलवे एम्प्लायीज के क्वार्टरों के रेंट का सवाल है। सेकेन्ड पे कमिशन ने इस में इजाफा किया है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सेकेन्ड पे कमिशन की तरफ से जो सिफारिशें सदन के सामने हैं और जिस तरह से सरकार ने उन को इम्प्लिमेंट किया है, उस से असन्तोष का होना स्वाभाविक है।

इस के साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सेकेन्ड पे कमीशन रिपोर्ट में जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं वह उसी तरह से रहने चाहियें। मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि चूंकि आप अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहते हैं, आज रेलवे का राष्ट्रीयरकरण हुआ, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हुआ, कल बैंक्स का नेशनलाइजेशन होगा, दूसरी फैक्ट्रीज का नैशनलाइजेशन होगा, यदि, आप इस तरह से पोलिटिकल राइट्स को छीनते जायेंगे तो जो सरकारी उद्योग धंधों में लगे हुए लोग हैं, मजबूर हैं, उन की आगे चल कर क्या स्थिति होगी। ऐसी दशा में आप कभी भी मजदूर राज्य की स्थापना का स्वप्न, सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं कर सकते। इसलिये पोलिटिकस राइट्स के सम्बन्ध में जो सेकेन्ड पे कमिशन की रिपोर्ट है उस के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। आज आप ने कर्मचारियों के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया है, सर्विस केंडक्ट रूल्स के अन्दर, कि यदि उन कर्मचारियों के कोई नजदीक के रिलेटिव्व हैं या कि राजनीति में भाग लेते हैं, तो वे लोग उन की रिपोर्ट सरकार को करें। आप उन लोगों से सी० आई० डी० का काम

[श्री प्र० ना० सिंह]

करवाना चाहते हैं। यदि उन के परिवार का कोई आदमी राजनीतिक कार्य करता है तो ऐसी हालत में उस को रिपोर्ट करनी चाहिये । मैं कहता हूं कि जब आप सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, डिमाक्रेसी की बात करते हैं तब आप केन्द्रीय कर्मचारियों के सिलसिले में यदि उन के परिवार के लोग या उन के नजदीक के रिश्तेदार राजनीति में हिस्सा लेते हैं, यह नियम बनाते हैं तो यह कहां तक ठीक है । यह तो एक तरीके से उन पर दबाव डालना चाहते हैं कि वे उस में भाग न लें । आप ने पोलिटिकल राइट्स के सिलसिले में जो फैसला दिया है, वह उचित नहीं है । इसलिये मैं इस बात को कहूंगा कि और चीजें सोचने के साथ-साथ सरकार को इस प्रश्न पर भी सोचना चाहिये ।

साथ ही साथ इस मसले को देश के खतरे के नाम पर या धमकियों या दमन के द्वारा दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये और न केन्द्रीय कर्मचारियों को इन बातों को ले कर दबाने की कोशिश करनी चाहिये । जो उनके संगठन हैं, उनको आप बुलायें, ठीक तरीके से उनकी बातों को सुनें, और उनकी स्थिति को जानने के बाद उचित फैसला करें जिससे कि केन्द्रीय कर्मचारियों को ठीक तरह से संतोष हो सके और उनमें जो असंतोष का वातावरण है वह खत्म हो सके ।

†**श्री सम्पत** (नामक्कल) : द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन को देखकर सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को बड़ी गहरी ठेस पहुंची है । उन्हें आयोग से न्याय की आशा थी, सुविधाओं की आशा थी, लेकिन आयोग ने उन पर और भी ज्यादा मुसीबतें लाद दी हैं ।

दूसरे देशों का उदाहरण देकर, उनके काम के दिन बढ़ा दिये गये हैं। लेकिन आयोग ने काम के दिनों की ही तुलना की है, यह नहीं देखा कि दूसरे देशों के कर्मचारियों के काम की परिस्थितियां हमारे देश से कितनी अच्छी हैं ।

आयोग को चाहिये था कि दूसरे देशों के वेतन-क्रमों और उनकी सुविधाओं की भी तुलना करता ।

आयोग ने पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सम्बन्धी सिद्धांतों पर भी ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने भी उन सिद्धांतों के निरूपण में हाथ बंटाया था। अब सरकार चाहती है कि वह उनको मानने के लिये वचन-बद्ध नहीं है ।

आयोग ने डा० ऐक्रोयड द्वारा की गई गणना को भी बिलकुल ठुकरा दिया है। उनकी गणना के अनुसार हर आदमी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता ४७ औंस खाद्य पदार्थों की है, लेकिन आयोग ने इसे ३२ औंस ही रखा है । इतना ही नहीं, आयोग का कहना है कि ये ३२ औंस खाद्य पदार्थ दिल्ली के बाजार में १९५८ में ५६ नये पैसों से खरीदे जा सकते थे । श्री बनर्जी ने ठीक ही कहा है कि ७६ नये पैसे दे कर भी उनको नहीं खरीदा जा सकता ।

यह सरकारी कर्मचारियों के साथ एक बड़ा अन्याय है । ९० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी तीसरी और चौथी श्रेणियों में ही हैं। आयोग ने उनको क्या दिया है ?

डाक तथा तार विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को पहले कुल ७५ रुपये मिलते थे, और अब ८० रुपये मिलेंगे, लेकिन उसमें से ५ रुपये भविष्य निधि में कट जायेंगे। हाथ में कुछ भी नहीं आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : भविष्य निधि तो उनकी अपनी ही है ।

†**श्री सम्पत** : ३५ से ४७ रुपये महीने तक पाने वाले डाकियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ४७ रुपये पाने वालों को एक रुपया मिलेगा और ४६ रुपये पाने वालों को एक रुपया कम मिलेगा । हैड डाकियों के कुछ रुपये कट जायेंगे । ६० से १७० रुपये तक पाने वाले क्लर्कों के २ से ९ रुपये तक कम हो जायेंगे । १६० से २५० तक पाने वालों को ८ से १९ रुपये तक कम मिलेंगे ।

अनिवार्य भविष्य निधि के लिये तर्क यह दिया गया है कि लोगों को बचत की आदत डालनी चाहिये । लेकिन जब कर्मचारियों का पूरा ही नहीं पड़ता तब बचत कहां से की जाये ? और फिर रुपये का मूल्य दिन-दिन गिरता चला जा रहा है, और सरकार भविष्य निधि की राशि पर बहुत ही कम ब्याज दे रही है । यदि सरकार भी भविष्य निधि में उतना ही बराबर का अंशदान करने के लिये तैयार होती , तो उसका कोई औचित्य भी था । लेकिन सरकार उसके लिये तैयार नहीं ।

इसका मतलब तो यह है कि अब आगे से कर्मचारी लोग कभी भी नये वेतन आयोग की मांग नहीं करेंगे। यह एक बड़े दुःख की बात है । सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण करना चाहिये । उसे कम से कम पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के न्यूनतम वेतन सम्बन्धी निर्णय का तो सम्मान करना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन बड़ा निराशाजनक है ।

मैं इसके तीन-चार पहलू ही लूंगा । सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त, अन्य लोग भी इस आयोग के प्रतिवेदन की राह इसलिये देख रहे थे कि उनको आशा थी कि आयोग वेतनों, मंहगाई भत्ते, इत्यादि के बुनियादी प्रश्नों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय करेगा ।

पूर्ववक्ताओं ने बताया ही है कि वेतन के मामले में इस आयोग ने १९५७ के श्रम सम्मेलन के निर्णयों को भी ठुकरा दिया है । आयोग ने डा० ऐक्रोयड के सूत्र को नहीं माना, बल्कि श्री पटवर्धन की गणना को आधार बनाया है ।

श्री परवर्धन को मद्रास राज्य के चाय बागानों के मालिकों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था । आयोग ने उसी को आधार बनाया है । मैं माननीय मंत्री से दो टूक जवाब चाहता हूं । वह १९५७ के भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा किये गये त्रिदलीय निर्णय को ठीक समझते हैं । या डा० पटवर्धन की सिफारिशों को ?

दूसरा प्रश्न है मंहगाई भत्ते का । प्रथम वेतन आयोग ने मंहगाई भत्ते को निर्वाह-लागत देशनांक से सम्बद्ध रखने का सिद्धांत स्वीकार किया था । उसने कहा था कि २० अंक देशनांक बढ़ने पर ५ रुपया मंहगाई भत्ता बढ़ना चाहिये । यह सिफारिश १९४७ में की गई थी, लेकिन सरकार ने इसको भी नहीं माना । १९५७ के सम्मेलन ने और बाद के कई न्यायाधिकरणों ने इसी सिद्धांत को स्वीकार किया था । लेकिन इस वेतन आयोग ने उसे ठुकरा दिया है । इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

प्रथम वेतन आयोग ने स्पष्ट कहा था कि वास्तव में कर्मचारियों को अधिक न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये था लेकिन कुछ खास परिस्थितियों के कारण वे उसे ३० रुपये पर ही

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगमणि]

निर्धारित कर रहे हैं। दूसरी ओर द्वितीय वेतन आयोग का तरीका देखिये। उसने पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन के निर्णयों का अध्ययन कर के यह निष्कर्ष निकाला कि उसके अनुसार न्यूनतम वेतन १२५ रुपया होना चाहिये था। लेकिन उसे स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने यह नहीं कहा कि वर्तमान परिस्थितियों या आयोग के निर्देश-पदों की सीमाओं को देखते हुए वे उसे ८० रुपये ही निर्धारित कर रहे हैं। उन्होंने तो इसका बिलकुल ही उल्टा किया। श्री पटवर्धन की सिफारिशों को सही मान लिया और उन्हीं को आधार बना लिया।

आयोग का प्रतिवदन तो वैसे ही निराशाजनक है, लेकिन केन्द्रीय सरकार तो उतनी भी सुविधायें नहीं देना चाहती जितनी कि आयोग ने देने की सिफारिश की है। उदाहरण के लिय निवृत्ति-आयु और अस्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थायी बनाने की सिफारिशें। पिछले वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि कुल १७ लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से नौ लाख औद्योगिक और आठ लाख गैर-औद्योगिक कर्मचारी हैं। उनमें से चोदह लाख को वेतन या पारिश्रमिक के रूप में १०० रुपये माहवार से कम मिलता है। और उन चौदह लाख में से भी ५० प्रतिशत या अब शायद एक-तिहाई, कर्मचारी अस्थायी या नैमित्तिक हैं। रेलवे मंत्री ने अभी कल ही बताया था कि रेलवेज में तीसरी और चौथी श्रेणी के एक लाख दस हजार कर्मचारी अस्थायी हैं। सरकार उनको कब तक स्थायी बनायेगी ?

एक और सिफारिश है कि यदि सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच किसी मसले पर असहमति हो तो वह मामला अनिवार्य रूप से उच्चतम स्तर पर मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपा जायेगा। सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

आयोग ने निवृत्ति-आयु ५५ वर्ष के स्थान पर ५८ रखने की सिफारिश की है। सरकार ने उसे भी स्वीकार नहीं किया।

आयोग की एक सिफारिश यह भी थी कि हर महीने के पहले और तीसरे शानिवार को काम का पूरा दिन रखा जाये, और हर दूसरे और चौथे शनिवार को पूरी छुट्टी रखी जाये। सरकार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया।

इस तरह कर्मचारियों को साल में १२ पूरे दिन और ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले मिलेगा कुछ भी नहीं।

यह तो ठीक है कि अब औद्योगिक कर्मचारियों को भी पी० टी० ओ० मिलेंगे, लेकिन रेलवे कर्मचारियों के पी० टी० ओ० कम किये जा रहे हैं। यदि ऐसा आदेश निकला तो रेलवे कर्मचारी विरोध करेंगे।

रेलवे कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जानी चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों को अभी तक साल में २३ त्योहारों की छुट्टियां और १५ दिन की आकस्मिक छुट्टी मिलती थी। अब उन्हें भी घटा कर क्रमशः १६ और १२ किया जा रहा है। यदि इन सब की गणना की जाय तो अब सरकारी कर्मचारियों को साल भर में एक महीने का वेतन कम मिलेगा। जब कि आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मांग यह है कि साल में १२ महीने काम करने के बाद १३ महीने का वेतन, यानी एक महीने का वेतन बोनस रूप में मिलना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों को अब १२ महीने काम करने के बाद कुल ११ महीने का वेतन मिलेगा। इस तरह सरकार का यह कहना बिलकुल गलत है कि सरकार को अतिरिक्त उपलब्धियों के रूप में ३१ या ४१ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे।

प्रथम वेतन आयोग ने कहा था कि बड़े-बड़े, 'क' श्रेणी के, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ सुविधायें दी जानी चाहियें। 'क' श्रेणी में वही शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या १५ लाख से अधिक हो। उस समय १९४७ में मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद और कानपुर की जनसंख्या १५ लाख नहीं थीं। अब यह १५ लाख से बढ़ गई है। इसलिये कर्मचारियों की यह मांग उचित है कि इन शहरों को 'क' श्रेणी में रखा जाये और उन्हें वे सुविधायें दी जायें।

इसी तरह डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की यह माग भी उचित है कि मदुरै को 'ख' श्रेणी का शहर घोषित किया जाये, क्योंकि उसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो गई है। आयोग ने इसके बारे में कहा है कि १९६१ की जनगणना तक रुका जाये। इसी तरह तूतीकोरन को 'ग' श्रेणी का शहर घोषित किया जाना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि १९६१ की जनगणना तक न रुका जाये, तब तक कर्मचारियों को उन सुविधाओं से वंचित न किया जाये। माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को लीजिये। डाकियों के बारे में १९२० की रज़ाल्टिन समिति ने उनकी भर्ती की अर्हताओं और सेवा की शर्तों को देखते हुये कहा था कि उनकी योग्यता और जिम्मेदारी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से कुछ ज्यादा होती है। उनका काम तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों जितना ही दायित्वपूर्ण होता है। उनके ८० रुपये निर्धारित करना अनुचित है। मजूरी बोर्ड ने सीमेंट उद्योग के चौथी श्रेणी के श्रमिकों को १०२ रुपये देने की सिफारिश की है। सरकारी कर्मचारियों पर इसे लागू क्यों नहीं किया जाता? चौदह लाख सरकारी कर्मचारी १०० से कम पाते हैं, उनमें से भी आधे अस्थायी हैं। माननीय मंत्री को कम से कम यह आश्वासन तो देना चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान उपलब्धियों में कोई कमी नहीं की जायेगी।

एक चीज यह है कि वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिये जब भी वेतन आयोग नियुक्त किया जाता है तो नये वेतन क्रम भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाते हैं। कर्मचारियों की यह मांग बिल्कुल उचित होगी कि नये वेतन क्रम १ अगस्त, १९५६ से प्रभावी बनाये जायें। कम से कम १ जुलाई, १९५७ से तो लागू किये ही जाने चाहियें। मैं फिर कहता हूं कि कम से कम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान उपलब्धियों में तो कमी नहीं की जानी चाहिये।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं तो कल बोलना चाहता था लेकिन चूंकि आप चाहती हैं कि मैं आज बोलूं, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं।

महोदया, वेतन आयोग की सिफारिशों ने बीस लाख से अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों में बड़ी निराशा उत्पन्न की है। अनेक वर्षों से बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए टैक्सों के पाटों में पिसने वाले कर्मचारी यह आशा करते थे कि वेतन आयोग उनकी तनखाह और भत्तों में इतनी वृद्धि करेगा कि जिस से देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे अपना जीवन-यापन ठीक तरह से कर सकेंगे जो उनके कर्त्तव्य-पालन के लिए भी आवश्यक है और पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जीवन के स्तर को ऊंचा करने का हम ने जो लक्ष्य रखा है, उसके भी अनुरूप होगा। लेकिन वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कर्मचारी बड़े असन्तुष्ट हैं। सरकार ने आयोग के सम्मुख जिस तरह के टर्म्स आफ रेफ्रेंस (निदेश-पद) रखे, विचार की जो सीमा निर्धारित की, उसके कारण बहुत कुछ अंश में वेतन आयोग के हाथ-पैर बंध गये। लेकिन जो सिफारिशें की गई हैं, उन में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित जो मजदूर संगठन हैं वे भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार ने जो सिफारिशें उसके हित में थीं, उन को तो स्वीकार कर लिया, मगर जो सिफारिशें कर्मचारियों के हित में थीं उन को बदल दिया।

[श्री वाजपेयी]

सरकार के सम्मुख एक रास्ता यह था कि कमिशन की रिपोर्ट को जैसे का तैसा स्वीकार कर लेती और उस को कार्यान्वित करती । किन्तु यदि सरकार सिफारिशों में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो फिर उस के लिए कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि संगठन हैं उन से विचार विनिमय की बहुत आवश्यकता है ।

छुट्टियों का प्रश्न है । सभी लोग चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक अधिक से अधिक काम करे, अधिक से अधिक श्रम करे, और हमारे सरकारी कर्मचारी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं हैं । लेकिन वेतन आयोग ने जो सिफारिश की है, विशेषतः शनिवार को काम के घंटे बढ़ाने के बारे में, उसे भी सरकार ने ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया । छुट्टियां कम कर दी गईं । कुल मिला कर छुट्टियों की संख्या घटा दी गई । कर्मचारियों पर इस से कार्य का बोझ अधिक पडेगा । उस बोझ के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तो कर्मचारी तैयार हो सकते हैं, यदि बदले में उन की जो सुविधायें आज तक चली आ रही हैं, उन को कम न किया जाय, और परिस्थिति की मांग को देखते हुए कुछ अधिक सुविधायें दी जायें । लेकिन वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप काम में वृद्धि हो गई और सुविधाओं में कमी हो रही है ।

अभी रेलवे कर्मचारियों की बात हो रही थी । रेलवे कर्मचारियों को जो मकान दिये जाने वाले हैं अब उन का किराया जोड़ते समय जिस जमीन पर मकान बने हैं, और अगर जमीन महंगे दामों पर प्राप्त की गई है, तो उस को भी कर्मचारी से किराये के रूप में वसूल किया जायेगा । जो चिकित्सा की सुविधायें हैं उन को भी व्यापक नहीं बनाया गया । जिन कर्मचारियों को रहने के लिए सरकार मकान दे सकी है, उनकी संख्या बहुत कम है और जो शेष कर्मचारी हैं वे इस समय मकानों की कमी को अनुभव करते हैं और उस के लिए अधिक किराया देने के लिए विवश होते हैं । जो सुविधायें थीं पास या पी० टी० ओज की उन्हें भी कम किया गया है । और मुझे पता लगा है कि रेलवे मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि मार्च तक जो कमिशन ने कटौती के सुझाव दिये हैं उन्हीं के अनुसार फ्री पास और पी० टी० ओ० जारी होने चाहियें । अब यह तर्क दिया जाता है कि जो कर्मचारी रेलवे में काम नहीं करते, हम उन के लिए भी वर्ष में एक बार यात्रा की व्यवस्था कर रहे हैं, वह भी घर से आने के लिए । अब मेरा निवेदन है कि रेलवे कर्मचारी जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन का थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए । जो सुविधायें उन्होंने वर्षों के संघर्ष के पश्चात् प्राप्त की हैं उन को छीनना नहीं चाहिए जब तक उन की सेवाओं की शर्तों में कोई अन्तर नहीं होता । आज भी रेलवे कर्मचारी रूल १४८ के अन्तर्गत एक महीने का नोटिस दे कर, बिना कारण बताये हुए नौकरी से अलग किया जा सकता है । यह सेवा की शर्तें और कर्मचारियों के साथ नहीं । उन के काम में भी अन्तर है । डाक और तार विभाग के कर्मचारी भी एक विशेष तरह का काम करते हैं । रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते और अपनी संगठन शक्ति से जो सुविधायें उन्होंने प्राप्त की हैं, वे अपने कर्तव्य का ठीक तरह से निर्वाह कर सकें, इस के लिए उन की आवश्यकता है । सरकार उन्हें भी कम करने जा रही है । कुछ मिलना तो अलग रहा, और कर्मचारियों की जेब में से कुछ जा रहा है । चौबे जी चले थे छब्बे बनने मगर रह गये दूबे । कर्मचारी कुछ प्राप्ति की आशा करते थे मगर उन के सामने सुविधाओं की कमी का सवाल खड़ा है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पे कमिशन की सिफारिशों ने कर्मचारियों को असन्तुष्ट किया है । यदि वर्तमान सुविधाओं में कमी की गई तो उस की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और यदि कर्मचारियों ने सुविधाओं की रक्षा के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जिस से सरकार को पता लगे कि वे अपनी सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि वह उन का बिल्कुल न्यायोचित कदम होगा ।

हमारे प्रधान मंत्री ने ३० जनवरी को नई दिल्ली की एक सभा में भाषण करते हुए कर्मचारियों से अपील की है कि वे देश के व्यापक हितों का ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए जितना अधिक श्रेय कर्मचारियों को है उतना और किसी को नहीं। सरकार दावा भी करती है कि योजनायें सफल होती जा रही हैं। लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन योजनाओं के चलते कर्मचारियों का जीवन स्तर कम होता जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है। सरकार जिस तरह की अर्थ नीति अपना रही है उस में महंगाई कम हो जायेगी, यह आशा करना भी ठीक नहीं होगा। मुद्रास्फीति के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट हैं और अभी हम ने देखा कि अनाज के दाम बढ़े, कपड़े के दाम बढ़े, जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि से अगर सब से अधिक कोई वर्ग परेशान होता है तो वह सरकारी कर्मचारियों का होता है जिन्हें बंधी बंधाई महीने की तनख्वाह मिलती है। और उन के सम्बन्ध में यह अंक रखे जाते हैं कि वे ५६ नये पैसे में दिल्ली में भोजन कर सकते हैं। कमिशन इस परिणाम पर पहुंच सकता है, मगर जो मंत्री हमारे दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की मंहगाई ने अधिक नहीं तो थोड़ा सा उन्हें भी स्पर्श किया है वे जरा हृदय पर हाथ रख कर देखें कि क्या ५६ नये पैसे में ३२ आउंस भोजन मिल सकता है। यह उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो सकता है लेकिन उस से अधिक काम करने की प्रेरणा नहीं मिल सकती।

पे कमिशन से यह भी आशा की जाती थी कि वह सर्विस कंडक्ट रूल्स (सेवा आचरण नियम) में कोई परिवर्तन करेगा। दिखाई ऐसा देता है कि हमारे कर्मचारियों को पहले जितनी सुविधा थी उस से भी शायद अब कम होती जा रही है और सरकारी कर्मचारी अब और भी बन्धनों में बांधे जा रहे हैं। जो मान्यता प्राप्त संगठन हैं उन से भी कहा जा रहा है कि बाहर के व्यक्ति को अपना पदाधिकारी न बनायें। वे कार्यालय की सीमा के भीतर सभा भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे उन के काम करने के लिए जो प्रेरणा है उसे कम करने की कोशिश हो रही है। जब एक बार सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि जो कर्मचारियों के संगठन हैं वे कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए और शासन के साथ उन के सम्बन्ध ठीक रखने के लिए आवश्यक हैं तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों के संगठनों को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पे कमिशन यदि चाहता तो सर्विस कंडक्ट रूल्स में ऐसे संशोधन करने के सुझाव दे सकता था जिन से कर्मचारी के आस पास की गतिविधियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में और अधिक सुविधा से भाग ले सकते। लेकिन ऐसा पता लगता है कि गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों की सूची बना कर रखी है जिसे काली सूची कहा जाता है। और सन्देह पर भी, अगर कोई छोटा सा गुप्तचर विभाग का कर्मचारी नीचे से यह रिपोर्ट कर दे कि अमुक कर्मचारी एक कथित संगठन के साथ सम्पर्क रखता प्रतीत होता है, तो उसे नौकरी से अलग कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि देश की बदली हुई परिस्थितियों के साथ कर्मचारियों की जो सेवा की शर्तें हैं और जो नियम हैं उनमें भी संशोधन होना चाहिए।

पे कमीशन ने अपने से पहले कमीशन, वर्दाचारी कमीशन, द्वारा महंगाई का भत्ता निर्धारित करने के लिए जो आधार निश्चित किया गया था उसको भी स्वीकार नहीं किया है। एक तरफ तो कमीशन यह मानता है कि निकट भविष्य में महंगाई को कम करना सरल नहीं होगा, लेकिन वह दूसरी तरफ मूल वेतन भी नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वह समझता है कि ८० रुपये में हिन्दुस्तान में पढ़े लिखे, हट्टे कट्टे लोग मिल सकते हैं, इसलिए बेसिक सैलेरी को बढ़ाने की मांग मानने के लिए कमीशन तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह निर्धारित करते समय यह डिमांड और सप्लाई का नियम लागू नहीं करना चाहिए। अस्सी रुपये तो क्या, अगर वेतन और भी कम कर दिया जाये तो भी देश की परिस्थिति ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग फिर भी काम करने के लिए तैयार हो जायेंगे। लेकिन सरकार को तो आदर्श मालिक के रूप में काम

[श्री वाजपेयी]

करना चाहिए । जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए निजी मालिक से अधिक वेतन और अधिक भत्ते की मांग करते हैं, तो सरकार के लिए आवश्यक है कि अपने कर्मचारियों को समुचित वेतन दे । और महंगाई बढ़ने के साथ उनके महंगाई भत्ते में भी उसी प्रकार से वृद्धि होनी चाहिए । इस दृष्टि से आयोग की सिफारिशें पिछले पे कमीशन द्वारा निर्धारित आधार से भी पीछे चली जाती हैं ।

जहां तक १२० या १२५ रुपये बेसिक सैलेरी तै करने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि आज की परिस्थिति में सरकार को उसे स्वीकार करने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए । कहा जाता है कि अगर कमीशन की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये, तो सरकार को ३१ करोड़ का व्यय देना होगा । मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों से जो सुविधाएं ली जा रही हैं, उनसे अधिक काम कराके जो आमदनी की जा रही है, उनके पासों में और उनके पी० टी० ओज० में जो कटौती करके बचत की जायेगी और जो अधिक काम के घंटों के परिणामस्वरूप कर्मचारी सरकारी कोष में आमदनी की वृद्धि करेंगे, अगर उस सब को जोड़ा जाये, तो सरकार ३१ करोड़ रुपया खर्च करके घाटे में रहेगी, ऐसा मैं नहीं समझता । जो कर्मचारियों के संगठन हैं, उन्होंने भी अपना कुछ हिसाब लगाया है और रेलवे के कर्मचारी यह दावा करते हैं कि वे स्वयं अधिक काम करके कम से कम २६ करोड़ रुपया सरकार को देंगे । यह रेलवे कर्मचारियों का दावा है और मैं समझता हूं कि इस दावे में तथ्य है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसकी जांच आपने की होगी ?

श्री वाजपेयी : जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वही तो हम सुनना चाहते हैं ।

श्री वाजपेयी : अगर रेलवे कर्मचारी अधिक काम करेंगे और उनकी सुविधाओं में कमी होगी, जैसा कि पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार हो रहा है, तो स्पष्ट है कि सरकार के कोष में बचत होगी और वह कर्मचारियों का ही योगदान होगा । लेकिन यदि सरकार को अपने कोष से भी कर्मचारियों के वेतन में या भत्ते में कुछ योगदान देना पड़ता है, तो मैं समझता हूं सरकार को उस के लिए भी तैयार रहना चाहिए । अन्ततोगत्वा शासन तंत्र कर्मचारियों के भरोसे ही चलता है । ये कर्मचारी प्रामाणिक हों और निष्ठा के साथ अपना काम करें, हम उनसे यह आशा करते हैं । इस आशय की अपीलें भी की जाती हैं । लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पंच वर्षीय योजनाओं के चलते कर्मचारियों के जीवन स्तर में कमी नहीं होनी चाहिए जिसका आज संकट दिखायी देता है ।

वेतन आयोग ने जो विभिन्न सेवाओं में श्रेणियां हैं उनके लिए भी वेतन क्रम की कोई ठीक दर निर्धारित नहीं की । कोई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वेतन क्रम की दरें तै की गयी हों ऐसा नहीं दिखायी देता । पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग में और विशेषकर रेलवे में जो अलग-अलग श्रेणियां हैं उनके अलग-अलग 'ग्रेड्स हैं और उन में उतार चढ़ाव हैं जिनके कारण कहीं एक दूसरे का संघर्ष होता है जो कर्मचारियों के मन में ईर्ष्या पैदा करता है, उनके काम करने की क्षमता को घटाता है । कमीशन से आशा की गयी थी कि वह इन सभी कैटेगरीज के बारे में विचार करके उनके लिए वेतन क्रम की सिफारिश करेगी । मैं रेलवे में देखता हूं । स्टेशन मास्टर हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैं । उनकी योग्यता की शर्तें अधिक हैं । उनके पास काम का भार अधिक है । मगर जो उनका ग्रेड है वह उनके उत्तरदायित्व के अनुकूल नहीं है । इस तरह के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । कमीशन के लिए एक बड़ा काम था कि सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में

जाकर उनके उत्तरदायित्व के अनुसार उनके वेतन भत्ते निर्धारित करता । लेकिन जो काम कमीशन ने नहीं किया वह सरकार कर सकती है । कुछ सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं । मेरा सुझाव है कि विशेषत: ऐसी सिफारिशें जो कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कमी करती हैं, उनके सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकार को कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, देश में आज जो परिस्थिति है उसके सम्बन्ध में उनको विश्वास में लेना चाहिए, और मैं समझता हूं अगर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जायेगा, वार्ता की जायेगी तो कोई ऐसा मार्ग निकल सकता है जिसमें कर्मचारियों को भी संतुष्ट किया जा सके और सरकार उन्हें अपना दृष्टिकोण भी समझा दे । लेकिन अगर हमारे वित्त मंत्री दूर से बात करेंगे और कर्मचारियों को विश्वास में ही लेंगे, और सरकार पर कितना बोझ पड़ता है, इसी पक्ष पर बल देंगे, और कर्मचारियों के अन्त:करण में क्या प्रतिक्रिया होती है इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों में और भी असंतोष पैदा होगा । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी को समय रहते कर्मचारियों के संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : द्वितीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि मान्य सामाजिक धारणाओं के साथ भी बड़ा अन्याय किया है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने वेतन आयोग की मांग इसलिए की थी कि वे वर्तमान उपलब्धियों में अपने परिवारों का भरण-पोषण नहीं कर पाते । कई न्यायाधिकरणों और आयोगों ने यह स्वीकार किया है कि देश के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियां कम हैं । इतनी कि उस में निर्वाह होना कठिन है ।

सरकारी कर्मचारी यही चाहते थे कि इस बात की जांच की जाये कि उनकी उपलब्धियों का कितना पुनरीक्षण होना चाहिए । लेकिन आयोग ने तो उनकी उपलब्धियों को और भी घटा दिया है !

१९५७ में द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति से पहले भी कई न्यायाधिकरणों के पंचाट सामने आ चुके थे और संसद् के कई अधिनियम भी सामने आ चुके थे । मालिकों, कर्मचारियों और न्यायिक निकायों ने उनके द्वारा निरूपित कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया था । उचित वेतन समिति का प्रतिवेदन, विभिन्न न्यायाधिकरणों के पंचाट और न्यूनतम मजूरी अधिनियम सामने आ चुके थे । पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णय भी आयोग के सामने थे । न्यूनतम मजूरी की गणनायें की जा चुकी थीं । लेकिन वेतन आयोग ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, और न यह बताया कि उनमें ग़लती क्या थी ।

वेतन आयोग ने वास्तविक परिस्थितियों की ओर से आंखें बन्द कर ली थीं । उसे सिर्फ यही परवाह थी कि सरकार पर अधिक खर्च का बोझ न पड़े ।

क्या ये सिद्धान्त, ये दृष्टिकोण स्वस्थ हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होने के कारण और भी कम वेतन पर मनचाहे लोग मिल जायेंगे, इसलिए उपलब्धियां बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं । वेतन-ढांचे पर विचार करने का यह दृष्टिकोण कहां तक स्वस्थ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

फिर मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अलग-अलग कैसे हो सकते हैं। सरकारी या निजी क्षेत्र—दोनों ही के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं में तो अन्तर नहीं हो सकता। बाजार में दोनों को एक ही भाव पर चीज़ें मिलती हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए तो न्यूनतम वेतन ८० रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि विभिन्न न्यायाधिकरणों ने निजी क्षेत्र के अप्रवीण कर्मचारियों के लिए उसे ११७ रुपये निश्चित किया है।

आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ा है कि सरकार पर खर्च का बोझ कितना बढ़ेगा। ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन न्यूनतम वेतन भिन्न-भिन्न किस प्रकार हो सकता है? वेतन आयोग ने उसे इतना कम कैसे निर्धारित किया है; विभिन्न न्यायाधिकरणों के निर्णयों को कैसे ग़लत मान लिया है?

आयोग ने जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की है, उन में सार कुछ भी नहीं है। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना—यही किया गया है। यदि पहले ७५ मिलते थे, तो अब ८० मिलेंगे, लेकिन ५ रुपये भविष्य निधि में काट लिये जायेंगे। कोई अन्तर नहीं पड़ता। एक जगह जमा किया, दूसरी जगह काट दिया।

सभापति महोदय : सदन कल ग्यारह बजे तक स्थगित किया जाता है। श्री प्रभात कार अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०
---
२२ माघ, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२२९—२५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
६५	मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केन्द्र .	२२९–३०
६६	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम .	२३०—३३
६७	इस्पात कारखानों के लिए कोकिंग कोयला .	२३३—३५
६८	बाल संग्रहालय, दिल्ली .	२३५
६९	वेतन आयोग की सिफारिशें	२३६—३८
७१	केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन .	२३८
७२	कोयले के लिये पट्टे का फार्म	२३८–३९
७३	खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने में विस्फोट . . .	२४०—४२
७४	कच्चे लोहे की बिक्री . .	२४३–४४
७५	विकास ऋण निधि	२४४—४७
७८	सरकारी क्षेत्र की खानों में कोयले का उत्पादन. .	२४७—४९
८०	आस्ट्रिया से ऋण	२४९—५१
८१	इस्पात के कारखानों का विस्तार . .	२५१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२५१—२६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
७०	भारतीय प्रविधिज्ञों का रूस में प्रशिक्षण .	२५१–५२
७६	इंजीनियरिंग कालेज, कन्नानूर .	२५२.
७७	रोम में ओलम्पिक खेल . .	२५२–५३
७९	दण्डकारण्य प्रशासन . . .	२५३
८२	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज, नई दिल्ली .	२५३
८३	नाट्यशालायें . . .	२५३–५४

353(AI)LSD—7

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४	खेतरी में तांबे के निक्षेप . . .	२५४
८५	विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता	२५५
८६	सिले सिलाये कपड़े पर बिक्री-कर . . .	२५५–५६
८७	आसाम में धातुकर्मिक कोयला	२५६
८८	भूमि का अर्जन तथा अधिग्रहण	२५६
८९	मिश्रधातु तथा औज़ारी इस्पात कारखाने सम्बन्धी परामर्शदाता इंजीनियर .	२५७–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५४	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	२५८
५५	नेता जी बोस	२५८–५९
५६	सरकार द्वारा बोनस अंश जारी करने की मंज़ूरी . . .	२५९
५७	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारी .	२५९
५८	चुनाव आयोग .	२५९–६०
५९	पुरी के निकट गतीश्वर मन्दिर.	२६०
६०	कोठागुदियम में खनन संस्था .	२६०–६१
६१	प्रतिरक्षा संस्थापनों में फालतू सामान .	२६१
६२	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	२६१
६३	बहुप्रयोजनीय आदिम-जाति खंड .	२६२
६४	वस्ती में कोयला और तेल के निक्षेप .	२६२
६५	दिल्ली में पंचायतें	२६२
६६	आदिवासियों के ऋण . .	२६२–६३
६७	आयुध डिपो में आवास सुविधायें	२६३
६८	संग्रहालय विज्ञान .	२६३
६९	ग़ैर-सरकारी विदेशी पूंजी . . .	२६४
७०	आन्ध्र प्रदेश में भारत के राज्य बैंक और भारत के रक्षित बैंक की शाखायें . .	२६४
७१	भिलाई की 'बिलट मिल' में उत्पादन.	२६४
७२	डीज़ल का आयात	२६४–६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमश :)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७३	आन्ध्र प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित	२६५
७४	कमरहाती और बारानगर में सड़कों का बन्द किया जाना .	२६५
७५	अफ़ीम का उत्पादन	२६६
७६	त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक	२६६
७७	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण .	२६६ ६७
७९	पाकिस्तानी नागरिक	२६७
८०	पुलिसमैन .	२६७
८१	लोक सहायक सेना .	२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८–७१

(१) दिल्ली राज्य-क्षेत्र में प्रचलित बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली गजट में प्रकाशित दिल्ली बिक्री-कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ़० ४(५४)/५९–फिन (ई) की एक प्रति ।

(२) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम १९५२ की धारा ८ की उप-धारा ३ के अन्तर्गत दिनांक २३ जनवरी १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०६ की एक प्रति ।

(३) खान और खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत खनन पट्टे (शर्तों में रूप भेद) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६१ की एक प्रति ।

(४) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचिक नामावलियों को तैयार करना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३ फ़रवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(५) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, केरल सिनेमा (विनियमन) अधिनियम १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तगत, केरल सिनेमा (विनियमन) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली केरल गज़ट में प्रकाशित दिनांक १५ मई, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० ४०८/५९ की एक प्रति ।

(६) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केरल गज़ट में प्रकाशित,निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या टी० डी० १-१००० बी/५६ पी डब्ल्यू ।

(ख) मद्रास मोटर गाड़ी नियम १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून,१९५९ की अधिसूचना संख्या टी० बी० १-१०००८/ ५६ पी डब्ल्यू ।

(७) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४३ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली केरल गज़ट में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(क) दिनांक १२ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या १४५८७/इ १/ ५९/ आर ई वी ।

(ख) दिनांक ७ जुलाई, १९५९ की अधिसूचना संख्या १९६०३/इ १/ ५९/ आर ई वी ।

(ग) दिनांक ११ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या २२५३७/ इ १/५९ आर ई वी ।

(८) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, मद्रास मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९३१ की धारा ११ की उप-धारा (२) कें अन्तर्गत केरल गज़ट में प्रकाशित दिनांक १० सितम्बर १९५९ की अधिसूचना संख्या १७५५१/५९/ पी डब्ल्यू /टी १ ।

(९) केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित, वेतन तथा भत्तों का भुगतान अधिनियम १९५१ की धारा १० की उप-धारा (२)

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमश:)

के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित, दिनांक २ जून, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) ५५२, जिसमें केरल के मंत्रियों और अध्यक्ष के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते नियम, १९५९ दिये हुए हैं।

(१०) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) दिनांक ६ जनवरी, १९६० की एस० ओ० संख्या ५७।

(दो) दिनांक १३ जनवरी, १९६० की एस० ओ० संख्या १०६।

राज्य सभा से सन्देश २७१

सचिव ने सूचना दी कि राज्य सभा से दो संदेश प्राप्त हुए हैं कि राज्य सभा ने निम्नलिखित विधेयकों को ९ फ़रवरी, १९६० की अपनी बैठक में पारित कर दिया है :—

(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६०।

(२) रूई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६०।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गये . . २७१

सचिव ने निम्नलिखित विधेयकों को, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखा :—

(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६०।

(२) रुई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६०।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २७१—७२

श्री उमाचरण पटनायक ने एयर इंडिया इन्टरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हाल में की गयी हड़ताल की ओर परिवहन तथा संचार मंत्री का ध्यान दिलाया।

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने इस सम्बन्ध में एक व्क्तव्यदिया और व्क्तव्य को सभा पटल पर भी रख दिया।

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७२

अध्यक्ष महोदय ने, लोक-सभा को बताया कि श्री वि० वि० राजू ने २ फ़रवरी, १९६० से लोक सभा में अपने स्थान से पद-त्याग कर दिया है।

विषय	पृष्ठ
सभापति—तालिका	२७२—७३

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६ के उप-नियम (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नई सभापति-तालिका के लिए मनोनीत किया गया है :—

(१) पंडित ठाकुर दास भार्गव

(२) डा० सुशीला नायर

(३) श्री मूल चन्द दुबे

(४) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(५) श्री नारायण गणेश गोरे

(६) श्री जय पाल सिंह

विधेयक पारित	२७३—२९१

निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में पारित हुआ।

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया विधेयक—विचाराधीन .	२९१—२९७

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि दहेज निषेध विधेयक, १९५९ में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२९७-३१२

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में श्री नारायणन कुट्टि मेनन द्वारा १७ दिसम्बर १९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरंभ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक) के लिए कार्यावलि

वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के निम्नलिखित संकल्पों पर विचार :—

(१) श्री प्रकाशवीर शास्त्री का "शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण"; और

(२) श्री ब्रज राज सिंह का "भारत का राष्ट्र मंडल से अलग होना"।

———————